वार्षिक रिपोर्ट
1993-94

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
आन्तरिक सुरक्षा, राज्य तथा गृह विभाग
नई दिल्ली

विषय वस्तु

अध्याय		पृष्ठ
I.	संक्षिप्त आमुख	1-4
II.	गृह मंत्रालय का संगठन तथा उसके कार्य	5-6
III.	कानून एवं व्यवस्था	7-30
	सामान्य	7
	राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दा:-	8
	अयोध्या पर श्वेत पत्र	8
	अयोध्या में कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण अध्यादेश/अधिनियम,1993	8
	अनुच्छेद 143(1) के अधीन विशेष संदर्भ	9
	अयोध्या में 6 दिसम्बर,1992 की घटनाओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	9
	अयोध्या की घटनाओं के लिए जांच आयोग	9
	साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध	10

राष्ट्रीय एकता पर स्थायी समिति	10
राहत एवं पुनर्वास	11
राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान	11
साम्प्रदायिक सद्भाव निधि की संस्थापना	11
कबीर पुरस्कार	12
राष्ट्रीय एकता पर डाक टिकट	12
पंजाब	13
राजीव लोंगोवाल समझौता	13
भारत पाक सीमा प्रबंधन	13
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	14
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का प्रशासन	14
कृषि क्षेत्र में अशान्ति	15
छात्र एवं युवा	15
श्रमिक अशांति	16

	सेवाएं	16
	वामपंथी उग्रवाद	17
	कश्मीर	17
	पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति	25
	घुसपैठ की संभावना वाले क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी करने की योजना	26
	भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सड़कों का निर्माण/ बाड़ लगाना	27
	बोडो सिक्योरिटी फोर्स और युनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) पर प्रतिबंध की पुष्टि	28
	त्रिपुरा में चकमा शरणार्थी	28
	भारत और म्यांमार सिविलियन सीमा प्राधिकारियों के बीच समझ-बूझ तथा सहयोग का ज्ञापन	29
	भारत म्यांमार सीमा के साथ सीमा पिलरों का रख-रखाव, मरम्मत/पुनर्निर्माण	29
	गृह सचिव का बंगलादेश दौरा	29
IV.	मानवाधिकार	31-37

V. भारतीय पुलिस सेवा 38

पुलिस प्रशिक्षण 38

VI. केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल 39-48

असम राइफल्स (एआर) 39

सीमा सुरक्षा बल (सीसुबल) 40

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) 42

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 42

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (भातिसीपु) 43

विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों में जनशक्ति का विकास 44

VII. अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन 49-57

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 49

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) (सनिपुबे) 51

पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो (पुअविब्यू) 53

राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान संस्थान (राअविविसं) 55

	सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (सवभापरापुअ)	56
	पुलिस पदक	56
VIII.	केन्द्र-राज्य संबंध	58-66
	केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग	58
	मेहम कांड पर जांच आयोग	59
	राज्यों में राष्ट्रपति शासन	59
	झारखंड आन्दोलन	62
	राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	62
	अपराध सूचना पद्धति	63
	क्षेत्रीय परिषद सचिवालय	63
	राज्य विधायन	63
	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन	65
	दया याचिकाएं	65

IX.	जेल	67
	जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	67
	सुधार अधिकारियों तथा स्टाफ का प्रशिक्षण	67
X.	नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड्स और अग्निशमन सेवा	68 - 72
XI.	संघ शासित क्षेत्र	73 - 102
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	73 - 77
	चण्डीगढ़	77 - 79
	दादरा और नगर हवेली	79 - 82
	दमण और दीव	82 - 86
	लक्षद्वीप	86 - 89
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	89 - 95
	पाण्डिचेरी	95 - 99
	संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 और संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992	99 - 100
XII.	उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष विकास कार्य	103 - 106

XIII.	पुनर्वास	107-109
XIV.	स्वतन्त्रता सेनानी	110-111
XV.	विदेशी	112-114
XVI.	जनगणना	115-118
XVII.	पुरस्कार और अलंकरण	119
	पद्म पुरस्कार	119
	वीरता पुरस्कार	119
	जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार	119
XVIII.	नीति नियोजन	120
XIX.	अन्य मामले	121-126
	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	121
	सतर्कता	122
	अधिनियमित विधायन	124
	कम्प्यूटरीकरण	125

लेखा परीक्षा आपत्तियां 125

परिशिष्ट 127

अध्याय-I

संक्षिप्त आमुख

1.1 "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । तथापि गृह मंत्रालय कानून व व्यवस्था की स्थितियों की प्रवृत्तियों और कार्यकलापों, और साम्प्रदायिक सौहार्द और देश की आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों का प्रबोधन करता है । यह जब कभी आवश्यक हो, राज्यों को मार्ग-दर्शन एवं सहायता प्रदान करता है । इसका संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नोडल उत्तरदायित्व है । यह राज्यों के प्रशासन पर भी यह सुनिश्चित करने के लिए नजर रखता है कि प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाता है और यह कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों का विकास संविधान की परिकल्पना के अनुरूप हो ।

1.2 भारतीय पुलिस सेवा गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित होती है । इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों नामतः असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (जिनकी तैनाती मुख्यतः सीमाओं पर की जाती है), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (जिसका उद्देश्य जब कभी आवश्यक हो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों को अतिरिक्त बल सहायता उपलब्ध कराना है), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संरक्षणात्मक और निवारात्मक कार्यों के लिए है) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (जो आतंकवाद का सामना करने के लिए एक विशिष्टता प्राप्त बल है) को प्रशासित और नियंत्रित करता है । मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार), और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है ।

1.3 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान देश के कई भागों विशेषकर जम्मू व कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों आन्ध्र प्रदेश और बिहारमें कानून व व्यवस्था की स्थिति कठिन बनी रही । हिंसा की यदा-कदा घटनाओं को छोडकर पंजाब की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ । तथापि, कश्मीर घाटी में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां सीमा पार की सहायता से और उकसावे में आकर निरन्तर जारी रहीं । पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह भी चिन्ता

का विषय रहा । बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा पुनः भड़क उठी । झारखंड आन्दोलन के कर्णधारों ने पृथक झारखंड राज्य की अपनी मांग पर जोर देना जारी रखा और कई अवसरों पर हिंसक आन्दोलनों का सहारा लिया ।

1·4 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में विवादित राम जन्म भूमि--बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने पांच साम्प्रदायिक संगठनों- विश्व हिन्दू परिषद (वी0एच0पी0), राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर0एस0एस0), बजरंग दल (बी0डी0), जमात-ए-इस्लामी हिन्द (जे0ई0आई0एच0) और इस्लामिक सेवक संघ (आई0एस0एस0) को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधि विरुद्ध संगठनों के रूप में घोषित किया। वी0एच0पी0 और आई0एस0एस0 के संबंध में घोषणाओं की, इस मामले के निर्णय हेतु गठित न्यायाधिकरणों द्वारा पुष्टि की गई । आर0एस0एस0 और बी0डी0 के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा घोषणाओं की पुष्टि नहीं की गई । सरकार ने न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है । जे0ई0आई0एच0 ने इसे विधि विरुद्ध घोषित किए जाने संबंधी सरकारी अधिसूचना के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जो अभी लम्बित पड़ी है । इन परिस्थितियों में मामले के निर्णय के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण ने कोई आदेश पारित नहीं किया है ।

1·5 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मानवाधिकारों के सवाल पर भारत के विरुद्ध घृणित और अभिप्रेरित दुष्प्रचार का सामना करने के लिए कई पहलें की गई । भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 अक्तूबर, 1993 को एक पांच सदस्यीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई । इस आयोग ने कार्य आरंभ कर दिया है और कई मामलों का संज्ञान लिया है।

1·6 दिसम्बर, 1992 में अयोध्या की घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना पडा । इन 4 राज्यों की विधान सभाओं के लिए नवम्बर, 1993 में चुनाव करवाए गए । चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से आयोजित किए गए और सभी 4 राज्यों में लोकप्रिय सरकारों की बहाली हुई । मिजोरम में भी विधान सभा के चुनाव कराए गए ।

1·7 मणिपुर में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद दिसम्बर, 1993 में इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था ।

1·8 जम्मू व कश्मीर में 3 सितम्बर, 1993 से और छह माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई । 19·2·1994 को राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक आदेश जारी किया जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 मे, जिस रूप में यह जम्मू व कश्मीर राज्य पर प्रयोज्य है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने के लिए आगे और संशोधन किया गया । इस आदेश के बाद, जम्मू व कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 3 मार्च, 1994 से आगे और छह माह के लिए बढ़ाया गया और इस आशय का एक सांविधिक संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया गया ।

1·9 संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 के उपबंध रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रवर्तन में आए । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0टी0) दिल्ली की विधान सभा के आम चुनाव नवम्बर, 1993 में कराए गए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा का गठन किया गया । राष्ट्रपति ने उप-राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता एवं सलाह देने के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री और छह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की ।

1·10 सुरक्षा से संबंधित और आपसी हित के अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर कुछ पड़ोसी देशों के साथ वार्ता शुरू करने की पहलें की गई । भारत और म्यांमार के असैनिक सीमा प्राधिकारियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जनवरी, 1994 में हस्ताक्षर किए गए । ज्ञापन का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विद्रोहियों की सीमा के आर-पार आवाजाही, मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार जैसी घृणित गतिविधियों पर रोक लगाना है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गुटों को बंगलादेश से प्राप्त हो रही सहायता के संबंध में अक्तूबर, 1993 में अधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श किया गया । बंगलादेश से निरन्तर अवैध आप्रवासन, चकमा शरणार्थियों की वापसी, और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दे वार्ता के मुख्य विषय थे । सभी शेष मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर सहमति हुई । सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, विशेषकर सीमा के आर-पार आवाजाही पर नेपाल के साथ सहयोग भी शुरू किया गया है ।

1·11 केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अयोध्या में राम जन्म भूमि- बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाए जाने से संबंधित अपराधों की जांच का कार्य पूरा कर लिया है और अक्तूबर, 1993 में लखनऊ में एक विशेष न्यायालय के समक्ष 40 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए ।

1·12 अक्तूबर, 1993 में गुमराह उग्रवादियों द्वारा श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर कब्जा करने के कारण उत्पन्न संकट को सरकार ने धैर्य और पूर्ण संयम के साथ सफलतापूर्वक निपटाया । उग्रवादियों को आखिरकार सद्बुद्धि आई और उन्होंने नवम्बर, 1993 में आत्मसमर्पण किया और संकट का शांतिपूर्वक समाधान कर लिया गया ।

1·13 देश में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति पर विचार करते हुए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षकों/महानिदेशकों, गृह सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बैठकें की गई और सूचना के त्वरित आदान-प्रदान और प्रयासों के समन्वय के लिए सर्वसम्मत व्यवस्था लागू की गई । इस प्रकार के समन्वय में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस और विभिन्न राज्य और केन्द्रीय आसूचना एवं प्रवर्तन एजेंसियों की जिला और राज्य स्तरों पर नियमित बैठकें शामिल हैं । राज्य सरकारों को पड़ौसी राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें करने को भी लिखा गया है ।

1·14 राज्य पुलिस और सशस्त्र पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार लाने, जेलों, होम गार्डों और नागरिक सुरक्षा संगठनों के कामकाज में सुधार लाने, राज्यों में भा0पु0से0 संवर्ग के बेहतर प्रबंधन, राज्यों और केन्द्र में सेवारत भा0पु0से0 अधिकारियों के देश तथा विदेशों में प्रशिक्षण अवसरों में बढ़ोतरी आदि पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ।

1·15 इस मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है ।

अध्याय-II

गृह मंत्रालय का संगठन तथा उसके कार्य

2.1 संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ियों से रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य करे । यह कर्त्तव्य संविधान द्वारा आदिष्ट किया गया है । अतः आन्तरिक सुरक्षा की अवधारणा स्वयं संविधान से संचारित होती है ।

2.2 गृह मंत्रालय के मुख्य कार्य इस प्रकारहैं :- (1) आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करना, (2) केन्द्र-राज्य संबंधों तथा अन्तर्राज्यीय संबंधों से जुड़े मामले निपटाना, (3) राजभाषा अधिनियम, 1963 से संबंधित संविधान के उपबंधों का कार्यान्वयन करना, (4) राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति द्वारा पद भार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी करना, प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करना, राज्यपालों तथा उप-राज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा उन्हें हटाए जाने संबधी अधिसूचनाएं जारी करना, संघ शासित क्षेत्रों में उप राज्यपालों, मुख्य आयुक्तों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा (5) नागरिकता तथा देशीयकरण जनगणना राष्ट्रीय गान, तथा भारत का राष्ट्रीय ध्वज आदि मामलों को निपटना ।

2.3 कार्य आबंटन के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित चार विभाग हैं :-

(i) आन्तरिक सुरक्षा विभाग, जो पुलिस, विधि एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास कार्य देखता है ;

(ii) राज्य विभाग, जो केन्द्र-राज्य संबंध, अन्तर्राज्यीय संबंध, संघ शासित क्षेत्र तथा स्वतंत्रता सैनानी पेंशन का कार्य निपटाता है;

(iii) राजभाषा विभाग, जो राजभाषा के संबंध में संविधान के उपबंधों, तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन को देखता है; और

(iv) गृह विभाग जो राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना, प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचनाओं आदि को देखता है ।

2.4 राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा इसका एक पूर्णकालिक सचिव है । अन्य तीन विभाग परस्पर सम्बद्ध हैं । ये विभाग एक दूसरे से अलग-अलग काम नहीं करते । सभी तीनों विभाग गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं । गृह सचिव के पास न्याय विभाग, जो कि विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय का एक भाग है, के साथ-साथ सचिव (न्याय) का भी प्रभार है । गृह सचिव की सहायता के लिए विशेष सचिव हैं जो उन्हें सौंपे गए कार्यों को देखते हैं ।

2.5 गृह मंत्रालय में मंत्रियों तथा मंत्रालय में सचिवों तथा विशेष सचिवों, जो वर्ष के दौरान पदासीन रहे, के बारे में जानकारी परिशिष्ट में दी गई है ।

अध्याय-।।।

कानून एवं व्यवस्था

सामान्य

3.1 1993 के दौरान देश में विशेषकर जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा और असम तथा नक्सलवाद से पीड़ित राज्यों आन्ध्र प्रदेश और बिहार में कानून व व्यवस्था की स्थिति काफी अधिक तनावपूर्ण रही । हालांकि पंजाब की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ पर अलगाववादी गुटों द्वारा कश्मीर घाटी में सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त करने के निरन्तर प्रयासों और मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा और असम में विभिन्न विद्रोही गुटों की गैर-कानूनी गतिविधियों ने विधि प्रवर्तक एजेन्सियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न की । दूषित साम्प्रदायिक वातावरण विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में, झारखंड क्षेत्र में झारखंडियों द्वारा बार-बार आन्दोलन, विभिन्न सी पी एम एल गुटों और उनके अग्रणी/जन संगठनों द्वारा वाम पंथी उग्रवादी आन्दोलन के केन्द्र आन्ध्र प्रदेश और बिहार में फैलाई गई हिंसा और "धर्म", "भाषा" "नस्ल", "धर्म", "जाति" और "जातीयता" पर चौड़ी होती खाइयां इन सब ने वर्ष के दौरान प्रशासनिक तथा कानून व व्यवस्था तंत्र पर अत्यधिक दबाव डाला । वर्ष के दौरान डंकल प्रस्तावों और उनकी विभिन्न मांगों के संबंध में किसानों का इस्तेमाल भी किया गया ।

3.2 देश के कुछ भागों में क्षेत्रीय ग्रुपों की आकांक्षाओं ने पृथक राज्यों की मांगे उठाने में अपने विमाग का प्रयोग करना जारी रखा । आन्दोलन के कर्णधारों ने झारखंड क्षेत्र (बिहार, पं. बंगाल, उड़िसा और मध्य प्रदेश के भागों को मिलाकर) और असम के बोडो-बहुल क्षेत्रों में पृथक राज्यों के सृजन की अपनी मांगों पर जोर देना जारी रखा और हिंसक आन्दोलन किए ।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दा

अयोध्या पर श्वेत पत्र

3.3 अयोध्या की 6 दिसम्बर की दुःखद घटनाओं और भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों के बाद, फरवरी,1993 में अयोध्या पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया । श्वेत पत्र में अयोध्या विवाद की पृष्ठभूमि, उन घटनाओं का कार्यक्रम जिनकी परिणति 6 दिसम्बर,1992 को अयोध्या में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के ढहाए जाने के रूप में हुई, उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. सरकार की अवधि के दौरान गतिविधियां, भा.ज.पा. सरकार की अवधि के समक्ष परिवर्तित होते रहते दृष्टिकोण और राम जन्म भूमि - बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय एकत परिषद को दिए गए आश्वासनों और वचनों का सम्मान करने में भा.ज.पा. सरकार की विफलता का उल्लेख है । इसमें विवाद का समाधान खोजने के लिए बातचीत पुनः आरम्भ करवाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों और कैसे विश्व हिन्दू परिषद द्वारा 6 दिसम्बर,1992 से पुनः कार सेवा आरंभ करने की इकतरफ घोषणा के कारण ये वार्तापं सफल नहीं हो सकी, इनको भी उजागर किया गया है । श्वेत पत्र में 6 दिसम्बर 1992 की घटनाओं का कानून व व्यवस्था की स्थिति पर पड़ने वाले नतीजों को रोकने के लिए और विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेवार सभी व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी वर्णन है ।

अयोध्या में कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण अध्यादेश/अधिनियम

3.4 7 जनवरी,1993 को प्रख्यापित अयोध्या में कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993 का स्थान संसद के एक अधिनियम ने ले लिया है । अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक प्राधिकृत व्यक्ति और एक दावा-आयुक्त की नियुक्ति की गई है, अधिग्रहीत सम्पति का प्रबन्धन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन नियम भी बनाए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं ।

अनुच्छेद 143(1) के अधीन विशेष संदर्भ

3.5 राष्ट्रपति ने इस प्रश्न पर मत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को एक संदर्भ भेजा कि "क्या उस क्षेत्र में जहां ढांचा खड़ा था, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद (ऐसे ढांचे के अन्दरूनी तथा बाहरी अहातों के परिसरों सहित) के निर्माण से पूर्व कोई हिन्दू मंदिर या कोई हिन्दू धार्मिक ढांचा विद्यमान था ।" न्यायालय के समक्ष भारत संघ, कई राज्यों और गैर सरकारी पक्षों द्वारा भी याचिकाएं दायर की गई हैं । उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ के संबंध में तथा उन रिट याचिकाओं के संबंध में भी जो अयोध्या में कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण अध्यादेश,1993 (तदुपरांत संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) को चुनौती देते हुए मूलतः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष दायर की गई थी, लेकिन केन्द्र सरकार की एक प्रार्थना पर उच्चतम न्यायालय को स्थानान्तरित कर दी गई थी, कार्यवाही शुरू कर दी हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अधिनियम/अध्यादेश की वैधता और उपर्युक्त संदर्भ की अनुरक्षणीयता से संबंधित आरंभिक मुद्दों के संबंध में दलीलों की सुनवाई की जा रही है ।

अयोध्या में 6 दिसंबर,1992 की घटनाओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3.6 अयोध्या में 6 दिसम्बर,1992 की घटनाओं के बाद, राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाए जाने से संबंधित अपराधों की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है । सी·बी·आई· ने तब से अपनी जांच पूरी कर ली है और लखनऊ में एक विशेष न्यायालय के समक्ष 40 (चालीस) व्यक्तियों के विरुद्ध एक संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया गया था । विशेष न्यायालय ने अपराधों का संज्ञान लिया है और मुकदमें की कार्यवाही चल रही है ।

अयोध्या की घटनाओं के लिए जांच आयोग

3.7 अन्य बातों के साथ-साथ अयोध्या में 6 दिसम्बर,1992 को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर की घटनाओं का कारण बनी घटनाओं के क्रम और उनसे संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम,1952 के अधीन 16·12·1992 को न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सिंह लिबरहान की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था । जांच का कार्य प्रगति पर है ।

साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध

3.8 दिसम्बर,1992 में अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के ढहाए जाने के बाद, केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम,1967 के अधीन पांच संगठनों - विश्व हिन्दू परिषद (विहिप), राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर एस एस), बजरंग दल (बी डी), जमाएते इस्लामी हिन्द (जे इ आइ एच), और इस्लामिक सेवक संघ (आई एस एस) को गैर कानूनी संगठनों के रूप में घोषित किया गया । इन संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए 10.12.92 को जारी की गई अधिसूचनाओं पर न्याय-निर्णयन के लिए विधि-विरुद्ध गतिविधियां(निवारण) अधिनियम,1967 के अधीन न्यायमूर्ति श्री पी एन नाग और न्यायमूर्ति श्री पी के बाहरी की अध्यक्षता में दो विधि विरुद्ध गतिविधियां(निवारण) न्यायाधिकरणों का गठन किया गया । न्यायमूर्ति श्री पी0के0 बाहरी की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने 4.6.93 को अंतिम आदेश दिया और विहिप के संबंध में जारी अधिसूचना की पुष्टि की। तथापि इसने आर एस एस और बजरंग दल के संबंध में जारी अधिसूचनाओं में की गई घोषणा की पुष्टि नहीं की । न्यायमूर्ति श्री पी एन नाग की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने आइ एस एस के संबंध में जारी अधिसूचना की पुष्टि की । जे इ आई एच के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण जे इ आइ एच की तरफ से दाखिल रिट याचिका/अपील का निर्णय होने तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा ।

3.9 केन्द्र सरकार ने आर एस एस और बी.डी. के संबंध में विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है ।

3.10 विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) न्यायाधिकरण द्वारा अधिसूचना की पुष्टि के मद्देनजर विश्व हिन्दू परिषद और आई एस एस 10.12.1994 तक गैर कानूनी संगठन बने रहेंगे ।

राष्ट्रीय एकता पर स्थायी समिति

3.11 राष्ट्रीय एकता परिषद ने एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसे राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए अल्प सूचना पर बुलाया जा सकता है । स्थायी समिति की एक बैठक कश्मीर की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए 22.10.93 को बुलाई गई थी । बैठक में इसके सदस्यों के अलावा प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया था ।

राहत एवं पुनर्वास

3.12 6 दिसम्बर,1992 को अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाए जाने के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के बाद साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत के प्रचालन के लिए मार्ग दर्शिकाओं में दिसम्बर,1992 में संशोधन किया गया । प्रभावित व्यक्तियों को राहत के प्रचालन की मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है । राज्य सरकारों ने अयोध्या की घटना से संबंधित साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना जारी रखा । दंगों के पीड़ितों को अब तक राहत के रूप में वर्ष 1993 में 65.25 करोड़ रु0 की राशि संवितरित की गई है ।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान

3.13 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाग प्रतिष्ठान जुलाई,1991 के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों द्वारा प्रभावित बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है । यह सहायता वर्ग "क" और "ख" शहरों में 425/-रु. प्रति माह और अन्य स्थानों में 375/-रु0 प्रति माह की दर से दी जाती है । प्रतिष्ठान ने अब तक 677 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

साम्प्रदायिक सद्भाव निधि की संस्थापना

3.14 अयोध्या की घटना से जुड़े साम्प्रदायिक दंगों के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित कई पूजा स्थलों को क्षति पहुंचाई गई थी । इन पूजा स्थलों की मरम्मत का कार्य स्थानीय समर्थन जुटा कर और राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा शुरू किया गया था । इन पूजा स्थलों के मरम्मत के कार्य में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि वित्तीय संसाधनों की कमी इसमें बाधा न बनने पाए, केन्द्र सरकार ने दिसम्बर,1992/

जनवरी,1993 में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए । करोड़ रु0 के संग्रह से एक साम्प्रदायिक सद्भाव निधि की स्थापना की है । यह निधि राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा प्रशासित की जाती है । क्षतिग्रस्त पूजा स्थल की मरम्मत की लागत का 75 प्रतिशत तक जिला/राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराया जा सकता है ।

कबीर पुरस्कार

3.15 केन्द्र सरकार ने अप्रैल,1990 में कबीर पुरस्कार की स्थापना की है । पुरस्कार तीन श्रेणियों में है :- श्रेणी । में 20,000/-रु0 का नकद पुरस्कार है जबकि श्रेणी ।। और श्रेणी ।।। के पुरस्कृत व्यक्तियों को क्रमशः 10,000/-रु0 और 5,000/-रु0 के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं । इस पुरस्कार की स्थापना एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों के जान माल की रक्षा करने में प्रदर्शित शारीरिक/नैतिक साहस और मानवता की मान्यतास्वरूप साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है । वर्ष 1992-93 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा 2 अक्तूबर,1993 को की गई थी । ग्यारह व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है - 2 श्रेणी । के लिए और 9 श्रेणी ।।। के लिए ।

राष्ट्रीय एकता पर डाक टिकट

3.16 उन लोगों में जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है, चेतना और उत्साह जगाने के उद्देश्य से डाक-तार विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता पर प्रथम दिवस आवरण सहित एक डाक टिकट निकाला गया । इसे भारत के राष्ट्रपति डा॰शंकर दयाल शर्मा द्वारा जारी किया गया ।

पंजाब

3.17 वर्ष 1993 के दौरान, पंजाब में कानून व व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ । राज्य में 1993 के दौरान आतंकवादी हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई । सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में 576 कट्टर आतंकवादियों का खात्मा किया गया । 1993 के दौरान 53 कट्टर आतंकवादी मारे गए । कुल मिलाकर 1108 आतंकवादियों ने राज्य प्राधिकारियों के समक्ष आत्म समर्पण किया है ।

3.18 कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त राज्य के समग्र सामाजिक -आर्थिक विकास पर नये सिरे से बल दिया गया ।

राजीव-लौंगोवाल समझौता

3.19 भारत सरकार, राजीव-लौंगवाल समझौते को मानती है और उसे लागू करने के लिए वचनबद्ध है । संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के जरिए इस समझौते के बकाया मुद्दों को सुलझाने के लिए एक दूसरे को मान्य हल ढूंढने के प्रयास जारी हैं ।

भारत-पाक सीमा प्रबन्धन

3.20 भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ और शस्त्र व गोलाबारूद की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से भारत पाक सीमा पर पंजाब और राजस्थान सेक्टरों पर क्रमशः लगभग 767 और 798 किमी0 के संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाने और फ्लड लाइटिंग का कार्य तब से निम्नानुसार पूरा किया जा चुका है :-

	पंजाब	राजस्थान
बाड़	434 कि0मी0	333 कि0मी0
फ्लड लाइटिंग	453 कि0मी0	345 कि0मी0

3.21 राजस्थान के शाहगढ़ क्षेत्र में 150 किमी0 सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है । राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बाड़ लगाने और फ्लड लाइट लगाने का निर्णय किया गया है । जम्मू सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की फ्लड लाईटिंग--और बाड़ लगाने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.22 पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों की पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः शुरू करने के कदम उठाए गए थे । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मुख्य बल सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजल, सड़क, विश्राम गृह, स्वास्थ्य, शैक्षणिक सुविधाएं और पेय जल के प्रबंध सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास पर रहेगा ।

3.23 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो 7 वीं योजना अवधि के दौरान सीमित कार्य क्षेत्र के साथ शुरू किया गया था, का पुनर्निरक्षण कर उसे आठवीं योजना (1992-97) के दौरान जारी रखा गया है और उसका दायरा पूर्वी राज्यों तक बढ़ाया गया है जो बांग्लादेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए हैं ।

3.24 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम है और इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना अवधि में 640/- करोड़ रु0 का परिव्यय किया गया है । योजना की आवधिक मानिटरिंग योजना आयोग में संबंधित राज्य योजना सलाहकारों द्वारा की जाएगी । योजना के लाभार्थी राज्य है - गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पं0 बंगाल, असम त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का प्रशासन

3.25 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,1980 जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित होती है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति की नजरबंदी का आदेश देने में समर्थ बनाती है, यदि उस व्यक्ति की गतिविधियां भारत की सुरक्षा, अथवा भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव अथवा आपूर्तियों और समाज के लिए आवश्यक सेवाओं

के रख-रखाव के लिए प्रतिकूल समझी जाती हैं । अंतिम तीन प्रयोजनों के लिए, केन्द्र/राज्य सरकार के अतिरिक्त विशेष रूप से प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त भी नजरबंदी के आदेश जारी कर सकता है ।

3.26 अधिनियम में ही नजरबंदी के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय अन्तर्निहित हैं । केन्द्र सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई गिरफ्तारियों/रिहाइयों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करती है । समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर इस अधिनियम का यदा-कदा और विवेकपूर्वक ही इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है ।

कृषि क्षेत्र में अशांति

3.27 इस वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में कुल मिलाकर शांति बनी रही तथा गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कोई प्रमुख हिंसक घटनाएं नहीं हुई । सामान्यतया अधिकांश आंदोलन इन कारणों से किए गए थे : भूमि संबंधी विवाद, फसलों की जबरन कटाई, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य की मांग, कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य की मांग, कृषि संबंधी ऋण की माफी/ऋण माफी स्कीम का कार्यान्वयन बिजली के शुल्क में कमी, किसान संगठनों के बीच आपसी प्रतिस्पर्द्धा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण समाप्त किए जाने (अगस्त, 1992) के कारण उर्वरकों के मूल्य में हुए वृद्धि को वापस लेना तथा सरकार उर्वरक सब्सिडी को वापस लिया जाना, कृषि उत्पादों के निर्यात पर नियंत्रण, अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के बीच वितरण तथा "डंकल प्रस्तावों" को नामंजूर करना ।

छात्र एवं युवा

3.28 इस वर्ष के दौरान देश के शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही तथा हिंसा घटनाओं की संख्या में कमी आई थी और किसी प्रमुख हिंसक घटना की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी । इनमें से अधिकांश घटनाएं स्थानीय मुद्दों तथा मांगों के कारण घटित हुई थी तथा इनके कारण कानून और व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी।

लगभग सभी प्रमुख छात्र/युवा संगठनों ने शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में कमी जैसी सामान्य मांगें ही की थी ।

श्रमिक अशांति

3.29 इस वर्ष के दौरान श्रमिक क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी । विभिन्न राज्यों में मुख्यतः "पथ कर" समाप्त करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा किए गए राष्ट्र-व्यापी हड़ताल (31 जुलाई-6 अगस्त,1993) का अधिकांश राज्यों में लगभग पूर्ण असर पड़ा तथा राज्य के अंदर ट्रकों का आवागमन बाधित होने के परिणामस्वरूप इस हड़ताल ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों को कमो-बेश प्रभावित किया ।

3.30 केन्द्रीय सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों (एस.सी.टी.यू.-वामपंथी तथा एच.एम.एस.) की प्रयोजक समिति से 9 सितम्बर,1993 की "भारत बंद"/देश व्यापी औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया था जिसका समर्थन वामपंथी मोर्चा/राष्ट्रीय मोर्चे की राजनैतिक पार्टियों, वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों तथा उनके फ्रंट/जन संगठनों ने किया था। इसका कुल राज्यों में केवल मिला-जुला असर रहा ।

सेवाएं

3.31 विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में सफेद पोश कर्मचारियों की आंदोलनात्मक गतिविधियों में वृद्धि दिखाई दी । डाक और तार, रेल, नागरिक तथा रक्षा विभागों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गतिविधियां कुल मिलाकर ज्यादा मुखर नहीं थी तथा अधिकांश आन्दोलनों का स्वरूप सांकेतिक ही था । स्थायी मजदूरी पुनरीक्षा निकाय का गठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन के समान वेतन, भर्ती पर लगे रोक को हटाने, मंहगाई भत्ते को मूल-वेतन के साथ मिलाने और अधिक बोनस तथा बोनस की सीमा बढ़ाने की मांगों सहित अपनी अन्य मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने धरना और प्रदर्शन आयोजित करके अपना विरोध प्रकट किया था राज्य सरकार के कर्मचारी, बिजली कर्मचारी तथा विभिन्न राज्यों के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी लम्बे समय से लंबित अपनी आर्थिक और गैर-आर्थिक मांगों को लेकर उत्तेजित रहे ।

वामपंथी उग्रवाद

3.32 लगातार दूसरे वर्ष भी देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की कुल घटनाओं में कमी आई । 1991 में घटित 1876 घटनाओं (474 व्यक्ति मारे गए थे), तथा 1992 में घटित 1337 घटनाओं (503 व्यक्ति मारे गए थे) की तुलना में वर्ष 1993 के दौरान 1277 घटनाएं (470 व्यक्ति मारे गए थे) हुई तथा मिश्रित स्थिति व्याप्त रही । आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से 1992 की तुलना में इस वर्ष कम घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन महाराष्ट्र में लगभग पहले जैसी स्थिति ही बनी रही तथा बिहार में इन घटनाओं की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी ।

3.33 आंध्र प्रदेश में प्रभावी पुलिस कार्रवाई के कारण नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लग गया था । आंध्र प्रदेश सरकार ने पीपुल्स वार ग्रुप तथा उसके 8 फ्रंट संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है । तथापि बिहार की स्थिति चिंताजनक है । बिहार सरकार ने भी एम.सी.सी. सहित राज्य में सक्रिय 6 उग्रवादी ग्रुपों पर प्रतिबंध लगा दिया है । इससे इन प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों पर कुछ हद तक काबू पाने में मदद मिली है ।

3.34 प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है । केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 3 अगस्त, 1991 को एक बैठक की थी । इस बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप एक संयुक्त समन्वय समिति (जे.सी.सी.) गठित की गई थी जिसमें प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे । इस समिति को वामपंथी उग्रवाद विरोधी कार्रवाई की योजना तथा इसके कार्यान्वयन का समन्वित तरीके से पर्यवेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था । नक्सलवादी विरोधी उपायों की समीक्षा करने के लिए संयुक्त समन्वय समिति नियमित अंतराल पर अपनी बैठकें कर रहा है ।

3.35 प्रभावित राज्यों में कानून को कड़ाई से लागू करते हुए तथा विशेष विकास पर जोर देते हुए सरकार वामपंथी उग्रवाद के खतरे पर काबू पाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ।

कश्मीर

3.36 जम्मू और कश्मीर राज्य में 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था । बड़े पैमाने पर निरंतर जारी आतंकवादी हिंसा तथा इससे उत्पन्न सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की अवधि को समय-समय पर बढ़ाना पड़ा था । इसमें पिछली बार 2 सितंबर, 1993 से छः माह की अवधि के लिए विस्तार किया गया था । इससे पूर्व

24 फरवरी, 1993 को संवैधानिक आदेश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर पर लागू है, में संशोधन करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि एक वर्ष तक बढ़ा दी गई थी । 19 फरवरी, 1994 को जारी एक संवैधानिक आदेश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर पर लागू है, में आगे संशोधन कर राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि में एक बार फिर एक वर्ष का विस्तार किया गया था । जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि में 3 मार्च, 1994 से और छः माह का विस्तार किया गया था । इस आशय के एक सांविधिक संकल्प को संसद के दोनों सदनों ने अंगीकृत कर लिया था ।

3.37 आतंकवादी हिंसा का स्तर अभी भी काफी अधिक बना हुआ है तथा प्रशिक्षित और सशस्त्र आतंकवादियों को घुसपैठ कराके, आतंकवादियों को शरण, धन, मार्ग दर्शन प्रदान कर के तथा बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चला कर सीमा-पार से आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन में कोई कमी नहीं आई है । राज्य के विभिन्न हिस्सों के जन सांख्यिकीय परिदृश्य को बदलने तथा कट्टरवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ दुष्प्रचार करके कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने तथा सभी लोक तांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करके पूर्ण रिक्तता की स्थिति पैदा करने के प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए ।

3.38 जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों विशेषकर डोडा जिले में हिंसा फैलाने के प्रयासों के साथ-साथ स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने तथा पलायन का नया दौर शुरू करने के प्रयास भी परिलक्षित हुए जिनसे चिंता उत्पन्न हो गई है । इसके अलावा ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हुई है कि स्थानीय आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने और हिंसा के स्तर और स्वरूप में वृद्धि करने के उद्देश्य से विदेशी राष्ट्रिक और भाड़े के सैनिक अधिकाधिक संख्या में राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं । जब्त किए गए हथियारों से यह पता चलता है कि अब और अधिक परिष्कृत तथा विनाशकारी क्षमता वाले हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है ।

3.39 आतंकवादियों पर डाले जा रहे दबाव में वृद्धि की गयी थी और सुरक्षा संबंधी कार्रवाईयों को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के कदम उठाए गए थे । सुरक्षा की कार्रवाईयों में लगी विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाईयों में बेहतर समन्वय स्थापित करने, सूचना के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने तथा स्थानीय पुलिस और प्रशासन का और अधिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्यपाल के सलाहकार (गृह) के अधीन एक एकीकृत कमान का गठन किया गया था । इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई

तथा अधिकांश संगठनों के अनेक शीर्षस्थ "स्वयंभू" कमांडरों सहित काफी बड़े संख्या में आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे या मारे गए थे ।

3.40 डोडा जिले में हिंसा के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया था । कुछेक अप्रिय घटनाओं, जिनमें सुरक्षा बलों के अनेक कार्मिक मारे गए थे/घायल हुए थे, के बावजूद इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई थी । घाटी के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सफलता अभियान चलाए गए थे जहां आतंकवादियों के इकट्ठे होने की खबरें प्राप्त हुई थीं ।

3.41 नियंत्रण रेखा/सीमा पर चौकसी में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक संख्या में घुस-पैठियों को मारा गया था तथा हथियार बंद घुस-पैठियों को गिरफ्तार किया गया था । काफी बड़ी संख्या में ज्ञात/संदिग्ध विदेशी राष्ट्रकों को भी मार गिराया गया था । इनमें अधिकतर पाकिस्तानी तथा अफगानी राष्ट्रक थे ।

3.42 इन सबके परिणामस्वरूप आतंकवादियों के बीच निराशा और अव्यवस्था के लक्षण दिखाई पड़े । गिरोहों की आपसी प्रतिद्वंदिता तथा झड़पों में वृद्धि होने के अलावा आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध हत्याएं/लूटपाट, जबरन वसूली, अपहरण, बलात्कार इत्यादि किए जाने के कारण अपराधीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि के संकेत दिखाई दिए । मुखबिर और विरोधी करार दिए गए निर्दोष नागरिकों पर हमलों तथा उनके अपहरण/हत्याओं की घटनाओं में काफी वृद्धि दिखाई दी। इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित प्रेस के विरुद्ध हमले और हिंसक कार्रवाई करने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई । जम्मू में फरवरी, 1993 में एक सर्वदलीय सम्मेलन के आयोजन के तत्काल बाद राजनीतिक नेताओं के संबंधियों का खात्मा कर दिया गया था तथा ऐसे व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों को उत्पन्न खतरे बने रहे । जे.के.एल.एफ. के साथ जुड़े हुए एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ, डा0 अब्दुल अहद गुरु जैसे सुविख्यात व्यक्तियों का खात्मा सिर्फ इस संदेह के कारण कर दिया गया था कि वे सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं । उन सब घटनाओं से यह पता चलता है कि बंदूक के भय को बनाए रखने के लिए जी जान से प्रयास किए जा रहे हैं ।

3.43 हिंसा के जारी रहने के बावजूद स्थिति में तथा आतंकवादियों और तथा-कथित "आन्दोलन" के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में स्पष्ट गुणात्मक परिवर्तन दिखाई दिया । लोगों को सड़कों पर आने के लिए उकसाने तथा बड़े पैमाने पर अव्यवस्था और मुठभेड़ की स्थिति पैदा करने के लिए आतंकवादियों तथा बिना भूमिगत हुए कार्य कर रहे अलगाववादी संगठनों ने जी

तोड़ प्रयास किए थे । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए थे । श्रीनगर तथा घाटी के अन्य हिस्सों में स्थित मुसलमान धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त/नष्ट करने के लिए सितंबर,1993 के मध्य से एक योजनाबद्ध अभियान चलाया गया था ताकि इन सबकी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों पर थोप कर जन उन्माद तथा धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न की जा सके । 21 सितंबर तथा 3 नवंबर,1993 के बीच इस प्रकार कम से कम 9 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इन सभी प्रयासों को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया था ।

3.44 इस दिशा में निराशा की स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में किया गया एक प्रयास तब उजागर हुआ था तब 15 अक्तूबर को हजरतबल दरगाह में "पवित्र स्मृति चिह्न" के साथ छेड़-छाड़ करने का प्रयास सामने आया था । प्रबंधन द्वारा तत्काल दरगाह के निरीक्षण की कार्रवाई तथा अंदर बैठे आतंकवादियों को अलग-थलग करने के लिए दरगाह के परिसर के चारों ओर घेरा डालने के कारण आतंकवादी अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे, और इस प्रकार एक अत्यंत विस्फोटक स्थिति को टाल दिया गया था । प्रशासन तथा सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शित उल्लेखनीय संयम तथा धैर्य, दृढ़ संकल्प, दरगाह के अंदर बंधक बनाए गए निर्दोष व्यक्तियों के प्रति मानवता की भावना तथा स्पष्ट कार्रवाई के कारण तथा बातचीत करके तथा समझा बुझाकर इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों के अलावा आम जनता द्वारा प्रदर्शित संयम और समझ बूझ के परिणामस्वरूप इस संकट का 16 नवंबर को उस समय शांतिपूर्वक समाधान हो गया था जब आतंकवादियों ने अपने हथियारों, जिनमें विस्फोटक सामग्री तथा वायरलैस उपस्कर शामिल थे, सहित आत्मसमर्पण कर दिया था । दरगाह के अंदर से 62 व्यक्ति बाहर आए थे । छान-बीन के बाद जिन 35 व्यक्तियों को निर्दोष पाया गया था उन्हें रिहा कर दिया गया जबकि शेष 27 व्यक्तियों, जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दो पाकिस्तानी राष्ट्रिक शामिल थे, के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे ।

3.45 इस घटना की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि हजरतबल के तथा कथित "घेरेबंदी" के दौरान आतंकवादियों तथा उनके रहनुमाओं द्वारा लोगों को सड़कों पर आने के लिए उकसाने तथा बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पैदा करने के प्रयासों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया था ।

3.46 लगभग 30 ओवर ग्राउंड अलगाववादी संगठनों का एक समूह कुल जमात हुर्रियत कांफ्रेंस की सितंबर,1993 में स्थापना की गई थी । हजरतबल घटना के दौरान यह संगठन

Acc. 2002-D-52121
Date...18/9/02........

उभर कर सामने आया था । इस घटना के दौरान तथा इसके बाद प्रशासन ने इस संगठन के प्रतिनिधियों को समझौता वार्ता तथा विचार-विमर्श में लगाया था । तथापि टाल-मटोल की नीति तथा प्रत्येक सदस्यों द्वारा अपनी नेतागीरी दिखाने के प्रयासों से इन सदस्यों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है । ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की स्थापना सभी अलगाववादी संगठनों को एक छत के नीचे लाने के प्रयास-स्वरूप की गई थी तथा इसके बारे में देश तथा विदेश के विभिन्न वर्गों के बीच काफी टीका-टिप्पणी तथा अटकलबाजी की गई थी ।

3·47 केन्द्रीय गृह मंत्री ने 17 नवंबर, 1993 को श्रीनगर का दौरा किया था । उन्होंने घोषणा की थी कि हजरतबल घटना से उभर कर सामने आए सकारात्मक पहलूओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार अपेक्षित पहल करेगी । गृह मंत्रालय से संबंद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक 26 नवंबर, 1993 को आयोजित की गई थी जिसमें गृह मंत्री ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में सभी दलों का सहयोग मांगा था तथा यह घोषणा की थी कि इस प्रयोजनार्थ सर्व-दलीय समिति गठित की जाएगी । उन्होंने राज्य के राजनैतिक नेताओं तथा तत्वों से आगे आने तथा हिंसा समाप्त कर सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में सहयोग देने का आग्रह किया ।

3·48 सर्व दलीय शिष्टमंडल, जिसने विगत वर्ष के दौरान घाटी का दौरा किया था, के सदस्यों ने चालू वर्ष के दौरान लद्दाख तथा जम्मू क्षेत्रों का दौरा किया था । राज्य की स्थिति के बारे में गृह मंत्री ने विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया था । विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक अनौपचारिक ग्रुप ने भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया तथा सितंबर, 1993 में राज्य का दौरा किया ।

3·49 लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करने तथा निचले स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष के दौरान अन्य पहल भी किए गए । राज्य मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) ने अनेक बार राज्य का दौरा किया तथा विभिन्न स्तरों पर जनता तथा अधिकारियों के साथ मुलाकात की जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

3·50 पर्यटन तथा उद्योग सहित अन्य विकासात्मक और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए योजना तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली तथा श्रीनगर में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की थी । ग्रामीण विकास, सड़क, संचार तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर की गई थी तथा इस क्षेत्र में पर्यटन को फिर से बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू किए गए थे । इन प्रयासों में

और तेजी लाने के प्रस्ताव हैं ।

3.51 राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का पता लगाने तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए थे । राज्यमंत्री (आ.सु.) ने इस प्रयोजनार्थ योजना तैयार करने के लिए अंतरमंत्रालय बैठकें की थी । केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाए गए थे जिसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा । इस वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में 517 व्यक्तियों की भर्ती की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 1990 से अब तक भर्ती किए कुल व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 688 हो गई है । इन सभी प्रयासों को जारी रखा जा रहा है तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

3.52 स्थानीय प्रशासन को पुनः सक्रिय तथा और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भी प्रयास किए गए थे । शिकायत निवारण तंत्र को पुनः सक्रिय बनाने तथा सुरक्षा संबंधी कार्रवाईयों में स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला-स्तर पर स्क्रीनिंग कम कोऑर्डिनेशन कमेटीज गठित की गई थी । इस तंत्र को चुस्त दुरुस्त तथा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । गबन का एक प्रमुख मामला भी प्रकाश में आया था जिसमें अनंतनाग में तत्कालीन उपायुक्त सहित 30 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया था । इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था । सतर्कता के संबंध में कार्रवाई को तेज किया जा रहा है । स्थानीय पुलिस को पुनः सक्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर जम्मू और कश्मीर संवर्ग के एक अधिकारी को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था ।

3.53 सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में जे. के.ए.पी. के एक कॉंस्टेबल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के परिणामस्वरूप जे.के.ए.पी. के कार्मिकों ने अप्रैल, 1993 में एक सप्ताह का आंदोलन किया था । निरंतर जारी प्रयासों, धैर्य और संयम के कारण यह आंदोलन बिना शर्त समाप्त कर दिया गया था । बाद में 89 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया था/ विभागीय कार्रवाई की गई थी ।

3.54 इस बात के कड़े अनुदेश जारी किए गए थे कि सुरक्षा बलों की कार्रवाईयां आसूचना पर आधारित होनी चाहिए तथा इसे दिशाहीन नहीं होना चाहिए और अत्यंत उत्तेजक स्थितियों में भी संयम बरता जाना चाहिए ताकि नागरिकों के जानमाल को कम से कम नुकसान पहुंचे। तथापि, 6 जनवरी, 1993 को सोपोर में 10 अप्रैल, 1992 को लाल चौक में तथा 22 अक्तूबर, 93 को बिजबेहरा में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा था तथा इसके अलावा । अगस्त, 1993 को एक परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो

गयी थीं । इन सभी मामलों में तत्काल जांच के आदेश दिए गए थे तथा इन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है हालांकि उपर्युक्त कुछ मामलों में आतंकवादियों के दबाव के कारण जनता का एक वर्ग सहयोग नहीं कर रहा है । ग्रेनेडों तथा विस्फोटक सामग्री इत्यादि से लगातार सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर किए जा रहे हमलों के बावजूद इस संबंध में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप जवाबी गोली चलाने की कार्रवाई में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है । सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय के स्तर पर इन रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती रही कि मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन हो रहा है । इसके अलावा जांच को समय पर समाप्त करने, इसकी मानिटरिंग करने तथा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इन सभी संगठनों में मानव सेल गठित किए गए है ।

3.55 तथापि उपर्युक्त के होते हुए भी, आतंकवादी संगठनों तथा पाकिस्तान ने देश के विरुद्ध भड़काऊ प्रचार तथा जोरदार दुष्प्रचार जारी रखा जो कि जम्मू व कश्मीर में इन तत्वों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति का एक मूलभूत हिस्सा है । अपनाई जा रही इस रणनीति का प्रमाण इस तथ्य में है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू व कश्मीर पर भारत विरोधी धमकी भरे अपने प्रस्ताव के लिए विश्व राजधानियों में समर्थन की गुहार करते हुए देश के भीतर कश्मीर घाटी में हजरत बल दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों पर अपने कुकृत्यों से राज्य और देश में आग लगा रहा है। इस भ्रामक प्रचार, राज्य में आतंकवाद भड़काने में पाकिस्तान की भूमिका इससे हो रही हिंसा की मात्रा व सीमा अर्थात शासन की सभी स्थापित प्रणालियों और लोक तांत्रिक संस्थाओं का विनाश का भण्डाफोड़ करने के कई चैनलों के माध्यम से प्रयास किए गए ।

3.56 जैसा पहले बताया गया, स्थानीय मीडिया पर धमकियों और हमलों में तेजी से वृद्धि हुई ताकि इसका मुंह बन्द किया जा सके और इसे आतंकवादियों का प्रवक्ता बनने के लिए मजबूर किया जा सके । दूसरी तरफ से इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिले जहां यू.एस. में प्रचार करने वाली एक फर्म के व्यक्तियों को एक ग्रुप सहित प्रेरित किए गए व्यक्तियों ने जिन्होंने झूठ-मूठ में अपने को सी.एन.एन. टीम बताते हुए राज्य में जाने की छूट का लाभ उठाकर गुप्त रूप से प्रचार सामग्री एकत्र करने के लिए घाटी का दौरा किया । इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्कता में बढ़ोत्तरी की गई । इसी दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार कक्ष जिन्हें आतंकवादी हिंसा के दौर में पहले दिल्ली व जम्मू में स्थानान्तरित कर दिया गया था, ने श्रीनगर में पुनः काम करना शुरू कर दिया और लगातार धमकियों, अनेक इलैक्ट्रानिक मीडिया कार्मिकों पर हमले तथा उनकी हत्याओं के बावजूद लगातार वहां काम कर रहे हैं । इन हमलों में नवम्बर, 1993 में दूरदर्शन परिसर पर राकेट हमला शामिल है, जिसमें स्टेशन इन्जीनियर मारा गया था ।

3.57 कश्मीर पण्डित समुदाय के 250,000 व्यक्तियों से अधिक, और कई मुस्लिम परिवार जो घाटी छोड़ गए थे वे अभी भी घाटी से बाहर हैं । घाटी से बाहर प्रवासियों के स्थाई पुनर्वास की सरकार की नीति में विचार नहीं किया गया है बल्कि उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने घरों को वापस भेजने के हालात बनाए जाएं । घाटी और राज्य से जबरन बाहर रहने की अवधि के दौरान उन्हें मुहैया कराई गई सुविधाएं जारी हैं । विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से उनकी समस्याओं और कठिनाईयों की समीक्षा करने और हर संभव सीमा तक उनके दुःखों और कठिनाईयों को कम करने के प्रयास किए गए । तथापि प्रवासियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है । 27-28 दिसम्बर,1993 को एक विश्व कश्मीर पण्डित सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासियों की दुर्दशा और उनकी मांगों पर भी प्रकाश डाला गया ।

3.58 केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रवासियों से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा करने की दृष्टि से उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया, इस तरह के विचार-विमर्श तथा परामर्श को नियमित आधार पर जारी रखा जाना है ताकि उनकी कठिनाईयों को दूर किया जा सके और घाटी में अपने घरों को लौटने के लिए तरीके ढूंढ निकाले जा सकें ।

3.59 लद्दाख के लोगों की विकास आवश्यकताओं, उनकी परम्पराओं और सांस्कृतिक धारोहर के संरक्षण और क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से उपयुक्त सांस्थानिक प्रबंधों की स्थापना के बारे में लद्दाख क्षेत्र राज्य के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श जारी रखा गया । अंतिम विचार-विमर्श 8-9, अक्तूबर,1993 को हुआ जिसमें गृह मंत्री की उपस्थिति में शुरू में लेह के लिए एक स्वायत्त पर्वतीय परिषद की स्थापना पर सहमति हुई । राज्य सरकार इस के लिए एक विधायी प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसमें किसी उपयुक्त समय पर कारगिल में इसी प्रकार की परिषद के गठन की व्यवस्था भी होगी ।

3.60 राज्य में व्याप्त सुरक्षा की कठिन स्थिति और निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा विशाल पैमाने पर शुरू किए गए प्रचार अभियान के बावजूद, सरकार ने राज्य के संबंध में पूरे खुलेपन

और पारदर्शिता की नीति बनाए रखी । इसके परिणामस्वरूप आगुन्तों और यात्री समूहों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में विदेशी मीडिया से जुड़े लोगों और पत्रकारों, कूटनीतिज्ञों, संसदविदों और अन्य लोगों ने वर्ष के दौरान बेरोक टोक राज्य का दौरा किया । आगन्तुकों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग का एक शिष्टमंडल भी शामिल था । अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति (आई·सी·आर·सी·) के एक दल को भी राज्य का दौरा करने की अनुमति दी गई । कुल मिलाकर 14 देशों के राजदूतों के दो अलग-अलग शिष्ट मंडलों ने भी फरवरी और मार्च, 1994 के दौरान राज्य का दौरा किया ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति

3·61 पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व व्यवस्था की स्थिति विभिन्न विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों से प्रभावित रही । बोडो सिक्योरिटी फोर्स, उल्फा और एन·एस·सी·एन· जैसे उग्रवादी संगठनों पर विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया गया । जैसा कि विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के तहत अपेक्षित है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण बनाए गए थे, जिन्होंने विधिवत विचार करने के उपरांत प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना की पुष्टि की ।

3·62 मैतेई उग्रवादी संगठनों नामतः पीपुल्स रिवोलेशनरी आर्मी, पीपुल्स रिवोलेशनरी पार्टी आफ कंगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी और यू·एन·एल·एफ· पर लगा प्रतिबंध 25·10·1993 को समाप्त हो गया । चूंकि इन संगठनों की हिंसक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी इसलिए इन संगठनों पर लगे प्रतिबंध को 26·10·1993 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

3.63 मणिपुर और नागालैण्ड राज्यों में कानून व व्यवस्था की स्थिति विद्रोही गुटों की हिंसक गतिविधियों से प्रभावित रही । इसके अतिरिक्त मैतेई पंगल्स और अन्य मैतेइयों के बीच साम्प्रदायिक झगड़ों, कूकी और नागाओं के बीच जातीय दंगों के कारण मणिपुर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी । इस स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सेना को विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान तेज करने के निर्देश दिये गये । अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती तथा समन्वित कार्रवाई से हालात पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा । दिसम्बर,1993 से काफी कुछ सुधार हुआ ।

3.64 सुरक्षा समस्याओं के संबंध में सूचना के आदान प्रदान और उपायों के तालमेल के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित मंच नामतः पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय कांफ्रेंस ने 8 जुलाई,1993 को अपनी तीसरी बैठक का आयोजन किया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त सुरक्षा माहौल पर विचार-विमर्श किया ।

घुसपैठ की संभावना वाले क्षेत्रों में पहचान पत्र जारी करने की योजना

3.65 भारत सरकार ने गुजरात व राजस्थान राज्यों के चुनिन्दा क्षेत्रों के लिए प्रथम बार 1986 में पहचान पत्र जारी करने की पायलेट योजना मंजूर की थी । वास्तविक निवासियों का पंजीकरण करना, निवासियों के स्तर के बारे में विश्वसनीय सूचना एकत्र करना, और इस योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में 30 दिनों से अधिक ठहरने वाले आगन्तुकों की आवाजाही को रोकना, इस योजना के उद्देश्य थे । सचिवों की समिति द्वारा 1990 में इस योजना की समीक्षा की गयी थी । उनकी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि शुरू में इस योजना को सभी सीमावर्ती राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए । तदनुसार भारत बंगलादेश सीमा से लगने वाले पूर्वोत्तर राज्यों से योजनाएं बनाने का अनुरोध किया गया था ।

3.66 सितंबर,1992 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था :-

(i) इस योजना को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विधायन की आवश्यकता, और

(ii) पहचान पत्र जारी करने के लिए कम्प्यूटरीकृत लेजर इमेज प्रिंटिंग (क्लिप) का उपयोग ।

इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के आधार पर एक पत्रक तैयार किया गया था और मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । मई,1993 में मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया :-

(i) संसद में एक केन्द्रीय विधायन प्रस्तुत किया जाए ।

(ii) पहचान पत्र जारी करने की योजना चरणबद्ध तरीके से राजस्थान, गुजरात पंजाब, असम, मिजोरम, मेघालय त्रिपुरा पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के घुसपैठ की संभावना वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाए और,

(iii) प्रत्येक वर्ष व्यय सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए योजना आवंटन में से किया जाएगा ।

3.67 क्लिप्स, मशीनों की पूंजीगत लागत और क्लिप्स के रख-रखाव इस प्रणाली पर कार्य करने वाले स्टाफ की लागत को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है ।

तथापि, संबंधित राज्य को आवेदन पत्र आमंत्रित करने, पूछताछ करने, आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने, रिकार्ड रखने तथा अनुवर्ती कार्रवाई पर होने वाली लागत वहन करनी होगी । मंत्रिमण्डल के निर्णय के मुताबिक राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन पहले ही शुरू कर दिया है । योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है । पहचान पत्र योजना के लिए केन्द्रीय विधायन हेतु विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और इसे संसद के शरदकालीन सत्र (1993) में प्रस्तुत किया गया था ।

<u>भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सड़कों का निर्माण/बाड़ लगाना</u>

3.68 भारत में बंगलादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त,1993 में निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किये थे :-

(i) कंटीले तारों की बाड़ लगाकर भारत बंगलादेश सीमा पर वास्तविक अवरोध खड़े करना, और

(ii) भारत बंगला देश सीमा के साथ-साथ सड़कों के नेटवर्क का निर्माण करना।

3.69 इस योजना की प्रगति की बारीकी से मानीटर करने और समयबद्ध योजना के तहत सीमा सड़कों का निर्माण कार्य और बाड़ लगाने का कार्य पूरा करने के लिए इस योजना की विस्तृत समीक्षा की गयी है । नए प्रबंधों के तहत यह संपूर्ण कार्य 831.17 करोड़ रु0 की कुल लागत से मार्च,1996 में पूरा किया जाएगा जबकि पूर्व समय सीमा मार्च,1998 थी । जनवरी,1994 के अंत तक 628 कि0मी0 सड़कों और 216 कि0मी0 बाड़ लगाने का कार्य 264.00 करोड़ रु0 के व्यय से पूरा किया गया ।

3.70 कार्य की समय अनुसूची के अनुरूप भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य सरकारों का अधिकतम सहयोग देना अपेक्षित है । राज्य सरकारों की ओर से कार्य करने के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वे भूमि अर्जन, पर्यावरणीय अनुमोदन के लिए भारत सरकार को स्वीकृति हेतु योजनाएं प्रस्तुत करने और निर्माण अभिकरणों द्वारा निर्माण कार्य का मानीटर करने से संबंधित हैं ।

बोडो सिक्योरिटी फोर्स और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम(उल्फा)पर प्रतिबंध की पुष्टि

3.71 बोडो सिक्योरिटी फोर्स को भारत की संप्रभुता और अखण्डता को नष्ट करने के उद्देश्य से गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों की दृष्टि से विधि विरुद्ध क्रिया कलाप(निवारण) अधिनियम,1967 के तहत 23 नवंबर,1992 से गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया था । इस बारे में जारी अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई. के. सबरवाल के विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) न्यायाधिकरण भेजा गया था । उक्त न्यायाधिकरण ने 15 मई,1993 के अपने आदेश में बोडो सिक्योरिटी फोर्स को गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना की पुष्टि की है ।

3.72 उल्फा की लगातार हिंसक गतिविधियों को देखते हुए इस संगठन पर 27 नवंबर,1992 को पुनः प्रतिबंध लगाया गया था और इस बारे में जारी की गयी अधिसूचना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसपाल सिंह के विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) न्यायाधिकरण में भेजी गयी थी । उक्त न्यायाधिकरण ने 24 मई,1993 के अपने आदेश में उल्फा को गैर-कानूनी संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना की पुष्टि की है ।

त्रिपुरा में चकमा शरणार्थी

3.73 बंगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में अशांत हालातों के कारण 1986 से लगभग

57,000 जनजातीय शरणार्थी भारत आए हैं । वे त्रिपुरा में 6 अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं और उन्हें खाद्यान्न, आश्रय, कपड़े और अन्य नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं क्योंकि इन शरणार्थियों को बंगलादेश लौटना है इसलिए उनके वापिस भेजने के मुद्दे पर बंगलादेश के प्रधान मंत्री के साथ उनके 1992 में भारत दौरे के दौरान चर्चा की गयी थी । अक्तूबर, 1993 में गृह सचिव के बंगलादेश दौरे के दौरान पुनः इस मुद्दे पर चर्चा की गयी । बंगलादेश सरकार ने सभी जनजातीय शरणार्थियों को वापिस लेने की अपनी इच्छा जाहिर की और रियायतों की घोषणा की। बंगलादेश के प्राधिकारियों के समक्ष आगे विचार-विमर्श करने के बाद शरणार्थियों के वापिस लौटने की प्रक्रिया 15 फरवरी, 1994 को शुरू हुई और 1854 शरणार्थी बंगलादेश वापिस जा चुके हैं । त्रिपुरा राज्य सरकार को आगे शरणार्थियों को वापिस भेजने का कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया है ।

भारत और म्यांमार के सिविलियन सीमा प्राधिकारियों के बीच समझबूझ तथा सहयोग का ज्ञापन

3.74 भारत और म्यांमार के सिविलियन सीमा प्राधिकारियों के मध्य सहयोग के समझौते ज्ञापन पर 21 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र का उल्लंघन रोकने के सभी आवश्यक उपाय करना है । इसका उद्देश्य विद्रोहियों,नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले और अन्य गतिविधियों में लिप्त तत्वों द्वारा सीमा के आर पार जाने जैसे गैर कानूनी और नकारात्मक सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से मानीटर करना तथा नियंत्रण करना भी है ।

भारत-म्यांमार सीमा के साथ सीमा पिलरों का रख-रखाव,मरम्मत/पुनर्निर्माण

3.75 भारत म्यांमार सीमा पर 1994 के दौरान 49 सीमा पिलरों को मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए चुना गया है ।

गृह सचिव का बंगलादेश दौरा

3.76 गृह सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने 7-9 अक्तूबर,1993 को बंगलादेश का दौरा किया । इस दौरे के उद्देश्य थे,बंगलादेश द्वारा भारतीय विद्रोही ग्रुपों को दी जा रही सहायता के बारे में हमारी गंभीर चिन्ता व्यक्त करना;लगातार गैरकानूनी प्रवासन के कारण हमें होने वाली कठिनाईयों के बारे में बंगलादेश पक्ष से विचार-विमर्श करना;चकमा शरणार्थियों को कैसे शीघ्रता से वापस भेजा जाए, पर विचारों का आदान प्रदान करना और उपर्युक्त मुद्दों पर

बातचीत करने और सहयोग के लिए सांस्थानिक प्रबंध करने की कोशिश करना । अन्य बातों के साथ-साथ ग्राउन्ड लैवल पर और केन्द्रीय सरकार लैवल संयुक्त कार्यकारी दल के रूप में पर भी सांस्थानिक तंत्र के गठन पर सहमति हुई है जिससे कि उनके आपस में स्वीकार समाधान के लिए सभी शेष सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातीचीत जारी रखी जा सके । भारत म्यांमार संयुक्त कार्यकारी दल, जिसमें दोनों तरफ के सीमा क्षेत्रों के शीर्षस्थ स्तर के अधिकारी हैं, की बैठक 7-9 मार्च, 1994 के दौरान इम्फाल, मणिपुर में हुई तथा परस्पर स्वीकार्य प्रबंधों के माध्यम से सुधरे सीमा प्रबंधन के बारे में कई उपयोगी निर्णय लिए गए हैं ।

अध्याय - IV

मानवाधिकार

4.1 मानवाधिकार संबंधी मुद्दे देश और विदेश में अधिकाधिक ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मानवाधिकारों के मामलों के संबंध में पिछले वर्ष किए गए विभिन्न पहल और प्रयास जारी रहे और इस वर्ष उनमें विस्तार किया गया ।

4.2 पिछले वर्ष 14 सितंबर,1992 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद विस्तृत विचार विमर्शों के अनुसरण में मानवाधिकार आयोग विधेयक,1993 बनाया गया और 14 मई,1993 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया । यह विधेयक गृह मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति को भेज दिया गया था । इसी दौरान विभिन्न घटनाक्रमों और देश के अहित करने पर लगी कतिपय ताकतों के सघन प्रयासों और उनसे उत्पन्न तात्कालिकता को देखते हुए राष्ट्रपति ने 28 सितम्बर,1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश,1993 प्रख्यापित किया । पूर्व विधेयक जो बाद में वापस ले लिया गया था, को प्रस्तुत किए जाने के बाद भिन्न मंचों पर किए गए विचार विमर्शों से प्राप्त विचारों और सुझावों के आधार पर इस विधेयक में कतिपय संशोधन जोड़े गए । समिति ने संसद को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके अधिकांश संशोधन इस अध्यादेश में जोड़ दिए गए थे । इस अध्यादेश के संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापन के लिए 9 दिसम्बर,1993 को लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था । संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे 8.1.1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

4.3 अध्यादेश के प्रख्यापन के अनुसारण में भारत के भूतपूर्व न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा की अध्यक्षता में 3 अक्तूबर,1993 को पांच सदस्यीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था । भारत सरकार के सचिव स्तर के एक अधिकारी श्री आर. वी. पिल्लई की सेवाएं आयोग को सौंपी गयी जो इसके महासचिव नियुक्त किए गए । आयोग को अन्य स्टाफ और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करायी गयी । इस आयोग ने नवंबर,1993 से कार्य करना शुरू किया । इस आयोग ने कई मामलों पर विचार किया है । आयोग द्वारा यथा अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने और अपना भरपूर सहयोग देने के लिए संबंधित सभी को हिदायतें जारी की गयी थी ।

4.4 वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए कि मंत्रालय में पिछले वर्ष गठित मानवाधिकार सैल अतिरिक्त पदों की स्वीकृति तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ पूरी तरह काम करना शुरू कर दे । केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को फिर लिखा कि वे राज्य स्तर पर कारगर ढंग से वैसी ही व्यवस्था करें । उपलब्ध सूचना के अनुसार,इस संबंध में अधिकांश राज्यों में पहले से ही प्रबंध किए गए हैं । उन कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में, जिनकी सूचना दी जाए, कम्प्यूटरीकृत सूचना तंत्र का विकास करने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं और राज्य सरकार से इस मामले में मासिक सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया है ।

4.5 वर्ष के दौरान देश में गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे । इन प्रयासों को जारी रखने का प्रस्ताव है ।

4.6 एमनेस्टी इन्टरनेशनल के नवम्बर,1992 में नई दिल्ली में अपने प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान जो बातचीत शुरू की थी, वह जारी रही । वर्ष के दौरान एमनेस्टी इन्टरनेशनल सहित कतिपय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को मानवाधिकार स्थिति का अध्ययन करने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा करने हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया गया था । इस निर्णय के अनुसरण में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक टीम जनवरी, 1994 में बम्बई में आयी।

4.7 इन्टरनेशनल कमीशन आफ जूरिस्टस के एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने 15-24 अगस्त,1993 तक भारत का दौरा किया । बाहर से समर्थित आतंकवाद और हिंसा, विशेषकर जम्मू व कश्मीर और पंजाब मे, और भारत में मानवाधिकार स्थिति के विभिन्न पहलुओं,जिनमें मानवाधिकार संरक्षण के लिए विद्यमान संवैधानिक और कानूनी ढांचा तथा अन्य संस्थान शामिल हैं, तथा उन विशेष कानूनों के बारे में शिष्टमंडल के साथ व्यापक विचार विमर्श किए गए थे जिनकी व्यापक आलोचना होती रही है तथा उनका प्रचार भी होता रहा है । इस शिष्टमंडल ने श्रीनगर और जम्मू का भी दौरा किया ।

4.8 अन्तरर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के अनुरोध पर देश के कतिपय भागों में विद्यमान आतंकवादी हिंसा के संदर्भ में मानवाधिकार और मानवीय कानून से संबंधित मसलों पर उनके साथ बातचीत शुरू की गई थी । आईसीआरसी फार एशिया एंड पैसीफिक के डेलीगेट जनरल ने भारत

का दौरा किया और मार्च, अगस्त तथा दिसम्बर, 1993 में राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) तथा केन्द्रीय गृह सचिव के साथ विचार विमर्श किया । इन विचार विमर्शों के अनुसरण में, यह प्रस्ताव है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जेनेवा कानवेंशनस के बारे में आईसीआरसी तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक संगठनों (सी0सु0बल,के0रि0पु0बल तथा भा0ति0सी0पुलिस) द्वारा संयुक्त रूप से एक संगोष्ठि का फरवरी,1994 में आयोजन किया जाए ।

4·9 आई0सी0आर0सी0 के इस अनुरोध पर कि उन्हें जम्मू व कश्मीर जाने की अनुमति दी जाए, आई0सी0आर0सी0 की एक टीम को वहां जाने की अनुमति दी गई । निकट भविष्य में उनके वहां जाने की संभावना है ।

4·10 वर्ष के दौरान कामनवैल्थ ह्यूमन राइटस इनीशिएटिवस (सीएचआरआई) को, जो राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को बढावा देने के लिए एक गैर सरकारी संगठन है, अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए लंदन से नई दिल्ली स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई थी । सीएचआरबीआई ने अपना कार्यालय अब नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया है ।

4·11 विद्यमान व्यापक संवैधानिक और कानूनी रक्षा उपायों तथा इस ढाचे को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी शामिल है, मानवाधिकारों की बाबत देश को बदनाम करने के लिए अभिप्रेरित प्रचार में कोई कमी नहीं आई । मानवाधिकार मसलों को खुल्लमखुल्ला राजनैतिक रंग देने, उसे तोड मरोड कर पेश करने तथा उसका दुरूपयोग करने के जानबूझकर प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई पडते थे: इस प्रयास में पाकिस्तान ने विशेष रूप से ऐसे प्रचार और दुष्प्रचार का सभी संभव अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में, जिनमें यूएन भी शामिल है, उपयोग करने, कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का प्रयास किया । इन प्रयासों का जोरदार तरीके से विरोध किया गया ।

4·12 भारत में और विशेष कर जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब जैसे कुछ राज्यों में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में रिपोर्टों को देश के अंदर तथा बाहर के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किया गया था । इन संगठनों में अमेरिका स्थित ऐशिया वाच, अमेरिका और डेनमार्क स्थित फिजीशियन फार ह्यूमन राइट्स, पेरिस स्थित इन्टरनेशनल फैडरेशन फार ह्यूमन राइट्स,तथा यू0के0 स्थित एमनेस्टी इन्टरनेशनल जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं । इनमें से अधिकांश संगठनों ने पक्षपातपूर्ण तथा अत्यधिक बडा चढाकर तस्वीर प्रस्तुत की और इस प्रकार पाकिस्तान के राजनैतिक प्रचार अभियान में योगदान देने में सहायता की । ऐसी अनेक रिपोर्टों की विस्तृत प्रतिक्रियाएं जारी की गई और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा

आपत्तियों तथा खंडनों को व्यक्त किया गया । सही स्थिति पेश करने के लिए, दौरा करने वाले अनेक शिष्टमंडलों तथा डिप्लोमैटिक समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें इस मंत्रालय में विदेश मंत्रालय के सहयोग से लगातार आयोजित की गई थी ।

4·13 इस मंत्रालय ने विदेशों में स्थित मिशनों को उन मसलों तथा घटनाओं के बारे में, जिनका प्रचार उद्देश्यों के लिए अनुचित लाभ उठाया जा सकता है, नियमित सूचना और रिपोर्टें भेजने की प्रणाली भी शुरू की । इन मिशनों ने मंत्रालय द्वारा उन्हें भेजी जा रही सूचना को प्रचार तथा दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए बहुत उपयोगी पाया ।

4·14 दुष्प्रचार तथा प्रचार का मुकाबला करने के लिए इन सभी प्रयासों के एक भाग के रूप में, जम्मू व कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तान की सही भूमिका का और ऐसी गतिविधियों के उद्देश्य का पर्दाफ़ास करने के भी प्रयास किए गए जो अस्थिरता फैलाकर, वर्तमान प्रजातांत्रिक संस्थानों और प्रणाली को नष्ट करके और एकाधिक,बहुजातीय और बहुधार्मिक धर्म निरपेक्ष पद्धति को धराशायी करके क्षेत्र को मिलाने का प्रयास करता है । यह भी बताया गया कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्षवाद सबसे अधिक पक्की गारंटी है ।

4·15 साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि उग्रवादियों द्वारा बडे पैमाने पर हिंसा, निर्दोष व्यक्तियों की अंधाधुंध हत्याओं तथा संपत्ति को नष्ट करने के बावजूद, सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण तथा संभव ज्यादतियों को रोकने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है । जम्मू व कश्मीर जैसे सुव्यवस्थित आतंकवाद द्वारा बूरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में भी तत्काल जांच-पड़ताल की गई थी और किसी भी सुविचारित अपराधों, भारी लापरवाही या निर्दयता के लिए दोषी पाए गए सुरक्षा बल कार्मिकों को कठोर दंड दिया गया था । वर्ष 1990-91 से जम्मू व कश्मीर में 170 कार्मिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सार इस अध्याय के अनुलग्नक पर संलग्न है ।

4·16 वर्ष के दौरान, मानवाधिकार संबंधी विश्व सम्मेलन 14-25 जून, 1993 को वियना में यू॰ एन॰ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था । केन्द्रीय वित्त मंत्री भारतीय शिष्ट मंडल के नेता थे । इस मंत्रालय के गृह सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव ने भारतीय शिष्ट मंडल

के सदस्यों के रूप में भाग लिया ।

4.17 इससे पहले अप्रैल, 1993 में मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में बैंकाक में आयोजित एशियन रीजनल कांफ्रेंस में विश्व सम्मेलन के लिए प्रारंभिक प्रयोग के एक भाग के रूप में हिस्सा लिया ।

4.18 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का 50 वां सत्र जनेवा में 31 जनवरी से 11 मार्च, 1994 तक आयोजित किया गया । इस मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया ।

अनुलग्नक

(31.12.93 की स्थिति के अनुसार)

सरसरी दृष्टि में सार - जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ उनके कथित ज्यादतियों के लिए की गई कार्रवाई ।

	आर्मी	बी.एस.एफ.	सी.आर.पी.एफ.	कुल
कारावास				
10 वर्ष	4 अन्य @	-	-	4 @
-वही-	1 अधिकारी @	-	-	1 @
9 वर्ष	1 अधिकारी @	-	-	1 @
7 वर्ष	1 अधिकारी @ *	-	-	1 @ *
-वही-	-	1 कांस्टेल @	-	1 @
5 वर्ष	-	2 कांस्टेल @	-	2 @
3 वर्ष	-	1 लांस नायक @	-	1 @
1 वर्ष	-	1 एस आई @	-	1 @
6 माह	1 एन सी ओ @	4 कांस्टेबल @	-	5 @
3 माह और कम अवधि	1 अन्य	31 कांस्टेबल	4 कांस्टेबल	36
	1 लांस नायक ÷	-	-	1 ÷
	-	-	12 कांस्टेबल #	12 #
	-	-	1 लांस नायक #	1 #
	10	40	17	67
शामिल :	1	-	-	1
	8 @	9 @	-	17 @
	1 ÷	-	-	1 ÷
	-	-	13 #	13 #
नौकरी से बरखास्तगी /	1 अन्य	1 कांस्टेबल	2 हेड कांस्टेबल	5
हटाया जाना	-	-	1 नायक	1
अनिवार्य रूप से	-	-	1 लांस नायक	1
सेवा निवृत्त किए गए	-	-	9 कांस्टेबल	9
	1	2	13	16

रैंक में कमी/	1 अधिकारी	2 हैड कॉस्टेबल	1 लॉस नायक	4
वरिष्ठता का नुकसान	2 अन्य	1 लॉस नायक	-	3
	3	3	1	7
अन्य विभागीय दंड	7 अधिकारी	1 डिप्टी कमांडेन्ट	1 डिप्टी कमांडेन्ट	9
	3 जे सी ओ	1 एस आई	2 इंस्पेक्टर	6
	3 अन्य	2 हैड कॉस्टेबल	2 एस आई	7
	-	1 हैड कॉस्टेबल ÷	-	1 ÷
	1 सूबेदार	4 नायक	2 हैड कॉस्टेबल	7
	-	2 लॉस नायक	5 कॉस्टेबल	7
	-	2 सूबेदार	2 नायक	4
	-	-	3 लॉस नायक	3
	14	13	17	44
शामिल है :	-	1 ÷	-	1 ÷
निलम्बन/ गिरफ्तारी	4 अन्य	4 अधिकारी	2 डिप्टी कमांडेन्ट	10
लंबित जाँच पड़ताल	-	6 अन्य	3 सहायक कमांडेन्ट	9
	-	-	1 एस आई	1
	-	-	2 हैड कॉस्टेबल	2
	-	-	7 कॉस्टेबल	7
	-	-	1 लॉस नायक	1
	-	-	6 अन्य	6
	4	10	22	36
कुल योग :	30	68	70	170
जिसमें शामिल है :	1 *	-	-	1 *
	8 @	9 @	-	17 @
	1 ÷	-	-	1 ÷
	2 #	-	13 #	15 #

* बरखास्त भी किए गए

@ सेवामुक्त भी किए गए

÷ रैंक में भी कमी की गई

\# एक लॉस नायक और 6+5 कॉस्टेबलों के बारे में वेतन और भत्तों को जब्त करना भी शामिल है।

अध्याय-V

भारतीय पुलिस सेवा

5.1 भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है । यह मंत्रालय आई0पी0एस0 के सेवा मामलों, जैसे नियुक्ति, केन्द्र में प्रतिनियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण तथा वेतन आदि को भी देखता है । पहली अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार भा0पु0से0 की प्राधिकृत संवर्ग संख्या 3443 है ।

5.2 वर्ष के दौरान उडीसा और उत्तर प्रदेश के आई0पी0एस0 संवर्ग की संख्या तथा उसके गठन पर त्रैवार्षिक पुनरीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया था ।

पुलिस प्रशिक्षण:

5.3 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के अतिरिक्त "वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम तथा मैनेजमैंट पाठ्यक्रम" जैसे कई सेवाकालीन पाठ्यक्रम भा0पु0से0 अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए थे । मार्च, 1993 तक, 31 वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें 474 आई0पी0एस0 अधिकारियों ने हिस्सा लिया । भारत में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, पुलिस अधिकारियों को आस्ट्रेलिया, जापान, यू0के0, और स्वीडन जैसे बाहरी मुल्कों में भी कतिपय विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाता है ।

5.4 पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के बारे में सुसंगत नीति तैयार करने के उद्देश्य से, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की एक संगोष्ठी 19-20 जुलाई, 1993 को उधमपुर में आयोजित की गई थी । पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो ने भी "मानवाधिकार" "पुलिस जनता संबंध" "साम्प्रदायिक दंगों" आदि के बारे में संगोष्ठियों का आयोजन किया । इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो ने अधीनस्थ राज्य पुलिस के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा की ।

5.5 मंत्रालय द्वारा सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार लाने तथा इसे बढ़िया बनाने पर व्यवस्थित रूप से ध्यान सुनिश्चित करने के परम महत्व की ओर राज्य सरकारों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे । ये प्रयास जारी हैं ।

हमारी सीमाओं के प्रहरी – पंजाब सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल का एक जवान

अध्याय-VI

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल

6.1 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के पुलिस बल लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा उपराध को रोकने/उसका पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं । केन्द्र सरकार ने सीमा नियंत्रण तथा उसके संरक्षण के लिए सीमा सुरक्षा बल (सी0सु0ब0) तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (भा0ति0सी0पु0) की स्थापना की है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जरूरत पड़ने पर राज्य पुलिस बलों की सहायता करके उन्हें प्रबल बनाने के लिए है ।

6.2 आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गठित एक विशिष्ट बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन0एस0जी0) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों में सुरक्षा/एहतियाती कार्यों के लिए तैनात किए जाने वाले केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी0आई0एस0एफ0) का भी गृह मंत्रालय संचालन करता है ।

असम राइफल्स (ए0आर0)

6.3 असम राइफल्स 1835 में प्रारंभ में स्थापित "कछार लेवी" के रूप में स्थापित देश का सबसे पुराना अर्ध-सैनिक बल है। इस बल में एक मुख्यालय महानिदेशक, असम राइफल्स, एक महानिरीक्षक (सेक्टर) मुख्यालय, सात रेंज मुख्यालय, 31 बटालियन, एक प्रशिक्षण केन्द्र, तीन मेनटीनेंस ग्रुप, तीन कार्यशालाएं और कुछ सहायक यूनिटें हैं । इस बल के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर-पूर्वी सैक्टर की सुरक्षा:

(ख) अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड,त्रिपुरा,मिजोरम,तथा मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना :

(ग) नागालैंड,मणिपुर,त्रिपुरा तथा मिजोरम में उग्रवाद-विरोधी अभियान चलाना : और

(घ) तैनाती के क्षेत्र में आन्तरिक सुरक्षा कार्य ।

6.4 यह बल अधिकांशतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद विरोधी अभियान में और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अगम्य तथा ऊसर (बंजर) सीमान्त क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा कार्यों के लिए सेना के प्रचालन नियंत्रण में काम करता आ रहा है ।

6·5 वर्ष के दौरान, बल के 34 कार्मिकों ने कार्रवाई के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी । उग्रवादियों से संघर्ष के अलावा, बल ने पूर्वोत्तर के दूर-दराज क्षेत्र के जनजातीय लोगों को महत्वपूर्ण चिकित्सा तथा नागरिक सहायता उपलब्ध कराई ।

6·6 अप्रैल, 1992 से अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान बल ने 1422 उग्रवादियों को पकड़ा तथा 334 शस्त्र तथा 25 हजार राउंड्स से अधिक गोला-बारूद तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। बल ने 11083 कि0ग्रा0 गांजा, शराब की 1449 बोतलें, नकदी 1,12,98,856 रु0, 2,892 कि0ग्रा0 अफीम तथा 27 ग्राम हेरोइन भी बरामद की । बल द्वारा बड़ी मात्रा में पोस्ता-पॉपी बीज तथा वर्जित माल भी बरामद किया गया ।

6·7 असम राइफल्स कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए, इस अवधि के दौरान बल के विभिन्न रैंकों को शौर्यपूर्ण सेवा के लिए 8 सेना पदक तथा 63 राज्यपाल पदक,25 पुलिस पदक प्रदान किए गए ।

सीमा सुरक्षा बल (सी0सु0बल)

6·8 सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 01 दिसम्बर, 1965 को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी :--

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाना :

(ख) सीमा पार से किए जाने वाले अपराधों,भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश अथवा यहां से अनधिकृत पलायन को रोकना :

(ग) तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना :

(घ) लोक व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना ।

ग्लेशियर विजय अभियान

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित भारत-जापानी अभियान "अक्ताश"

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस स्कूल, औली में स्कीइंग और स्नोक्राफ्ट प्रशिक्षण

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित कैलाश-मानसरोवर यात्रा

6·9 सीमा सुरक्षा बल का युद्धकालीन उपयोग इस प्रकार है :-

(क) कम खतरे वाले सेक्टरों में मोर्चा संभाले रखना, जब तक कि किसी विशेष सेक्टर में मुख्य आक्रमण की स्थिति न आ जाएं और जब तक यह महसूस किया जाए कि स्थानीय स्थिति से निपटने की क्षमता सी0सु0बल में है । सी0सु0बल की यूनिटें किसी सेक्टर विशेष में युद्ध की स्थिति में भी तैनात बनी रह सकती है,जिससे कि सेना को आक्रमक कार्यों के लिए छोडा जा सके । यदि कोई बडा आक्रमण हो रहा हो, जिससे से निपटने की क्षमता सीमा सुरक्षा बल में नहीं हो तो सेना से यह अपेक्षा की जा सकती हैं कि वह या तो सीमा सुरक्षा बल की मदद करे या किसी सेक्टर विशेष में कार्य करने के लिए उसे कार्यमुक्त कर दें ।

(ख) दुश्मन के कमाण्डोज/पैराटूपों अथवा आक्रमण से, महत्वपूर्ण संस्थानों,विशेष रूप से हवाई अड्डों की सुरक्षा करना । यह कार्य सी0सु0बल की उन यूनिटों को सौंपा जा सकता है जिन्हें सेना के प्रचालन नियंत्रण के अधीन रखा जाता है ।

6·10 सी0सु0 बल में 149 बटालियन, सिग्नल रेजिमेंट के अलावा 20 पोस्ट ग्रुप तोपखाना, 3 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 9 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, वाटर विंग, एअर विंग अथवा 9 विशेष यूनिटें हैं ।

6·11 सीमा सुरक्षा बल की प्रमुख जिम्मेदारी भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश की सीमाओं पर है । सेना के प्रचालन नियंत्रण के अधीन कुछ कम्पनियां मणिपुर और नागालैंड की भारत-वर्मा सीमा पर तैनात हैं । सी0सु0बल की कम्पनियों का एक बडा भाग, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश आदि के अलावा जम्मू तथा कश्मीर में आन्तरिक सुरक्षा कार्य के लिए भी तैनात हैं ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के0रि0पु0ब0)

6.12 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी, कि अब एक महिला बटालियन सहित 123 डयूटी बटालियनें हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आतंकवाद तथा विद्रोही कार्रवाईयों को दबाने के लिए के0रि0पु0 बल कार्मिकों को पंजाब, जम्मू व कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बडी संख्या में तैनात किया जाना जारी है । यह बल पूरे वर्ष देश के विभिन्न भागों में आन्तरिक सुरक्षा डयूटियों पर तैनात रहा ।

6.13 दंगों और दंगे जैसी स्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने तथा ऐसे दंगों से पीडित निर्दोष पीडितों की सहायता करने के लिए बल की 123 डयूटी बटालियनों में से 5 बटालियनों को 7.10.1992 से त्वरित कार्रवाई बल में परिवर्तित किया गया । साम्प्रदायिक अशांति तथा आंतकवाद की अवधि के दौरान इन बटालियनों का बम्बई, सीतामढी (बिहार) तेरूवंतपुरम (केरल), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), तथा फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) आदि में इस्तेमाल किया गया ।

6.14 इस वर्ष के दौरान, सितम्बर, 1993 तक के0रि0पु0बल द्वारा 148 उग्रवादी/विद्रोही/भूमिगत अपराधी मारे गए, 7 घायल हुए तथा 428 गिरफ्तार किए गए । समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के 318 अग्नि-शस्त्र तथा गोला-बारूद के 5036 राउन्ड्स भी बरामद किए गए ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी0आई0एस0एफ0)

6.15 के0औ0सु0बल की स्थापना 1968 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक उपक्रमों में दुर्गापुर तथा रांची में पाई गई कुव्यवस्था तथा आगजनी के मामलों की जांच कर रहे न्यायाधीश बी0 मुखर्जी की रिपोर्ट स्वीकार कर लेने के पश्चात की गई थी । आरंभ में इस बल में तकरीबन 3000 कार्मिक थे । और अब इस बल में कार्मिकों की संख्या 87,300 से भी अधिक हो गई है । यह बल उन 215 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति तथा श्रमशक्ति दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो इस उद्देश्य के लिए बल की तैनाती मांगते हैं । यह बल 1989 के के0औ0सु0बल

(संशोधित) तथा 1969 के के0औ0सु0 बल के अंतर्गत बनाई गई नियमावलियों द्वारा शासित है ।

6·16 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, के0औ0सु0बल0 को चार (4) नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में तैनात किया गया, विभिन्न उपक्रमों में के0औ0सु0बल के तैनात करने के 27 नए अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान बल की स्वीकृत स्टाफ सं0 83,781 से बढ़कर 87,397 हो गई ।

6·17 संघ की सशस्त्र सेना होने के कारण के0औ0सु0ब0 को आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों पर भी लगाया गया है ।

6·18 समीक्षाधीन अवधि के दौरान उन उपक्रमों से 1,69,38,984·00/-रू0 मूल्य की संपत्ति की चोरी के 2924 मामलों की सूचना प्राप्त हुई जहां के0औ0सु0बल तैनात है, के0औ0सु0बल कार्मिकों द्वारा 1289 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा 2,49,78,288·00 रू0 मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई ।

6·19 के0औ0सु0बल द्वारा वर्ष के दौरान 3 और सार्वजनिक उपक्रमों को अग्नि सुरक्षा प्रदान की और इसे मिलाकर ऐसे कुल 63 सार्वजनिक उपक्रमों को इस बल द्वारा अग्नि सुरक्षा सेवा प्रदान की जा रही है । अग्नि सुरक्षा विंग ने 1339 विशेष सहायता संदेशों सहित आग लगने की कुल 2793 घटनाओं में कार्रवाई की तथा 8,88,14,535·00/-रू0 मूल्य की संपत्ति बचाई ।

6·20 इस बल का प्रयोग करने वाले उपक्रमों से, दिनांक 1·4·93 से 30·9·93 तक की अवधि के दौरान 135·33 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई जिसमें पिछले वर्ष के बिलों की राशि भी शामिल थी, जबकि 109·72 करोड़ रूपयों की वसूली की जानी थी, जिसके लिए इस अवधि के दौरान बिल प्रस्तुत किए गए थे ।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (भा0ति0सी0पु0)

6·21 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई0टी0बी0पी0) जो केवल 4 बटालियनों के साथ

1962 में आरम्भ की गई थी, की अब 28 बटालियनें हैं, जिनमें 4 विशेषज्ञ बटालियनें तथा 3 प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं । बल की कुल संख्या 29,504 है जिनमें 638 राजपत्रित अधिकारी हैं । बल के कार्मिकों को समुद्र तल से 9,000 से लेकर 18,000 फुट तक की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है और वे लद्दाख (जम्मू और कश्मीर) के काराकोरम दर्रे से लेकर भारत-तिब्बत तथा नेपाल सीमाओं के मिलन-स्थल पर स्थित लिपूलेख दर्रे तक फैली हुई भारत-तिब्बत सीमा के लगभग 2115 किलोमीटर भाग की रक्षा कर रहे हैं । वहां के खराब मौसम तथा 0 डिग्री से 40 डिग्री नीचे तक जाने वाले तापमान तथा जोखिमपूर्ण पर्वतीय भू-भाग की स्थितियां बल की तैनाती के क्षेत्र में अस्तित्व बनाए रखना अत्यन्त कठिन बना देती हैं । बल अति-अति विशिष्ट व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था से संबंधित अन्य कर्तव्यों को कर रहा है तथा पंजाब में बैंकों को सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है ।

विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों में जनशक्ति का विकास

6.22 विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों में जनशक्ति के विकास तथा व्यय का संगठनवार ब्यौरा इस अध्याय के क्रमशः अनुलग्नक-1 तथा 2 में दर्शाया गया है ।

अनुलग्नक-I

विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों में जनशक्ति का विकास

क्र0सं0	वर्ष	रा0सु0गा0	भा0ति0सी0पु0	के0रि0पु0ब0	सी0सु0ब0	अ0रा0	के0औ0सु0ब0
1.	1985	6011	14511	107095	94533	34465	52573
2.	1986	7124	14611	107957	105850	41038	57067
3.	1987	7427	21006	108329	119857	48693	63917
4.	1988	7482	23419	120979	135544	52067	66102
5.	1989	7482	25482	121206	149568	52460	71818
6.	1990	7482	29488	131260	171168	52460	74334
7.	1991	7482	29504	159091	171363	52460	79620
8.	1992	7485	29504	158907	171501	52482	34611
9.	1993	7485	29504	158693	171735	52504	87337

अनुलग्नक-II

के0पु0 संगठनों का वास्तविक व्यय(लाख रुपयों में)

वर्ष	सी0सु0ब0	के0रि0पु0ब0	के0औ0सु0ब0	भा0ति0सी0पु0	अ0रा0 रा0सु0गा0	अ0ब्यूरो	रा0पु0अ0	कुल
85.86	21802.00	19281.20	6325.00	3484.00	8407.00	1562.00	4559.00	143.54	65563.74
86-87	31192.00	22549.34	8025.00	4011.00	10790.00	2572.00	5228.00	202.64	84569.98
87-88	36131.00	26089.40	9887.00	6580.00	12951.00	2130.00	6291.00	257.20	100316.60
88-89	43214.00	30888.00	11055.00	7690.00	13959.00	2615.00	7399.00	295.50	117115.50
89-90	51366.00	42259.21	14200.00	9166.00	16501.00	3719.00	9111.00	330.50	146652.71
90-91	66001.00	43398.65	17196.00	10157.00	17911.00	5274.00	9100.00	309.96	169347.61
91-92	68940.00	58508.98	19996.00	11517.00	19786.00	4558.00	10281.00	354.52	193941.50
92-93	80301.00	63425.00	25836.00	15347.00	24582.00	5678.00	10730.00	513.00	226412.00
93-94	84190.00	69960.00	28556.00	16954.00	26493.00	5444.00	11714.00	586.00	243897.00

केन्द्रीय पुलिस संगठनों का वास्तविक व्यय

1980-81 से आगे

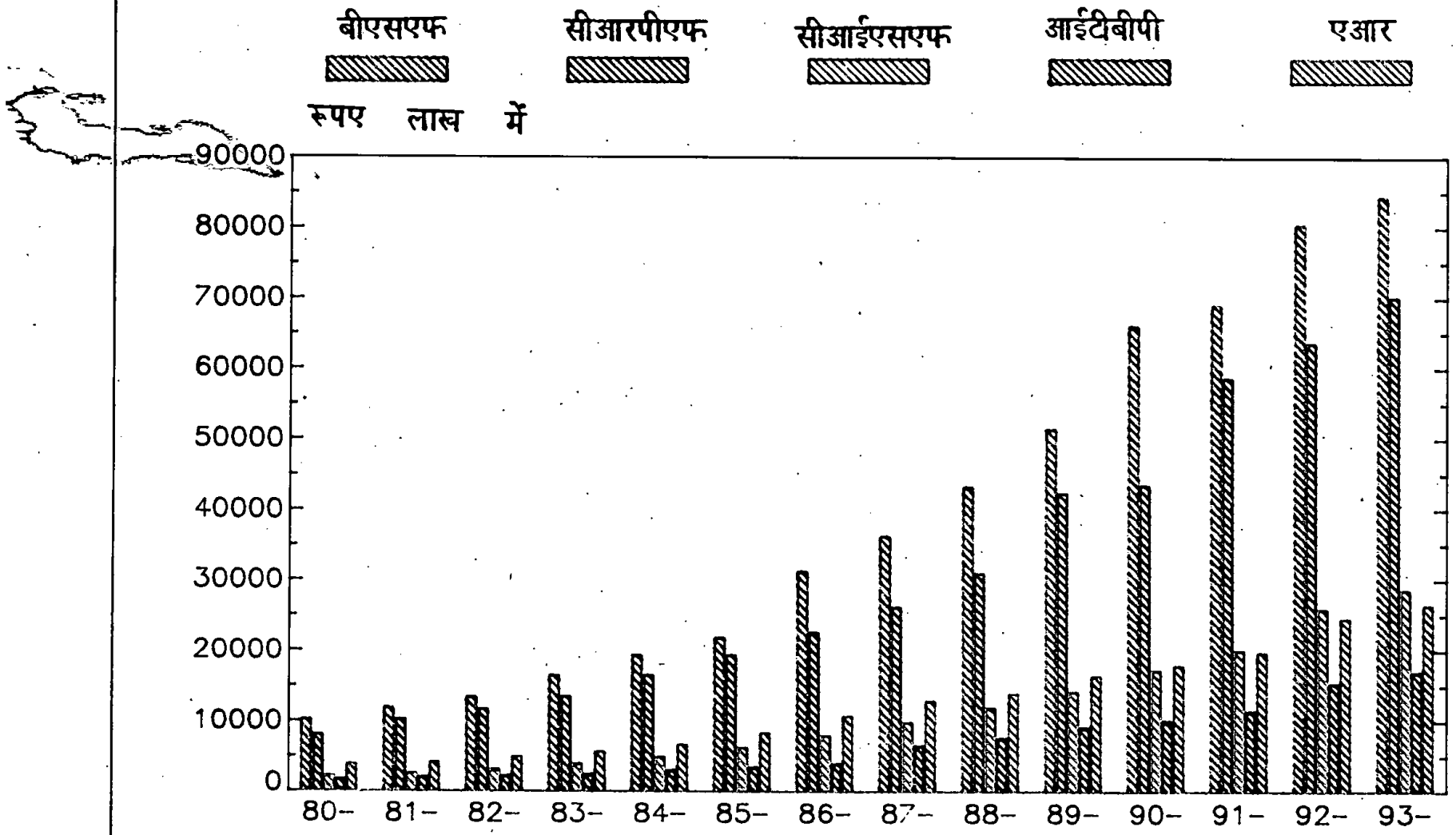

केन्द्रीय पुलिस संगठनों का वास्तविक व्यय

1980-81 से आगे

बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एआर

रूपए लाख में

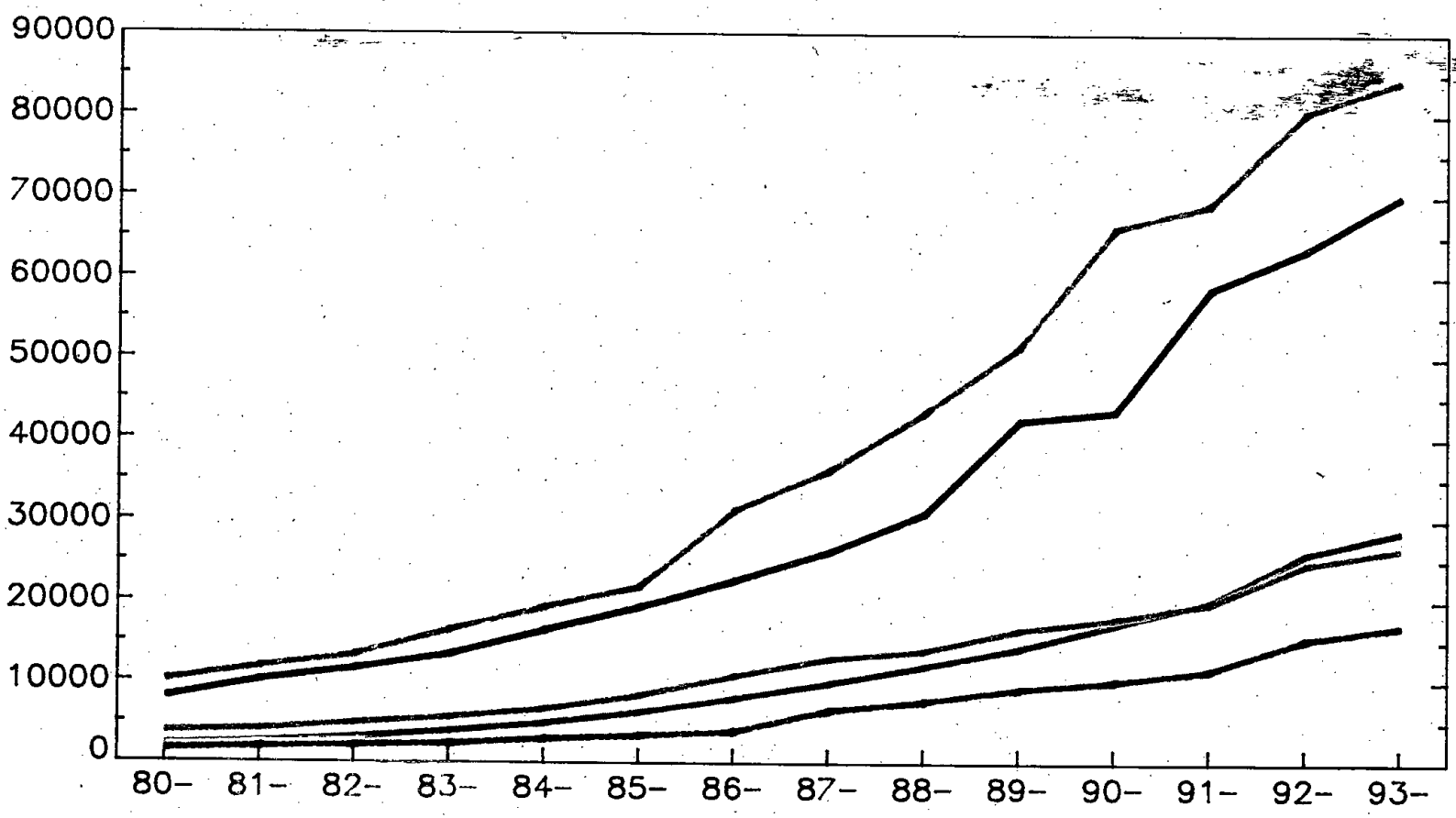

अध्याय-VII

अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन0सी0आर0बी0)

7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया । "अपराध अपराधी सूचना प्रणाली" परियोजना के दूसरे चरण का कार्यान्वयन, कम्प्यूटरीकृत फिंगर प्रिंट विश्लेषण तथा अपराधी खोज प्रणाली की प्रतिष्ठापना तथा संचालन, "राष्ट्र संघ आपराधिक न्याय सूचना नेटवर्क का उपयोग, विश्व के अनेक देशों के विधि परिवर्तन संबंधी डाटा तक पहुंच की सुविधा तथा देश के अपराध सांख्यिकी का प्रकाशन ब्यूरो द्वारा पूरा किए गए कुछ महत्वपूर्ण तथा सफल कार्य हैं ।

7.2 कम्प्यूटरीकृत वांटिड अैरेस्टिड इन्फोरमेशन सिस्टम (तलाश) तथा संपत्ति-समन्वय प्रणाली जो कि पूर्णतः प्रचालित है, से अपराधों का पता लगाने में जांच अधिकारी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है । प्राप्त हुए कुछ परिणाम इस प्रकार है:--

(i) 379 गिरफतार किए गए व्यक्तियों को वांछित व्यक्तियों को संयोजित किया गया ।

(ii) पकडे गए 386 अग्नेयास्त्रों को चुराए गए आग्नेयास्त्रों से समन्वित किया गया ।

(iii) पकडे गए 3266 मोटर वाहनों को चुराए गए मोटरवाहनों से समन्वित किया गया ।

सांख्यिकी बैंकों का निरंतर अद्यतन किया जा रहा है ।

7.3 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में संबद्ध राज्यों के सभी जिलों में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरोक्स तथा जिला अपराध अभिलेख ब्यूरोक्स स्थापित किए गए हैं ताकि आवश्यक फील्ड आधारभूत सुविधाएं उत्पन्न की जा सकें । एक और राज्य, तमिलनाडु में इस कार्य को जल्द आरंभ किया जा रहा है ।

7.4 वर्ष 1993 के दौरान 3 राज्यों में एकीकृत पुलिस कार्यों का कार्यान्वयन किया गया । इस कार्य को 9 अन्य राज्यों में आरंभ भी किया जाने वाला है ।

7.5 देश के अपराध सांख्यिकी के संबंध में "भारत में अपराध-91" का समय पर प्रकाशन हुआ । इस प्रकाशन में नई विशेषताओं विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध पर विशेष रिपोर्ट का समावेश किया गया है । वर्ष 1990 तथा 1991 के संबंध में एक अन्य वार्षिक प्रकाशन "भारत में दुर्घटना से मौतें तथा आत्म हत्याएं " नामक एक और वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित किया गया ।

7.6 मैसर्स सी0एम0सी0 लि0 द्वारा राष्ट्रीय अभिलेख ब्यूरो के साथ सहयोग से विकसित नवीनतम इमेज प्रोसेसिंग तकनीकों वाली एक कम्प्यूटरीकृत फिंगर प्रिंट विश्लेषण तथा अपराध खोज प्रणाली एन0सी0आर0बी0 में आरंभ हुई ।

7.7 पुलिस अनुप्रयोगों के लिए यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित साफ्टवेयरों को राज्यों में आरंभ किया गया :

(i) खोए पाए गए आग्नेयास्त्रों तथा आटोमोबाइल प्रणाली का समन्वय:

(ii) 40 डिजिट फिंगर प्रिंट प्रणाली :

(iii) तलाश (वांटिड/अरैस्टिड सूचना) प्रणाली :

(iv) भारत में अपराध का सांख्यिकी पेकेज तथा मासिक अपराध सांख्यिकी

प्रणाली :

(v) इंटेग्रेटिड पुलिस फार्मस आदि पर डाटा कैपियर :

(vi) आतंकवादी सूचना प्रणाली :

(vii) शस्त्र पंजीकरण प्रणाली ।

7.8 कम्प्यूटर अवेयरनैस इवेंट को पहली बार इस वर्ष बंगलौर में हुई अखिल भारतीय पुलिस डयूटी सम्मेलन, 1993 में शामिल किया गया तथा एन0सी0आर0बी0 ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया ।

7.9 एन0सी0आर0बी0 ने सूचना विनिमय के लिए अपने पी0सी0 टर्मिनल को न्यूयार्क स्थित यूनाइटिड नेशनल क्रिमिनल जस्टिस इन्फारमेशन नेटवर्क प्रणाली, (यू0एन0सीजे0आई0एन0) के साथ सफलतापूर्वक संयोजित किया । एन0सी0आर0बी0 विधि प्रवर्तन के अनेक देशों की सांख्यिकी पर अपनी पहुंच बना पाया है ।

7.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एन0सी0आर0बी0 द्वारा कुल 1392 पुलिस अधिकारियों को विभिन्न तकनीकी तथा कम्यूटर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया ।

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) (स0नि0पु0बे0)

7.11 वर्ष के दौरान, डी0सी0पी0डब्ल्यू ने सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के साथ अविराम दूर संचार संबंध स्थापित किया जाना जारी रखा । बेतार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए तथा त्वरित तथा यातायात के दोषमुक्त निकासी के लिए उन्नत अत्याधुनिक बेतार प्रणाली आरंभ की गई है ।

7·12 डी पी सी डब्ल्यू केन्द्रीय वर्कशाप ने क्रय किए गए तथा वर्कशाप को भेजे गए सभी उपकरणों के मूल्यांकन, निष्पादन, सूचीबद्धता तथा रख-रखाव के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया । वर्कशाप की कार्य कुशलता में वृद्धि लाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड मूल्यांकन टेस्ट सेट किस्म सी ए एस पी-2000, बैटरी चार्जर क्रय किया गया है जिसके द्वारा स्वचल चार्जिन्ग/डिस्चार्जिन्ग की जाएगी । इसके अतिरिक्त कुछ नए उपकरण यथा हाट एयर सोल्डरिन्ग स्टेशन, एक अतिरिक्त संचार टेस्ट सेट डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप तथा फील्ड स्ट्रेन्थ मीटर खरीदे जा रहे हैं ।

7·13 अनुसंधान व विकास गतिविधियों का मुख्य मुद्देश्य केन्द्रीय/राज्य पुलिस बलों की संचार सुविधाओं में सुधार लाना है । यह विनिर्देशनों सुधारों हेतु सुझावों आदि पर परामर्श देकर उपयोगी उपकरणों में सुधार हेतु सरकारी विभागों तथा सीएमसी, बेल आदि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से जुडा है ।

7·14 फिलहाल अनुसंधान व विकास सेल में इलैक्ट्रोनिक गजट के विकास की गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है जिनका प्रयोग आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों वर्कशापों तथा डीपीसीडब्ल्यू/सीपीओ आदि में किया जाता है ।

7·15 स्वचल कट आफ विशेषता सहित एक एनआई कैड बैटरी चार्जर का विकास किया गया है जो इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिन्टर में प्रयुक्त एनआई कैड सेलों की चार्जिन्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है । एनपीटीएन पर कम्प्यूटर आधारित कलर ग्राफिक्स की तैयारी के संबंध में परियोजना परी कर ली गई थी । अनेक उपयोगी परियोजना प्रारंभ की गई हैं ।

7·16 संयुक्त साइफर ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त 40,086 क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज तथा 32770 स्थानीय तौर पर तैयार किए गए दस्तावेज वर्ष के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलैस स्टेशनों को उनके वर्गीकृत संचारों को साइफर कवर प्रदान करने के लिए वितरित किए गए । वर्ष के दौरान 320 कार्मिकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया 1

7·17 वर्ष 1993 के दौरान केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई) मे 27 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जिनमें आधुनिक संचार उपकरणों का दर्जा बढाना तथाउसके प्रचालन का प्रशिक्षण तथा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस दूर संचार

कार्मिकों को विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण देना शामिल है । रेडियो/साइफर विंग के कुल 319 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो(पु·अ·वि·ब्यू·)

7·18 ब्यूरो का संबंध, देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में विज्ञान तथा टैक्नोलोजी के प्रयोग से है और उसके लिए यह ब्यूरो अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करता है 1 यह पुलिस के हथियारों एवं अन्य उपकरणों के विकास की समस्याओं को भी देखता है ।

7·19 तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं तथा तीन केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय कलकत्ता, हैदराबाद तथा चंडीगढ,प्रत्येक में एक-एक है, जिनका प्रशासन भी ब्यूरो द्वारा ही चलाया जाता है ।

7·20 संदेहास्पद दस्तावेजों के राजकीय परीक्षक के कार्यालय हैदराबाद, कलकत्ता तथा शिमला, प्रत्येक में एक-एक स्थित है । ये भी ब्यूरो के अधीन कार्य करते हैं ।

7·21 ब्यूरो का विकास प्रभाग ने दंगा नियंत्रण के लिए सी·आर· गैस की शुरूआत की है तथा टीअर स्मोक यूनिट टेकनपुर में 8000 सी·आर·गैस शेल्स/ग्रेनेड्स का उत्पादन किया जा रहा है । ब्यूरो ने दंगा/प्लास्टिक गोलियों के विकास ·38 एम·एम· रबड गोलियों, वाहनों पर स्थापित जलतोप जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की है । पुलिस हेल्मेटों के मानकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है 1 रबड ट्रनचियन्स सुपर गन ए·एम· 180 स्निपर राइफल आई·सी·आयुधों के लिए बोर क्लीनिंग तरल पदार्थ आदि का मूल्यांकन कार्य किया गया । मैंसर्स बीएचईएल द्वारा विकसित फायरिंग सिमूलेटरों का मूल्यांकन भी किया गया । बहुत से उपस्कारों यथा प्रिन्टर लगे ब्रेथ एनेलाइजर, फेस एनेलाइजर और क्रिमिनल इनवेस्टिगेटर सिस्टम आदि को विकसित करने का काम जारी है ।

7·22 निम्नलिखित परियोजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है :-

(i) स्पीडोफोट

(ii) हस्ताक्षर अधिग्रहण प्रणाली

(iii) स्वचल वाहन प्रबंधन प्रणाली

(iv) भौगोलिक आसूचना प्रणाली

(v) स्वदेशी कम्प्यूटराइज्ड डिटेक्टर

7.23 ब्यूरो के अनुसंधान प्रभाग ने 1993 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा कर लिया है :-

(i) हिंसक अपराधों के शिकार

(ii) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में महिला अपराध शाखा का कार्यकरण

(iii) केन्द्रीय अर्द सरकारी बलों में विभिन्न रैंकों के व्यावसायिक नियोजन पर दल की रिपोर्ट

7.24 ब्यूरो द्वारा मंत्रालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया । सेमिनार में आई.यी.आर.सी. तथा अर्ध सरकारी बलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

7.25 वर्ष के दौरान "पुलिस अनुसंधान तथा विकास जरनल" के चार अंक निकाले गए । "भारतीय पुलिस जर्नल" के दो अंक भी निकाले गए । "डाटा आन पुलिस ओर्गेनाइजेशन" भी निकाला गया जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस संगठनों के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है ।

7.26 ब्यूरो का प्रशिक्षण प्रभाग विभिन्न केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण का समन्वय करता है । वर्ष के दौरान 2 ऊर्ध्वमुखी साहचर्य पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के विभिन्न रैंकों के 40 अधिकारियों ने भाग लिया । भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस सामान्य जन सम्पर्क, साम्प्रदायिक दंगे व भारतीय पुलिस तथा मानवधिकार पर सेमिनार/सिम्पोजियम आयोजित किए गए । वर्ष के दौरान विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो पर विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्रीय अर्ध सैनिक संगठनों को 1050 स्लाट्स आवंटित किए गए । ब्यूरो के कोलम्बो स्कैप योजना के अंतर्गत भारत में प्रशिक्षण हेतु 25 विदेशी प्रशिक्षकों के मामलों पर कार्रवाई की । ये अधिकारी भूटान, मालदीप, नेपाल, सेशेल्स तथा मारीशस आदि से थे ।

7·27 चंडीगढ, कलकत्ता तथा हैदराबाद स्थित 3 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रदर्शों की संख्या 11,383 थी तथा संदेहास्पद दस्तावेजों के राजकीय परीक्षकों के शिमला, कलकत्ता तथा हैदराबाद स्थित कार्यालयों में 5,25,998 थी । के·वि·वि· प्रयोगशाला में, इसी अवधि के दौरान निपटाए गए प्रदर्शों की संख्या 19,370 तथा संदेहास्पद दस्तावेजों के राजकीय परीक्षक कार्यालयों में 1,28,487 थी, इनमें पिछले वर्ष के लंबित प्रदर्श भी शामिल थे ।

राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान संस्थान (रा·अ·वि·वि·सं·)

7·28 विधि विज्ञान संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्य निर्वाहक को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के उद्देश्य से की गई थी ।

7·29 संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है जिनमें न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन, सुधारात्मक सेवाओं, रक्षा, बैंक तथा विधि वैज्ञानिक क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं । वर्ष 1993 के दौरान रा·अ·वि·वि·सं· में 62 पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनमें पूरे भारत से 1164 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । विदेशों से अनेक अधिकारियों ने सेवा कालीन प्रशिक्षण में भाग लिया ।

7·30 वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गईं :-

i) भारत पुलिस सेवा परिवीक्षार्थियों के व्यक्तित्व का परिचय

ii) भारत के महा नगरों में सत्र/विशेष न्यायालयों में मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में विलम्ब तथा उनका निपटान

iii) लेक्टिन्स में जैव-रासायनिक तथा सीरम विशेषज्ञता का अध्ययन

iv) एन्टीजन का अनुप्रयोग अपराध विज्ञान में एन्टीबाडी तकनीक

v) मादक पदार्थों तथा विषों के चयापचय का अध्ययन

vi) अगन्यास्त्र दागने हेतु कक्ष निर्धारित

vii) पोलीमोरफिज्म एन्जाइम प्रणाली पर विभिन्न संदूषणों का प्रभाव

viii) स्याहियों, कागजों तथा अन्य लेखन सामग्रियों के तात्विक संघटन का गुणात्मक व मात्रात्मक विश्लेषण

7·31 वर्ष 1993 के दौरान अपराध विज्ञान तथा अपराध सांख्यिकी के भारतीय जर्नल के खंड सं0 XI। 1-2 तथा खंड XI।। सं0 3-4 प्रकाशित किए गए 1 इसके अतिरिक्त अंगुलियों की छाप, डी·एन·ए· परिचय, अपराध अन्वेषण, न्यायालय निर्णय अपराध विज्ञान अभ्यासों, उपशमक-रोधी मादक पदार्थ का गुणात्मक विश्लेषण तेल, फ्लैश फोटोग्राफी पर शोध पत्र प्रकाशित किए गए । विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा विश्वविद्यालयों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गई ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी{स·व·भा·प·रा·पु·आ·}

7·32 सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी की स्थापना माउंट आबू में सन् 1948 में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में की गई थी और इसे हैदराबाद स्थित इसके वर्तमान परिसर में सन् 1975 में ले जाया गया । भारत के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के रूप में यह अकादमी इन्डक्शन स्तर के तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों और समुद्री पारीय पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित करती हैं । अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सेवा के समूह "क" अधिकारियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम भी यह संस्थान आयोजित करता है । अकादमी का "प्रशिक्षण खंड" पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । यह अकादमी विभिन्न स्तरों की वरिष्ठता वाले आई·पी·एस· अधिकारियों के लिए वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम तथा पुलिस कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषीकृत पाठ्यक्रम भी आयोजित करती है ।

7·33 वर्ष के दौरान अकादमी द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में 774 से अधिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

पुलिस पदक

7·34 वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए :

क "वीरता पदक"

{वीरता के किसी कार्य के निष्पादन पर प्रदान किया जाता है}

i) वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक 4{31·10·1993 तक}

ii) वीरता के लिए पुलिस पदक 77{31·10·1993 तक}

ख "सेवा पदक"

(गणतंत्र दिवस 1993 तथा स्वतंत्रता दिवस 1993 के अवसर पर प्रदान किए प्रदान किए गए)

i)	विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	75
ii)	उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक	656

अध्याय-VIII

केन्द्र-राज्य संबंध

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग

8.1 केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया । सिफारिशों के अनुसरण में, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अन्तर्राज्य परिषद गठित की गई ।

8.2 10.10.1990 को हुई अन्तर-राज्य परिषद की पहली बैठक के निर्णय के अनुसार 27 दिसम्बर, 1990 को केन्द्र राज्य परिषद की एक उप-समिति गठित की गई थी, जो केन्द्र राज्य संबंधों के विस्तृत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकारिया आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की गहराई से संवीक्षा करेगी और उन पर ठोस सुझाव देगी । 26.9.1991, 7.12.91,15.1.1992,15.9.92,11.2.93 तथा 24.4.1993 को उप समिति की 6 बैठकें हुई हैं । उप-समिति ने अभी तक आयोग की रिपोर्ट के अध्याय-II,III,IV,V,VII, VIII,XI,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVII,XVII,XVIII,XIX,XX तथा XXI पर अपनी सिफारिशों पर विचार तथा उन्हें अंतिम रूप दिया है ।

8.3 कुल 247 सिफारिशों में से (एक सामान्य प्रेक्षणों सहित) 191 पर अब तक विचार किया गया है । इनमें से 123 सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार्य कर लिया गया है, 32 को आशोधनों सहित स्वीकार किया गया है (सरकारिया आयोग की 10 सिफारिशों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया क्योंकि नई औद्योगिक नीति की धोषणा हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप पूरे औद्योगिक सैक्टर में लाइसेंसिंग समाप्त किया गया, विनियमितिकरण समाप्त किया गया और उदारीकरण किया गया) और 24 सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया । सभी 11 सिफारिशों पर आम सहमति नहीं हो सकी और एक सिफारिश पर विचार किया गया ।

मेहम कांड पर जांच आयोग

8·4 उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायविद श्री डी0पी0 मडोन की अध्यक्षता में निम्नलिखित मामलों की जांच हेतु दिनांक 24·7·90 को जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक जांच आयोग का गठन किया :--

(क) हरियाणा विधान सभा के लिए हुए उप चुनाव में मेहम चुनाव क्षेत्र से खड़े एक उम्मीदवार श्री अमीर सिंह की 16/17 मई, 1990 की रात को हुई मृत्यु से तुरन्त तुरन्त पहले की परिस्थिति जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई ,

(ख) मदीना गांव में हुई हिंसक घटनाओं से संबंधित तथ्य तथा उसमें पुलिस प्राधिकारियों की भूमिका, और

(ग) उससे संबंधित कोई अन्य मामला अथवा घटना ।

न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 मदान के त्यागपत्र के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री के0एन0 सैकिया को 8 अगस्त, 1991 को मेहम जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । अब आयोग का कार्य प्रगति पर है । आयोग का कार्यकाल 30·4·1994 तक बढ़ा दिया गया है ।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन

जम्मू और कश्मीर

8·5 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य लगातार राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा । जम्मू और कश्मीर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब रहने के कारण

संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से राज्य में राष्ट्रपति शासन को 19.2.94 को जारी किए गए एक संवैधानिक आदेश द्वारा 3 सितम्बर,1993 से 6 महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया । संविधान के अनुच्छेद 356 को, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है में आगे और संशोधन करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि को और एक वर्ष तक बढ़ाया गया । जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 3 मार्च,1994 से और 6 महीने तक बढा दिया गया और इस इस आशय का एक कानूनी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया गया ।

त्रिपुरा

8·6 संविधान के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य के बाबत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिनांक 11·3·93 को जारी की गई घोषणा दिनांक 10·4·93 को रद्द कर दी गई थी तथा चुनी हुई सरकार ने शासन संभाल लिया ।

उत्तर प्रदेश

8·7 राज्य में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से दिनांक 6·6·1993 से छः माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया । उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुनाव 18-21·11·93 को सम्पन्न हुए । संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में दिनांक 6·12·92 को घोषणा जारी की गई तथा इसे 4·12·93 को रद्द कर दिया गया तथा इसी दिन चुनी हुई सरकार ने शासन संभाल लिया ।

मध्य प्रदेश

8.8 संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन 15.6.1993 से छः माह की और अवधि को बढ़ाया गया । मध्य प्रदेश विधान सभा के चुनाव 24-27.11.1993 को हुए । मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की गई घोषणा 7 दिसम्बर, 1993 को रद्द कर दी गई तथा चुनी गई सरकार ने उसी दिन सत्ता संभाली ।

हिमाचल प्रदेश

8.9 संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन 15.6.1993 से छः माह की और अवधि के लिए बढ़ाया गया । हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनाव 9.11.1993 को हुए। हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत 15 दिसम्बर 1992 को जारी की गई घोषणा 3 दिसम्बर 1993 को रद्द कर दी गई तथा चुनी हुई सरकार ने उसी दिन सत्ता संभाल ली ।

राजस्थान

8.10 संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन 15.6.1993 से छः माह की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया । राजस्थान विधान सभा के चुनाव 11.11.1993 को हुए । राजस्थान राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की गई घोषणा 4 दिसम्बर, 1993 को रद्द कर दी गई तथा चुनी हुई सरकार ने उसी दिन सत्ता संभाल ली ।

मणिपुर

8.11 मणिपुर राज्य के संबंध में 31 दिसम्बर, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक घोषणा जारी की गई ।

झारखण्ड आन्दोलन :

8.12 झारखण्ड समस्या के लिए व्यवहार्य समाधान ढूंढ़ने के लिए मंत्रालय ने 23.8.1989 को झारखण्ड मामलों पर एक समिति गठित की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्री को 18.5.1990 को प्रस्तुत की । तथापि, समिति बिहार राज्य में आने वाले क्षेत्र के लिए स्वायत्तता का कोई उपाय करते हुए एक सिंगल राजनैतिक प्रशासनिक ढांचे पर सर्व-सम्मति पर नहीं पहुंच सकी । अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने 20 फरवरी, 1991 को पटना का दौरा किया तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से अनेक विचार विमर्श किए । मोटे तौर पर, यह सहमति हुई कि झारखण्ड केन्द्रीय परिषद के गठन के लिए शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा एक मसौदा विधेयक तैयार किया जाएगा जो कि इस क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा । तत्पश्चात् बिहार विधान मण्डल ने झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक, 1991 पारित किया ।

8.13 वर्ष के दौरान झारखण्ड स्वायत्त परिषद के गठन अथवा संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए झारखण्ड संगठनों द्वारा बंद तथा नाकाबंदी के आयोजन किए गए ।

8.14 इस मुद्दे के किसी स्वीकार्य हल पर पहुंचने के उद्देश्य से बिहार सरकार, विभिन्न राजनैतिक दलों तथा झारखण्ड ग्रुपों के साथ उनके विचार जानने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री तथा राज्य मंत्री द्वारा अनेक विचार - विमर्श किए गए । केन्द्र सरकार ने झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक, 1991 पर अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी तथा राज्य सरकार से यह अनुरोध किया कि वे इन टिप्पणियों को देखते हुए झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक में आशोधन करे । तथापि, राज्य सरकार ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार या तो विधेयक पर सहमति दें या फिर उस पर अपनी सहमति रोक लें । सरकार तदनुसार इस संबंध में राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है ।

राज्यपुलिस बलों का आधुनिकीकरण :

8.15 अपने बलों को आधुनिक बनाने के राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए केन्द्र सरकार एक योजनेत्तर योजना लागू कर रही है । 1969-70 में प्रारम्भ की गई यह योजना इस समय अपने तीसरे चरण में है जो कि 2000 ईस्वी तक है । 1992-95 के दौरान वार्षिक आवंटन 30 करोड़ रूपये है । सहायता का तरीका 50% ऋण तथा 50% सहायता अनुदान जारी रहेगा । यह सहायता संचार, गतिशीलता, प्रशिक्षण, जांच के लिए वैज्ञानिक मदद, भीड़ नियंत्रण उपकरण तथा प्रशिक्षण जैसे मदों पर व्यय करने के लिए दी जाती है । चालू वर्ष के लिए 30 करोड़ रूपये का प्रावधान है । चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को वास्तव में दी गई राशियों का विवरण इस अध्याय के

अपराध सूचना पद्धति

8.16 केन्द्र सरकार ने अपराध सूचना पद्धति स्थापित करने की परियोजना शुरू की है। परियोजना में राष्ट्रीय राजधानी में एक मेनफ्रेम कम्प्यूटर, विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 36 मेनफ्रेम तथा जिला मुख्यालयों में 452 माइक्रो-कम्प्यूटर स्थापित किए जाने की व्यवस्था है । यह पद्धति जिला स्तर पर डाटा के चुनिन्दा भण्डारण तथा प्रोसेसिंग वाले संवितरित डाटा प्रोसेसिंग के सिद्धान्त पर आधारित है । इन कम्प्यूटरों को अन्ततः राष्ट्रीय पुलिस दूर-संचार नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा । इस पद्धति के लिए साफ्टवेयर को पुलिस की आवश्यताओं की पूर्ति के लिए कस्टमाइज किया जाएगा । इस परियोजना को 1991-92 से 1994-95 तक की अवधि में तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है । 7.04 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान 1993-94 में रखा गया है ।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय :

8.17 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठकें जयपुर में क्रमशः 22 मार्च तथा 25 जून, 1993 को हुई । बिजली, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कल्याण, शिक्षा तथा जल आपूर्ति से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की गई ।

राज्य विधायन :

8.18 संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार मुख्यतः राज्य सरकार के निम्न प्रकार के विधायी प्रस्ताव कार्रवाई के लिए इस मंत्रालय में प्राप्त हुए है :-

(i) संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक।

(II) अध्यादेश (अनुच्छेद 213 के खण्ड । का परन्तुक) ।

(III) संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परन्तुक के अन्तर्गत अपेक्षित राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक ।

(IV) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विनिमय (संविधान की पांचवी अनुसूची)

8.19 इसके अतिरिक्त विधेयक, जिन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना अपेक्षित होता है, कभी -कभी राज्य सरकार द्वारा उन्हें राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व केन्द्र सरकार की प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेज दिए जाते है । यह संवैधानिक अपेक्षा नहीं है बल्कि केवल प्रशासनिक सुविधा का मामला है ताकि केन्द्र सरकार की टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य विधान मण्डल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं होगा ।

8.20 इन विधायी प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व इनकी भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की जाती है ।इस प्रकार के प्रस्तावों पर शीघ्र अमल करने के उद्देश्य से सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी जांच के लिए समय सीमाएं निर्धारित की गई है । परिणामस्वरूप निपटान में तेजी लाई गई है । वर्ष 1993-94 (1.1.93 से 30.9.1993 तक) निपटाए गए / अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों की संख्या नीचे दी गई है :-

क्रम संख्या	विवरण	विधेयकों की संख्या
1.	विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई	43
2.	वापिस लिए गए विधेयक	5
3.	विधेयक जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई	1
4.	राज्य विधान मंडल में पेश किए जाने से पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक	18
5.	अध्यादेश	17
		84

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन :

8.21 दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1993 ने निम्न व्यवस्था करने के लिए संहिता में संशोधन किया :

(क) जाँच में सहायता अथवा कार्यवाहियों में साक्ष्य देने के उद्देश्य से हिरासत में रखे गए व्यक्तियों सहित संविदाकारी राज्यों के बीच व्यक्तियों का हस्तान्तरण,

(ख) ऐसा अपराध, जो दूसरे देश में किया गया हो अथवा किया गया है, के कृत्य से प्राप्त सम्पत्तियों की कुर्की तथा जब्ती, और

(ग) दूसरे देश में न्यायालय द्वारा जारी किए गए कुर्की तथा जब्ती आदेशों का प्रवर्तन ।

8.22 फिरौती के लिए अपहरण आदि के अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था करने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1993 ने भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा 364-क अंतःस्थापित की तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ परिणामी संशोधन किए ।

दया याचिकाएँ :

8.23 1.1.1993 से 30.9.1993 तक की अवधि के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दण्ड के परिवर्तन के लिए भारत के राष्ट्रपति को दो दया याचिकाएँ प्राप्त हुई तथा उन पर विचार किया गया । इन याचिकाओं की प्राप्ति के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा इन याचिकाओं का निपटान कर दिया गया ।

8.24 विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत अपराधियों को दिए गए दण्ड की माफी के 10 मामलों पर भी उक्त अवधि के दौरान विचार किया गया तथा निपटान किया गया ।

अनुलग्नक

पुलिस बल योजना 1993-94 का आधुनिकीकरण-चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान प्रदान की गई वास्तविक राशि :

(₹0 लाख में)

राज्य का नाम	आवंटन	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	किस्त
आन्ध्र प्रदेश	209·56₹0		76 · 67₹0	
अरूणाचल प्रदेश	46·27₹0		23 · 13₹0	23·14 रुपए
असम	95·43₹0		47·72₹0	—
बिहार	233·43₹0		116·56 ₹0	—
गोवा	58·96 ₹0		29·48 ₹0	—
गुजरात	150·18 ₹0		75·09 ₹0	—
हरियाणा	71·71 ₹0		35·85 ₹0	—
हिमाचल प्रदेश	40·69 ₹0		20·34 ₹0	20·35 ₹0
जम्मू एवं कश्मीर	81·54 ₹0		40·77 ₹0	—
कर्नाटक	150·80 ₹0		67·86 ₹0	—
केरल	113·99 ₹0		----	—
मध्य प्रदेश	237·82 ₹0		107·06 ₹0	130·76 ₹0
महाराष्ट्र	251·29 ₹0		125·65 ₹0	—
मणिपुर	34·63 ₹0		17·32 ₹0	17·31 ₹0
मेघालय	25·94 ₹0		12·97 ₹0	—
मिजोरम	43·89 ₹0		21·94 ₹0	—
नागालैण्ड	38·03 ₹0		15·42 ₹0	—
उड़ीसा	104·61 ₹0		52·30 ₹0	—
पंजाब	84·65 ₹0		38·09 ₹0	—
राजस्थान	154·92 ₹0		77·46 ₹0	—
सिक्किम	17·22 ₹0		18·61 ₹0	8·61 ₹0
तमिलनाडु	196·75 ₹0		98·37 ₹0	—
त्रिपुरा	46·53 ₹0		23·26 ₹0	—
उत्तर प्रदेश	336·30 ₹0		168·15 ₹0	—
पश्चिम बंगाल	174·77 ₹0		87·39 ₹0	—
योग:	3000·00 ₹0		1387·44 ₹0	200·16 ₹0

नोट : 1992-93 के दौरान जारी की गई निधियों के 100% उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी ।

अध्याय-IX

जेल

जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण :

9.1 यद्यपि "जेल" राज्य का विषय है, भारत सरकार सुरक्षा तथा अनुशासन, पुराने भवनों की मरम्मत तथा नवीकरण, प्रशासनिक प्रबंधों को मजबूत करने, जेल स्टाफ को प्रशिक्षण, कैदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने जैसे क्षेत्रों में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को वित्तीय सहायता देती रही है । मंत्रालय के अनुरोध पर योजना आयोग इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 योजना कार्यक्रम (प्लान स्कीम) के रूप में मान लेने को तैयार हो गया है ।

सुधार अधिकारियों तथा स्टाफ का प्रशिक्षण :

9.2 जेल स्टाफ के प्रशिक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों नामतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली एवं चण्डीगढ़ के लिए चण्डीगढ़ में क्षेत्रीय सुधार प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई है ।

नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड्स तथा अग्निशमन सेवा

नागरिक सुरक्षा

10·1 नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य शत्रु के हमले के समय जीवन की रक्षा करना, सम्पत्ति को कम-से-कम क्षति पहुंचने देना व औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखना है ।

10·2 नागरिक सुरक्षा उपायों के लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता वर्गीकृत शहरों तक ही सीमित है । महत्वपूर्ण प्लांटे/प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षण सुविधाएं और मार्ग दर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है ।

10·3 थोड़े से वेतनभोगी स्टाफ व स्थापना को छोड़ कर, जिन्हें आपातस्थिति के दौरान बढ़ा दिया जाता है, नागरिक सुरक्षा मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संगठित है ।

10·4 शत्रु का हमला सन्निकट होने पर द्रुतगामी चेतावनी संचार व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से टेलीफोन लाइनों तथा रेडियो/वायरलैस दोनों पर एक विश्वसनीय और लचीला नेटवर्क नागरिक सुरक्षा वाले वर्गीकृत शहरों में स्थापित किया गया है । कमांड, नियंत्रण, समन्वय व सम्पर्क के उद्देश्य से अधिकांश वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों से संचार सुविधाएं, टेलीफोन लाईनों व रेडियो पर दोबारा से भी नियोजित तथा स्थापित की गई हैं ।

10·5 शांति के समय में नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण/प्रदर्शन करने के अलावा नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में स्वेच्छा से तैनात किया जाता है जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अपनी ओर से बाढ़ व भूचाल, तूफान व सूखा इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्य में प्रशासन को सहायता देना भी शामिल है ।

10·6 इस समय नागरिक सुरक्षा की गतिविधियां 24 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैले 110 वर्गीकृत शहरों तक सीमित है । नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का वर्तमान लक्ष्य 6·40 लाख है, जिसमें से 3·60 लाख पहले ही लिए जा चुके हैं तथा 3·20 लाख को प्रशिक्षित किया गया है ।

10·7 देश में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण त्रि-स्तरीय धारणा अर्थात स्थानीय/शहरी स्तर पर, राज्य स्तर

और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है । इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज, नागपुर, नागरिक सुरक्षा और आपदा राहत प्रबंधन के विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है । वर्ष,1993 के दौरान, कालेज ने 13 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 354 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । 1957 में कालेज शुरू होने के बाद से कालेज में अभी तक 27429 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

10·8 वित्त वर्ष,1993-94 के दौरान, राज्यों को नागरिक सुरक्षा पर प्राधिकृत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 6·20 करोड़ रूपयों की राशि आबंटित की गई है । चालू वित्त वर्ष के दौरान समूची आबंटित राशि का उपयोग होने की संभावना है ।

होम गार्ड्स

10·9 होम गार्ड्स एक स्वैच्छिक बल है जिसका गठन सर्व प्रथम दिसम्बर,1946 में सिविल गड़बड़ी और साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस को सहायता देने के लिए किया गया था । इसके बाद, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपनाया गया । 1962 में चीनी आक्रमण को ध्यान में रखकर केन्द्र ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अपने विद्यमान स्वैच्छिक बलों का समावेश कर एक होम गार्ड्स नामक बल का गठन करने की सलाह दी थी । होम गार्ड्स की भूमिका, कानून और व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने में एक सहायक बल के रूप में पुलिस की मदद करना, हवाई हमलों, अग्नि, तूफान, भूचाल, महामारी, इत्यादि जैसी आपातकालीन स्थिति में समुदायों की मदद करना, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने, साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने और कमजोर वर्गों की सुरक्षा में प्रशासन की मदद करना, सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेना तथा उनका आयोजन करना तथा नागरिक सुरक्षा की ड्यूटियां करना है ।होम गार्ड्स दो प्रकार के होते है-ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती राज्यों में बार्डर विंग होम गार्ड्स बटालियनों का गठन भी किया गया है जो कि सुरक्षा बलों की सेवा, एक सहायक बल के रूप में करता है । देश में होम गार्डों की कुल प्राधिकृत संख्या 5,47,136 है। जिसमें इस समय 4,60,753 होम गार्ड्स हैं ।अरूणाचल प्रदेश और केरल के अतिरिक्त यह संगठन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में फैला है ।

10·10 होम गार्ड्स की स्थापना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के होम गार्ड्स अधिनियम और नियमों के अधीन की जाती है । इनको समाज के विभिन्न वर्गो जैसे कि डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, अध्यापकों, पेशेवरों, सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों, कालिज व

विश्वविद्यालयों के छात्रों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों इत्यादि से भर्ती किया जाता है जोकि समाज की बेहतरी के लिए संगठन को अपना फालतू समय उपलब्ध कराते हैं । 18-50 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक होमगार्ड्स के सदस्य बनने के पात्र हैं । होम गार्ड्स की सदस्यता की सामान्य अवधि 3 से 5 वर्ष तक की है। होम गार्ड्स को दी जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क वर्दी और धुलाई भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क भोजन और आवास, वीरता और उत्कृष्ट तथा सराहनीय सेवाओं के लिए नकद पुरस्कार तथा पदक देना शामिल है । जब कभी भी किसी होम गार्ड्स को ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो उसे जेब खर्चे के अतिरिक्त निर्धारित दरों पर ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है । संगठन में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले और बेसिक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित सदस्यों को केन्द्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकार की सेवाओं के ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" के पदों में प्राथमिकता दी जाती है । पुलिस द्वारा होम गार्डो का कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की रोकथाम, डकैती विरोधी उपायों, सीमा पर गश्त लगाने, बाढ़ राहत कार्यों, मद्यनिषेध, अग्निशमन, चुनावों और जनकल्याण की गतिविधियों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है । राष्ट्रीय विपदा की स्थिति में होम गार्डो को नागरिक सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है ।

10·11 गृह मंत्रालय इसकी भूमिका, लक्ष्य, स्थापना, प्रशिक्षण, उपकरणों, प्रतिष्ठानों और अन्य संबद्ध मामलों पर नीति तैयार करता है । होम गार्डो पर होने वाला व्यय आमतौर पर केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है । वर्ष 1993-94 के दौरान 22·95 करोड़ रुपये राज्यों को होम गार्डो के प्रशिक्षण और उनके गठन पर होने वाले व्यय तथा लोक सभा/विधान सभा चुनावों के दौरान उनको तैनात करने सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए उनको तैनात करने पर आए व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए दिये गये हैं ।

अग्निशमन सेवाएं

10·12 अग्निशमन राज्य का विषय है और अग्निशमन सेवाओं को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शासित किया जाता है । यह मंत्रालय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को अग्नि से बचाव, अग्नि-निवारण तथा अग्नि विधायन के बारे में तकनीकी सलाह और मार्ग दर्शन प्रदान करता है।

10·13 राज्यों में अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के बीमा विभाग के माध्यम से जी·आई·सी· ऋण की व्यवस्था करता है । सातवीं योजना की अवधि 1985-89 के दौरान, इस मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को 7713 लाख रुपये

की राशि की जी·आई·सी· ऋण से व्यवस्था की । जी·आई·सी· आफ इण्डिया इस योजना को 1990-94 तक की आठवीं योजना की अवधि के दौरान आगे के पांच वर्षो तक —— 12 प्रतिशत की बढ़ी हुई ब्याज दर पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गया था । इस मंत्रालय ने वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय, बीमा विभाग, के माध्यम से 4500 लाख रूपये के ऋण की व्यवस्था अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कराई । वित्त मंत्रालय के बीमा विभाग के माध्यम से वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों को 1500 लाख रूपये का जी·आई·सी· ऋण का आबंटन किया जाएगा ।

10·14 राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालिज, नागपुर, भारत में अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में यह अपने प्रकार का एक ही कालिज है जो दूसरे देशों के अग्निशमन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देता है । इस कालिज ने अब तक अग्निशमन सेवा के 10,113 अधिकारियों को दिसम्बर,1992 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है ।

10·15 सम्पूर्ण भारत में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से "अग्नि शमन सेवा सप्ताह" मनाया जाता है और इस दिन को, अग्निशमन सेवा के उन वीर कार्मिकों को, जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी, श्रद्धान्जलि देने के लिए "शहीद दिवस" के रूप में मनाया जाता है । भारत सरकार का गृह मंत्रालय, इस प्रयोजन हेतु पोस्टर और स्लाईड्स तैयार और वितरित करने पर प्रतिवर्ष एक लाख रूपये से अधिक की राशि खर्च करता है ।

होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और अग्नि शमन सेवा मेडल

10·16 वीरता के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक, उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक, वीरता के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक, तथा सराहनीय सेवा के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक प्रति वर्ष दिए जाते है । जबकि उल्लेखनीय तथा सराहनीय सेवाओं के लिए पदक, प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिए जाते हैं परन्तु वीरता के लिए पदक, वर्ष के दौरान किसी भी समय दिए जाते हैं । वर्ष 1993 के दौरान घोषित पदक निम्न प्रकार हैं :-

		26·1·1993	15·8·1993
(क)	उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक	-	1
(ख)	सराहनीय सेवा के लिए होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक	33	34

10·17 वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक, उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक और सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक, केन्द्रीय मंत्रालयों व विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, पालिकाओं और स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गठित एवं प्रशासित अग्निशमन सेवाओं के सदस्यों को दिए जाते हैं । 1993 के दौरान घोषित पदक निम्नानुसार हैं :-

		26·1·1993	15·8·1993
(क)	उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक	-	-
(ख)	सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक	36	36

संघ शासित क्षेत्र :

11·1 सात संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 10,975 वर्ग कि·मी· है तथा 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1,14,42,875 है । संघ शासित क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) और वार्षिक योजना 1992-93 एवं 1993-94 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय क्रमशः 6250 करोड़ रुपए और 1290·65 तथा 1489·50 करोड़ रुपए है । आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना (1992-93 एवं 1993-94) के लिए क्षेत्र, जनसंख्या तथा योजना परिव्यय के बारे में विवरण इस अध्याय के अनुलग्नक I तथा II में दिए गए है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

11·2 इस संघ शासित क्षेत्र में 572 द्वीप हैं जो 8249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं । इस समय 35 द्वीपों में 2,80,661 लोग रह रहे हैं । द्वीप समूह के अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप लगभग 160 किलोमीटर चौड़े समुद्र से विभाजित हैं । संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है । प्रदेश परिषद, जो एक परामर्शदात्री निकाय है, का गठन जून,1981 में इस संघ शासित क्षेत्र के लिए किया गया था । प्रदेश परिषद के सदस्यों में से प्रशासक, 5 काउंसलर नियुक्त करता है जो प्रशासक द्वारा उन्हें भेजे गए मामलों में उसे सलाह देते हैं । 1993-94 के लिए योजनागत परिव्यय 156·50 करोड़ रुपए है ।

कृषि

11·3 कृषि विभाग 262·05 लाख रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ वर्ष 1993-94 के दौरान कृषि, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 15 योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है । वर्ष के दौरान 32850 मी· टन चावल, 14500 मी· टन सब्जियां, 1450 मी· टन दालें और 395 मी· टन तिलहन का उत्पादन करने का लक्ष्य है । 1200 हेक्टेयर भूमि में धान की पैदावार करने के वास्तविक लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है । 3040 हेक्टेयर भूमि में सब्जियों का उत्पादन करने के लक्ष्य की तुलना में 1258 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । 2800 हेक्टेयर क्षेत्र में दालें और 1300 हेक्टेयर में तिलहन की खेती करने का लक्ष्य भी है, जिसकी खेती मुख्यतः रबी की फसल के दौरान की जाएगी ।

मत्स्य पालन

11·4 मत्स्य पालन विभाग अन्य गैर योजना स्कीमों और अन्य विकास कार्यों के अलावा मछुआरों के लिए 44 लाख रुपये के परिव्यय के साथ 14 स्टेट प्लान स्कीमों और 3 केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है । मछली पकड़ने के परम्परागत तरीकों के त्वरित विकास के लिए और मछली-उत्पादन बढ़ाने के लिए, विभाग ने अक्तूबर,1993 तक 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर वास्तविक मछुआरों और आदिवासियों को 6·8 लाख रुपए की कीमत के आवश्यक मत्स्य पालन उपकरण, 7·51 लाख रुपए कीमत की 23 "इन बोर्ड मोटर्स" और 5 लाख रुपए की कीमत की 6 यंत्रीकृत नौकाओं की आपूर्ति की है ।विभाग ने 3·9 लाख मत्स्य बीजों का उत्पादन किया है जिसमें, कतला, रोहू और मिर्गल किस्में सम्मिलित हैं और 478 मत्स्य पालकों को उनकी आपूर्ति की है । इस अवधि के दौरान द्वीप में कुल अन्तर-स्थलीय मत्सय उत्पादन लगभग 23 टन रहा ।

शिक्षा

11·5 इस संघ शासित क्षेत्र में, आज की तारीख में 41 सीनियर सेकेंडरी स्कूल {2 नवोदय विद्यालयों सहित}, 29 सेकेडरी स्कूल, 46 मिडिल स्कूल, 188 प्राथमिक स्कूल, 23 पूर्व-प्राथमिक स्कूल और 1 आश्रम स्कूल चल रहा है, जिनमें 77,958 छात्र और 3885 अध्यापक हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान स्कूलों में 5 पूर्व प्राथमिक कक्षाएं खोलने, 4 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और वर्तमान 4 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उन्हें मिडिल स्कूल करने, दो मिडिल स्कूलों का स्तर बढ़ाकर सेकेन्डरी स्कूल करने और 1 सेकेन्डरी स्कूल के स्तर को बढ़ाकर सीनियर सेकेन्डरी स्कूल करने का कार्यक्रम है । उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए दो राजकीय कालेज, एक बी·एड कालिज, एक जे·बी·टी· दो पोलीटेक्नीक, और एक आई·टी·आई· कार्य कर रहा है । निरक्षरता का पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए प्रौढ़शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं जारी हैं । वर्ष 92-93 की एक मुख्य उपलब्धि, 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में 90 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना रहा ।

उद्योग

11·6 उद्योग विभाग का उद्देश्य पारिस्थितिकी के अनूकूल उद्योगों का विकास करना और रोजगार के अवसर पैदा करने तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से स्थानीय स्रोतों का पता लगाना है। वर्ष,1993-94 के दौरान विभाग का लक्ष्य 50 लघुउद्योग इकाइयों को विकसित करने का है जिससे लगभग 250 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।

अक्टूबर,1993 तक विभाग लघुस्तर की 27 इकाईयों को विकसित करने में सफल रहा । वर्ष के लिए 196 लाख रूपये का वार्षिक परिव्यय निर्धारित है ।

स्वास्थ्य

11·7 इस समय, संघ शासित क्षेत्र में, पोर्ट ब्लेयर में 1 रेफरल अस्पताल सहित 3 अस्पताल, 4 (चार) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 91 उपकेन्द्र और 2 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां कार्य कर रही है जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए निदानात्मक, प्रवर्तक और निवारात्मक सुविधाएं प्रदान करती हैं । पोर्ट ब्लेयर में 412 बिस्तरों वाला जी·बी· पन्त अस्पताल संपूर्ण क्षेत्र के लिए मुख्य रेफरल अस्पताल के रूप में कार्य करता रहा, जिसमें सर्जरी, मेडिसिन, स्त्री रोग, बाल रोग, नाक, कान और गला, नेत्र रोग विज्ञान, पैथोलोजी, छाती के रोग, क्षयरोग, दन्तरोग, कुष्ठ, हड्डी रोग, एनस्थीसियोलोजी, और त्वचा रोग विशेषज्ञीय सेवाएं उपलब्ध हैं। चार बिस्तरों वाला एक बर्न यूनिट और दो बिस्तरों वाला एक सर्जिकल इन्टेंसिव केयर यूनिट स्थापित किए गए हैं ।

जहाज रानी

11·8 अन्तर्द्वीपीय सेवाओं का रखरखाव जहाजों अर्थात् एम·वी· चौरा, एम·वी· सेन्टीनल, टी·एस·एस· येरेवा, एम· बी· रामानुजम और एक नयी नौका एम·वी· डैरिंग द्वारा किया जाता है । चालू वर्ष के दौरान बेड़े में तीन नयी नौकाएं अर्थात एम वी गलाथिया एम·वी· बुलबुल और एम·वी· पिलोभाबी सम्मिलित की गई हैं । वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा 6047·15 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 5104·15 लाख रूपए की राशि नौकाओं की खरीद/ नवनिर्मित नौकाओं के चरणबद्ध भुगतान के लिए रखा गया । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न आकार की 25 नौकाओं की खरीद के आदेश दिए गए थे । इनमें से 20 नौकाएं प्राप्त कर ली गई है और पांच का प्रापण किया जाना बाकी हैं । मुख्य भूमि से द्वीप तक के क्षेत्र में तीन यात्री-एवं-माल वाहक नौकाएं चल रही हैं ।

परिवहन

11·9 सड़क परिवहन का संचालन 11 मुख्य द्वीपों में चल रही 168 बसों के बेड़े से, सड़क परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है । वर्ष के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 120 लाख रूपये का है । मुख्य योजनाएं, सड़क परिवहन सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने और ऑटोमोबाईल वर्कशाप को सुदृढ़ करने से संबंधित है ।

नागरिक आपूर्ति

11·10· चावल, गेहूँ और चीनी जैसी नियंत्रित दर वाली वस्तुएं भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त की जा रही है और उचित दर की 368 दूकानों के नेटवर्क के जरिए निर्धारित कीमतों पर इन द्वीप समूहों में वितरित की जाती है। भारत सरकार से वर्ष 1992-93 के दौरान प्राप्त 41 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत कमोरटा और कटचाल आई·टी·डी·पी· क्षेत्र में 1,000 मी· टन की कुल क्षमता वाले दो भंडारों का निर्माण शुरू किया गया है । भंडारण सुविधा में वृद्धि करने, नागरिक आपूर्ति विभाग को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता संरक्षण और बांट और माप-तौल के लिए योजना आयोग द्वारा, वार्षिक योजना 1993-94 के अंतर्गत 78·670 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । मूल्य निर्धारण समिति, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावकारी नियंत्रण रख रही है ।

जनजाति कल्याण

11·11· 6 जनजातियां अर्थात् ग्रेट अंडमानी, ओंगी, जारवा, सैंन्टिनली शोम्पेन और निकोबारी हैं । इनमें से निकोबारी जनजाति ने अच्छी प्रगति की है और आर्थिक गतिविधियां शुरू की हैं । अन्य जनजातियां पिछड़ी हुई है । 1991 की जनगणना के अनुसार, जारवा और सेन्टिनली को छोड़कर 280661 की कुल जनसंख्या में से जनजातियों की संख्या 26770 है। 1991 की जनगणना, में जारवा और सेन्टिनली जनजातियों की जनगणना उनके, अभी भी विद्रोही होने के कारण नहीं की जा सकी । आई·आर·डी·पी· के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना सहित अनुमोदित परिव्यय 2297·361 लाख रूपये का है । " 20 सूत्री कार्यक्रम-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति न्याय " के अन्तर्गत भारत सरकार ने 500 अनुसूचित जनजाति परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जिसकी तुलना में सितम्बर, 1993 तक आई·आर·डी·पी· और आई·एस·पी· के अन्तर्गत 113 अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता दी गई ।आदिम जनजातियों, नामतः अंडमानी और ओंगीयों के बच्चों के लिए पोषक आहार सहित मुफ्त राशन और मुफ्त कपड़े दिए जाते है ।

पर्यटन

11·12· संघ शासित क्षेत्र में पर्यटन के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं है । द्वीप समूह में, पर्यटकों के आगमन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है । विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने विदेशियों के ठहरने की 15 दिन की वर्तमान अवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है और यह उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी ।

विद्युत (बिजली)

11·13· बिजली का एक मात्र स्रोत,डीजल से चलने वाले जनरेटर है। डीजल से चलने वाले 31 पावर हाऊस मौजूद हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 28·064 मेगावाट है । विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 64·72 करोड़ रूपये के परिव्यय का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया है ।वर्ष के दौरान छथम पावर हाउस में 2·5 मेगावाट के 5 सेट लगाए गए हैं। दो नए बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है, एक कार निकोबार में और दूसरा कैम्प बैल खाड़ी में । सौर-ऊर्जा का उपयोग किए जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

चंडीगढ़

11·14 संघ शासित क्षेत्र 114 वर्ग किमी· में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6,42,015 है । इस का प्रमुख, प्रशासक है, जिसकी सहायता सलाहकार द्वारा की जाती है ।

कानून और व्यवस्था

11·15 आतंकवादी-विरोधी अभियानों से सुरक्षा के वातावरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अपराधों को नियंत्रण में रखा गया और असामाजिक तत्वों/आतंकवादियों से 59 लाख रूपए मूल्य की सम्पति और भारी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किए गए ।

परिवहन

11·16 वाहनों का उपयोग प्रतिदिन प्रतिबस 257 किमी· से बढ़कर 266 किमी· हो गया ।

वन

11·17 417 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 लाख पौधे लगाए गए । इसके अतिरिक्त, पर्यावरण में सुधार के लिए और शहर को हराभरा बनाने के लिए 50,000 पौधे लगाए गए ।

ग्रामीण विकास

11·18 चंडीगढ़ शहर के इर्दगिर्द, 8 किमी· के दायरे में 22 गांव हैं । ग्रामीण जनसंख्या लगभग 66,000 है । सभी गांवों में पक्की सड़के, गलियों में खड़ंजे बिछाना, खुले नाले, फ्लश शौचालय, समुदायिक कार्य केन्द्र, पेय जल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है । मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाले 4 गावों में बरसाती नालों का निर्माण किया गया है ।

शिक्षा

11·19 सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए 45 लाख रूपए की व्यवस्था की गयी है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 105 केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गो के लगभग 4600 छात्रों को कवर किया गया है ।

आबकारी और कराधान

11·20 31 अगस्त,1993 तक कुल 51·78 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ । जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 45·60 करोड़ रूपये एकत्र किए गए थे । फलस्वरूप इस वर्ष 14·04 करोड़ रूपये अधिक प्राप्त हुए ।

खाद्य और आपूर्ति

11·21 उचित दर की 270 दुकानों/सुपर बाजार/सहाकारी भंडारों की शाखाओं के जरिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य करती है । ग्रामीण क्षेत्रों और श्रमिक बस्तियों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर की दो चलती फिरती दुकानें भी है ।

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय

11·22 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, के मार्फत 1245 बेरोजगार व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिया गया ।

राजकीय मेडिकल कालेज

11·23 राजकीय मेडिकल कालेज, चंडीगढ़, अस्पताल के एक खंड को रोगियों के उपचार के लिए जून,1994 में चालू कर दिया जाएगा । राजकीय मेडिकल कालेज में छात्रों के प्रथम बैच को 1991 में, दूसरे बैच की 1992 में और तीसरे बैच को जुलाई 1993 में प्रवेश दिया गया ।

उद्योग

11·24 15 बड़े और मध्यम दर्जे की इकाइयों के अलावा 2500 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयां कार्य कर रही हैं । शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 2176 बेरोजगार शिक्षित युवकों को 4·66 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है । वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों को ऋण स्वीकृत करने के लिये 141 और मामले प्रायोजित किये गये हैं ।

चंडीगढ़ आवास बोर्ड

11·25 चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने डा0 अम्बेडकर आवास योजना नामक एक योजना शुरू की है । इस योजना के अन्तर्गत, दो हजार रिहायशी इकाइयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

दादरा और नगर हवेली

11·26 दादरा और नगर हवेली एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 1,38,477 है उनमें से 80 प्रतिशत आदिवासी हैं । संघ शासित क्षेत्र की राजधानी सिलवासा है । प्रशासन को सलाह देने के लिए एक प्रदेश परिषद है जिसमें 16 सदस्य और दो पार्षद हैं । 1993-94 के लिए इस संघ शासित क्षेत्र के लिए 22 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है ।

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां

11·27 दादरा और नगर हवेली प्रधानतः कृषि क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या (26144) में किसान हैं । वे अधिकतर आदिवासी और छोटे किसान हैं ।किसानों को "एक्सटेंशन" और "इनपुट" सेवाएं उपलब्ध कराने की सभी योजनाओं को वर्ष के दौरान जारी रखा गया ।

11·28 विनियमन अधिनियम, 1971 के अधीन भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रहा । 250 एकड़ भूमि के अतिरिक्त लक्ष्य को प्राप्त करके कुल 7992 एकड़ भूमि वितरित की गई जिससे कुल 445 अनुसूचित जनजाति के परिवार लाभान्वित हुए ।

11·29· 31 अतिरिक्त समितियों के पंजीकरण के बाद सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 145 हो गयी है । कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत समितियों को अल्पकालिक ऋण के रूप में 110·58 लाख रूपये की अग्रिम राशि प्रदान की गयी है । समितियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 120·24 लाख रूपये के खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी और कपड़े वितरित किए ।

11·30 संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने एक शुगर कोआपरेटिव को शेयर पूंजी के रूप में 445 लाख रूपये की राशि का अंशदान दिया जिसे दादरा और नगर हवेली में स्थापित करने का प्रस्ताव है । वर्ष,1993-94 के दौरान 2575 लाख रूपये की परियोजना लागत की तुलना में बजट में शेयर पूंजी के रूप में 250·40 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गयी। तथापि आई·एफ·सी·आई· द्वारा इस परियोजना का पुर्नमूल्यांकन किया जा रहा है ।

ग्रामीण विकास और सामुदायिक सेवाएं

11·31 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, अर्थात् ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास, मिलियन वैल्स, इंदिरा आवास योजना इत्यादि के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने आदि को प्राथमिकता प्रदान की गई ।

11·32 वर्ष,1992-93 के दौरान कुल 82·89 लाख रूपए की लागत से कुल 2·72 लाख श्रम दिवसों के रोजगार के अवसर पैदा किए गए । वर्तमान वर्ष के लिए भी इसी लक्ष्य को रखा गया है ।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा न्यूनतम आय वर्ग के सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें, नोट बुकें तथा अन्य शैक्षिक सामग्री मुफ्त,

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को दो जोड़ी वर्दी और एक जोड़ी कपड़े के जूते तथा एक जोड़ी मोजे ।

11.39 संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा, अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्रों के लिए 10 सामाजिक कल्याण छात्रावास तथा 2 कन्या छात्रावास चलाए जा रहे हैं । अनु.जाति/अ.ज.जाति के सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और उन्हें ठहरने, भोजन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वयं सेवी संगठनों द्वारा तीन समाज कल्याण छात्रावास चलाए जाते हैं जिनमें 270 छात्र हैं ।

11.40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 9 व्यवसाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । वर्ष के दौरान 152 प्रशिक्षुओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश दिया गया । 60 छात्र प्रत्येक पाठ्यक्रम के हिसाब से, अभियांत्रिकी के 3 विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम वाले एक बहुकला विद्यालय (पोलीटेक्नीक) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है । छात्रों के पहले बैच को वर्ष,1994-95 में प्रवेश दिया जाएगा ।

लोक निर्माण

11.41 वर्ष के दौरान, 40 खेड़ों को जोड़ने के लिए 40 सड़कों का निर्माण किया गया था । आशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक 19 आवासीय मकान तैयार हो जाएंगे, 12 मकान पहले से ही तैयार हैं ।

नागरिक आपूर्ति

11.42 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नागरिक आपूर्ति विभाग ने उचित दर की दुकानों के जरिये, नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना का क्रियान्वयन जारी रखा ।

दमण और दीव

11.43 दमण और दीव दो अलग-अलग भू-भाग हैं जिनके बीच लगभग 792किमी की दूरी है तथा जिन्हें 30 मई,1987 को एक पृथक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया । इस संघ

सिंचाई

11·33 11 गांवों के जिन 22 खेड़ों में गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी हो जाती है, उनमें से एक खेड़े को पाईप के जरिये और 6 खेड़ों को कुओं के जरिये जल आपूर्ति की गई। इन गावों को राजीव गांधी पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत एक लघु मिशन के अन्तर्गत लेने की योजना का प्रस्ताव है ।

उद्योग

11·34 (127 मध्यम और लघु उद्योगों सहित) कुल 600 इकाईयां कार्य कर रही है जो 10470 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती हैं । वार्षिक उत्पादन 1020 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है ।

11·35 दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक बहुद्देशीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गयी जो पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है । बहुद्देशीय औद्योगिक विकास निगम को, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गई है ।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवाएं

11·36 सभी प्रमुख विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक छोटा, जिला स्तरीय अस्पताल है । इसके अलावा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी के लिए, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 डिस्पेंसरियां और 34 उपकेन्द्र हैं ।

शिक्षा

11·37 शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान ढांचे अर्थात् 167 प्राथमिक विद्यालयों, 8 सेकेन्डरी स्कूलों तथा 6 हायर सेकेन्डरी स्कूलों का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है ।

11·38 और अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई थी :-

(i) हायर सेकेन्डरी तक मुफ्त शिक्षा,

(ii) सातवीं कक्षा तक दोपहर का मुफ्त भोजन,

शासित क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 112 वर्ग कि॰मी॰ है । जिसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार, लगभग 1,01,586 है । दो पार्षदों सहित 10 सदस्यों वाली एक प्रदेश परिषद है जो प्रशासक को सलाह देती है । वर्ष 1993-94 के लिए बजट आबंटन 16॰00 करोड़ रुपए का है ।

राजस्व संसाधन

11॰44 वर्ष,1993-94 के दौरान 19॰75 करोड़ रुपये के कर राजस्व और 1॰22 करोड़ रुपये के गैर कर राजस्व का अनुमान है ।

गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम

11॰45 सितम्बर,1993 तक, 19 अ॰जा॰ परिवारों तथा 57 अनु॰ज॰जा॰ परिवारों तथा 78 महिलाओं सहित 200 परिवारों को सहायता प्रदान की गई ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण

11॰46 एक अलग जनजाति उप-योजना के अधीन जनजातियां, सहायता प्राप्त करती रहीं । वर्ष,1992-93 के दौरान जनजातियों के विकास पर 1॰12 करोड़ रुपये खर्च किए गए और वर्ष,1993-94 के लिए 1॰02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति के परिवारों को भी विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी जाती रही और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी उनको ध्यान में रखा गया ।

11॰47 इन दो वर्गो की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितम्बर,1993 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्तीय एवं विकास निगम की स्थापना की गयी थी।

उद्योग और श्रम

11॰48 संघ शासित क्षेत्र ने औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की है। 451 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली 458 इकाईयां हैं । बहुउद्देशीय औद्योगिक विकास निगम, संघ शासित क्षेत्र में उद्योग तथा पर्यटन में विभिन्न इकाईयों को सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन

11·49 पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ढांचा खड़ा किया गया है । देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या में 1·65 लाख तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । काचीगांव में एक तालाब के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है और दीव में विभिन्न प्राचीन स्मारकों को प्रकाश से जगमगाने का काम शुरू किया गया है ।

विद्युत

11·50 बिजली की मांग 21·24 मेगावाट है । बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष,1994-95 में एक अन्य सब-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

कृषि और संबद्ध सेवाएं

11·51 वर्ष के दौरान ट्रेक्टर, बुलडोजर आदि जैसी मशीनों की आपूर्ति करने की योजनाएं जारी रहीं । वर्ष के लिए, विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत 105 अ·जा· परिवारों तथा 765 अ·ज·जा· परिवारों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया । किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है ।

मत्स्य पालन

11·52 अनुसूचित जनजाति के लोगों को, मछली ढोने के लिए रिक्शा-टैम्पो खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना जारी रखा गया । वर्ष,1994-95 में "सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना"," आदर्श मछुआरा बस्ती" के विकास जैसी नई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है । विभाग ने मछली लदान, जेटी, सुरक्षा दीवारें, मत्स्य उपचार यार्ड, जाल मरम्मत एकक आदि जैसी ढांचागत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं ।

वन

11·53 विभाग ने सामाजिक और फार्म वानिकी तथ वन्य जीवन संरक्षण एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं । वर्ष,1993-94 के दौरान 60 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा ।

पंचायतों और अन्य एजेन्सियों को रोपण के लिए एक लाख पौधों का वितरण किया जाएगा । दमण और दीव में एक-एक डीयर पार्क की स्थापना की गयी और वन्यजीवों का पुनर्वास किया गया ।

ग्रामीण विकास

11·54 वर्ष के दौरान अगस्त,1993 तक खंड विकास कार्यालय द्वारा 166 परिवारों को फेमिली पेंशन सहायता प्रदान की गई । वर्ष,1993-94 के दौरान आदिवासियों के 30 परिवारों को बने बनाए मकान दिये जाएंगें ।

11·55 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक सुधार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अनुदान एवं ऋणों के रूप में, पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न लाभार्थियों को दिए गए ऋणों और एम·आई·जी·एच·एस· के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए दिए गए ऋणों की वसूली के रूप में 72,000/-रू0 की राशि एकत्रित की गई ।

11·56 विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य कार्यक्रम केवल 8 वीं पंचवर्षीय योजना से ही शुरू किए गए । 1993-94 के दौरान एक विज्ञान संग्रहालय के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा । दीव जिले में एक नया एन·आई·सी· केन्द्र खोला जा रहा है । दमण पहले से ही "निकनेट" से जुड़ा हुआ है ।

शिक्षा

11·57 1992-93 में 11वीं कक्षा के दो अनुभागों के साथ शुरू किये गये एक नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का स्तर वर्ष के दौरान बढ़कर 12वीं कक्षा तक कर दिया गया । साक्षरता में वृद्धि करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गरीब वर्ग के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखा गया । गवर्नमेंट कालेज, दमण ने, छात्रों को बड़ी संख्या में प्रवेश देने में उल्लेखनीय प्रगति की है । दोनों जिलों में स्थापित तकनीकी संस्थानों द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना के तहत दमण के संस्थान में नये पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है ।

स्वास्थ्य

11·58 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी के 400 मामलों और आई·यू·डी· के 500 मामलों को कवर किया जाएगा । एक चरणबद्ध ढंग से सरकारी अस्पताल

की बिस्तर क्षमता को 60 से बढ़कर 100 किया जा रहा है ।

जल आपूर्ति

11·59 केन्द्र द्वारा प्रायोजित जल आपूर्ति योजना के वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की उम्मीद है । पाईप लाईनों को बिछाने का कार्य प्रगति पर है ।

नगर और ग्रामीण नियोजन

11·60 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, योजना और विकास प्राधिकारणों के गठन की योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया । आई·टी·आई· परिसर भवन, आई·टी·आई· छात्रावास परिसर, और राजकीय पोलीटेक्निक कालेज में तकनीकी भवन बनाने की योजनाएं तैयार की गई ।

लक्षद्वीप

11·61 यह संघ शासित क्षेत्र प्रवाल द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिसमें 36 द्वीप हैं (केरल-तट से करीब 220 से लेकर 440 कि·मी· दूर स्थित) जिनमें से केवल 10 द्वीप आबाद है: ये द्वीप अरब सागर में एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए है यद्यपि इन की भूमि का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग कि·मी· है । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इस द्वीप समूह की जनसंख्या 51,707 है । 1993-94 का अनुमोदित योजनागत परिव्यय 32 करोड़ रूपये है ।

प्रशासनिक ढांचा

11·62 जिला प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था से संबंधित मामले कलेक्टर एवं विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट भी होता है । वह प्रशासक के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है । 1983 में द्वीप समूह को 9 उप-खंडों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक उप-खंड एक उपखण्ड अधिकारी के प्रभार के अधीन होता है जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट और खण्ड विकास अधिकारी भी होता है ।

उद्योग

11·63 उद्योगों के लिए 10·80 लाख रू0 का परिव्यय निर्धारित किया गया है। लघु-स्तर की इकाईयों के विकास के लिए स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

11.64 कावारत्ती में लक्षद्वीप खादी और ग्रामीण-उद्योग बोर्ड के अन्तर्गत एक खादी भण्डार ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

पर्यटन

11.65 पर्यटन विकास कार्यक्रम में संशोधित परिवाहन, पर्यटकों के आवास में वृद्धि करना, जल-क्रीड़ा सुविधाओं को लागू करना, कार्मिकों का प्रशिक्षण, इत्यादि शामिल है । पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिना बसे थिन्नाकारा और चेरियम द्वीपों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास करने के लिए प्रवर्तकों की पहचान करने के उद्देश्य से विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं ।

ग्रामीण विकास

11.66 पुनः सक्रिय बनाएं गए पी.डी.एस. ब्लाकों में ग्रामीण गरीबों को रोज़गार उपलब्ध कराने संबंधी एक नया कार्यक्रम इस वर्ष कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले उन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना है जिन्हें वर्ष के "लीन पीरियड" के दौरान 100 दिनों तक रोजगार की जरूरत होती है और जो रोज़गार तलाश करते हैं ।

मत्स्य पालन

11.67 लक्षद्वीप द्वीप समूह के आस-पास के समुद्र में मछलियाँ, विशेष रूप से टूना और शार्क मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । स्थानीय मछुआरों को किराया-खरीद योजना के अधीन 415 यांत्रिक नावे जारी की गई हैं । कुल 8186 टन मछलियां पकड़ी जाती हैं । लक्षद्वीप में लगभग 720 यान्त्रिक और गैर-यान्त्रिक नावों के जरिए मछलियां पकड़ी जा रही हैं जिसके द्वारा 7200 व्यक्तियों के लिए स्व रोज़गार उपलब्ध हुआ है । मत्स्य पालन से प्राप्त हुई आय लगभग 7.80 करोड़ रूपये है जिससे प्रति व्यक्ति आय करीब 1,416/- रु0 बनती है ।

कृषि

11.68 नारियल क्षेत्र की मुख्य फसल है । नारियल की खेती करने वालों में वितरण के लिए चालू वर्ष के दौरान 10,250 नारियल की संकर पौध का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। चालू वर्ष के लिए 264 लाख नारियलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया

गया है । एण्ड्रोत द्वीप में वर्ष 1992-93 में पहली बार 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में की गई वनीला की खेती जारी है और अब 2 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अधीन 1,20,000 वृक्ष लगाए गए तथा समुद्रतट की संरक्षा हेतु विशाल वृक्षारोपड़ कार्यक्रम के तहत 85,000 वृक्ष लगाए गए ।

पशु पालन

11·69 सघन मुर्गी पालन के विकास संबंधी प्रौद्योगिकी प्रसार और संबंधित पैकेज कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप योजना का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में प्रगति शील किसान सामने आ रहे हैं । सितम्बर,1993 तक, दूध और अंडों का उत्पादन क्रमशः 310 मी· टन और 2 लाख अण्डे तक पहुंच गया और वर्ष के दौरान, इनका उत्पादन 650 मी·टन तथा 45 लाख अण्डों तक पहुंच जाने की आशा है ।

स्वास्थ्य

11·70 14 उप-केन्द्रों के अलावा 140 बिस्तरों वाले 2 अस्पतालों और सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । इस संघ शासित क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य सुधार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । मृत्यु दर को 5·32 (1992) तक कम किया गया और शिशु मृत्यु दर को 24·86 (1992) कम किया गया है ।

शिक्षा

11·71 बितरा के अलावा प्रत्येक बसे हुए द्वीप में एक हाई स्कूल सहित द्वीप में 58 शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनके विभिन्न स्कूलों में 15,435 छात्र पढ़ रहे हैं । सभी स्थानीय अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है । उन सभी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है जिनके मूल निवास-स्थान वाले द्वीपों में कालिज की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । वर्ष के दौरान मिनीकाय के सरकारी हाई स्कूल का स्तर,+2 स्तर तक बढ़ा दिया गया है तथा जुलाई से सी·बी·एस·ई· पद्धति पर कक्षा XI की पढ़ाई आरम्भ हो गई है ।

11·72 जहां तक व्यवसायिक शिक्षा का संबंध है, सभी हाई स्कूलों में कक्षा VIII से कक्षा X के पाठ्यक्रम में मत्स्यपालन प्रौद्यागिकी और नारियल दस्तकारी शामिल किये गये हैं।

नौवहन और परिवहन

11·73 लक्षद्वीप प्रशासन के, सभी मौसम में प्रयोग में आने वाले जहाज़ "एम·वी· टीपू सुलतान" और एम·वी· भारत सीमा" लगातार चल रहे हैं । "एम·वी· द्वीप सेतु" नामक एक फेयर वैदर जहाज भी लगातार चल रहा है । दो मालवाहक नौकाओं को भी इस वर्ष सेवा में शामिल किया गया है ।

सहकारिता

11·74 विभिन्न प्रकार की 40 सहकारी समितियां विद्यमान हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 694·73 लाख रूपये मूल्य की उपभोज्य वस्तुएं बेची गई । सात सेवा सहकारी समितियों और तीन आपूर्ति और विपणन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को लघु अवधि/ मध्यम अवधि वाले ऋण दिए जा रहे हैं । चूंकि लक्षद्वीप एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अतः पूरी आबादी को विशेष रियायती योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

11·75 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1485 वर्ग किलोमीटर है और 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 94,20,644 है ।

11·76 वर्ष 1993-94 संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है, प्रशासनिक रूप से 1·2·92 तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का शासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाता था । दिल्ली के प्रशासन का प्रधान उप राज्यपाल होता था । दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन उपराज्यपाल को उनके कर्त्तव्यपालन में सलाह देने के लिए एक महानगर परिषद और एक कार्यकारी परिषद होती थी । संविधान § 69 वां संशोधन§ अधिनियम जो 1·2·1992 से लागू किया गया, के बाद संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली कहा जाता है और प्रशासक को उपराज्यपाल मनोनीत किया गया है । संविधान § 69 वां संशोधन § अधिनियम के प्रावधानों की अनुपूर्ति के लिए संसद द्वारा बनाए गए एक और अधिनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम,1991 और इसकी कुछ धाराएं जो 1·2·94 से लागू हुई, को वर्ष 1993-94 के दौरान पूर्णतः क्रियान्वित किया गया है।

11·77 इन दो अधिनियमितियों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए एक

विधान सभा का और उपराज्यपाल को उनके कार्य निष्पादन में सलाह और सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान हैं । विधान सभा को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित मामलों में से किसी के भी संबंध में कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं बशर्ते कि ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होता हो और लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि प्रबंध से संबंधित न हो । इन विषयों को "आरक्षित विषयों" के रूप में बनाए रखा गया है और ये उपराज्यपाल के माध्यम से सीधे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किए जाते रहेंगे ।

11·78 इन अधिनियमितियों के प्रावधानों के अनुपालन में, नवम्बर,1993 में विधान सभा के लिए आम चुनाव कराए गए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा चुनी गई । राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली के लिए एक मुख्य मंत्री और उसकी सलाह पर 6 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है ।

योजना

11·79 दिल्ली की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, योजना आयोग ने 4,500/- करोड़ रु0 के परिव्यय को मंजूरी दी है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत 2000 करोड़ रु0 के मूल परिव्यय की तुलना में यह राशि दोगुनी से अधिक है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, जलापूर्ति और मलव्ययन, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ने के लिए उच्च वरीयता दी जाती रहेगी ।

11·80 1992-93 की वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग ने 920 करोड़ रु0 के परिव्यय को मंजूरी दी थी, तथापि गैर-योजना मदों में धन की अतिरिक्त मांग को देखते हुए भारत सरकार ने योजना परिव्यय को घटाकर 909·63 करोड़ रु0 कर दिया था । इस खाते में, योजना लागू करने वाले विभागों/एजेंसियों ने 910·76 करोड़ रु0 के {अनुमानित} व्यय की सूचना दी है।

प्रशासनिक सुधार

11·81 प्रशासनिक सुधार विभाग ने, कर्मचारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए 31 अध्ययन किए । एक वर्ष से खाली पड़े पदों की एक पुनरीक्षा भी शुरू की गई और 1701 पदों को समाप्त कर दिया गया । 11 कार्यालयों में कार्यपद्धति निरीक्षण और सरकार के विभिन्न विभागों में समय की पाबन्दी बनाए रखने संबंधी 120 अभियान भी चलाए गए ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण

11·85 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पुस्तकों और लेखन सामग्री का मुफ्त वितरण जारी रखा गया । विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, दिन में पढ़ने वाले छात्रों को 65/- रु0 प्रति माह की दर से और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 115/- रु0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियां दी गई । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उन छात्रों को, जो 9 वीं से 12वीं कक्षा में 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, 300/-रु0 प्रति वर्ष की दर से और जो इन कक्षाओं में 60 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें 400/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । मादीपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए और कीर्तिनगर में अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावासों का रख रखाव किया गया ।

11·86 दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, जिसकी स्थापना,1983 में की गई थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण और सब्सिडी देता है तथा उनके लिए बैंक ऋणों की व्यवस्था भी करता है । 1993-94 के लिए 90 लाख रु0 की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

उद्योग

11·87 1·4·93 से 30·9·93 तक की अवधि के दौरान 760 इकाइयां पंजीकृत की गई जिनमें से 359 इकाइयों का पंजीकरण स्थाई तौर पर किया गया । इटली सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर एक उच्च तकनीकी व्यवसायिक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । यह परियोजना, कम्प्यूटरीकृत तथा अंक नियंत्रित मशीनों पर, नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण देने के केन्द्र के रूप में कार्य करेगी ।

11·88 खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने के·वी·आई·सी· योजनाओं के अन्तर्गत 48 इकाइयों को धन मुहैया कराया । इसके अलावा,1993-94 के दौरान 282 इकाइयों को धन उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है बशर्ते कि के·वी·आई·सी· से धनराशि प्राप्त हो जाए । दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति दिल्ली वित्त निगम द्वारा की जाती रही ।

प्रशिक्षण

11.82 निदेशालय द्वारा प्रशासन में और स्थानीय निकायों में सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए "सेवा कालीन" कार्यक्रम भी आयोजित किया गया । राज्य सिविल सेवा के 12 अधिकारी, एम-वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । आधारिक पाठ्यक्रम और तैराकी तथा मोटर चालन में फील्ड प्रशिक्षण भी पूरा किया गया । 1993 के दौरान निदेशालय ने 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 616 अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया ।

नागरिक आपूर्ति

11.83 3445 उचित दर दुकानों, केरोसिन तेल के 1940 डिपुओं और 842 कोयला डिपुओं के नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बहाल रखी गई । आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत अनाज, दालों, गेहूँ, चीनी, खाद्य तेल आदि जैसे सामानों का वितरण तथा उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जाती रही । विभाग ने 131 उचित दर दुकानों,और 286 केरोसिन तेल के डिपुओं की जांच की । इसके अलावा विभिन्न लाइसेंस-धारियों और गैर लाइसेंसी दुकानदारों की विविध जांच भी की गई । उचित दर दुकानों के तीन मालिकों और केरोसिन तेल के 7 लाइसेंसधारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्टें भी दर्ज कराई गई । "दिल्ली {दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ} नियंत्रण आदेश, 1993" के उल्लंघन के लिए 36 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई और 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

तकनीकी शिक्षा

11.84 तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने पर वर्ष के दौरान बल दिया । तकनीकी संस्थानों की प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए लगभग 2.6 करोड़ रु0 उपलब्ध कराए गए हैं । व्यवसायिक अध्ययन संस्थान में "बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन" में पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नवोद्भूत कौशलों के 19 नए अनुभाग शुरू किए गए । कमजोर वर्गो की बेरोजगार लड़कियों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए महिला पोलीटेक्नीक, महारानी बाग में एक "महिला सामुदायिक पोलीटेक्निक" शुरू किया गया । आई.टी.आई. नन्द नगरी और खिचड़ीपुर में पहले से ही चल रहे क्रमशः गैस वैल्डिंग और नल साजी के पाठ्यक्रमों के अलावा अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए आई.टी.आई. जहांगीर पुरी में स्कूटर मैकेनिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

परिवहन

11·89 अण्डरहिल रोड, तिलक मार्ग, शेख सराय, जनकपुरी और लोनी रोड स्थित पांच पंजीकरण कार्यालयों के अतिरिक्त, वाहनों का समुचित रिकार्ड रखने और जनता की सुविधा के लिए तीन अतिरिक्त जोनल कार्यालय खोले गए । 30·9·93 तक, विभिन्न जोनल परिवहन कार्यालयों में 70359 वाहन पंजीकृत किए गए ।

11·90 वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच के लिए एक "प्रदूषण नियंत्रण विंग" की स्थापना की गई । 30·9·93 को समाप्त अवधि तक के दौरान, 3,16,804 वाहनों की जांच की गई और 2,43,633 वाहन मालिकों को प्रमाणपत्र जारी किए गए ।

राहत

11·91 पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत देने का कार्य जारी रहा । प्रवासियों को आवास, चिकित्सा एवं पेय जल की सुविधाएं दी गई । नियंत्रित दरों पर राशन प्रदान किया गया ।

सिंचाई एवं बाढ़

11·92 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग कि·मी· है । इसमें से 496 वर्ग कि·मी· भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है । पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से पानी की अनियमित, त्रुटिपूर्ण एवं असमय आपूर्ति के कारण नलकूपों (निजी और सरकारी दोनों) की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे लगभग 88460 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई अब नलकूपों से हो रही है। अब तक 235 सरकारी नलकूप लगाए जा चुके हैं । नजफगढ़ नाले से यमुना नदी में जाने वाले मल-बाहुल्य वाले पानी का उपयोग करने के लिए लिफ्ट सिंचाई योजनाएं तैयार की गई हैं और लागू की गई हैं । इस मल बहुल पानी की निश्चित उपलब्धता और इसकी अति उर्वरक गुणवत्ता के कारण कमांड क्षेत्र के किसान शोधित मल बहुल पानी को अपना रहे हैं/प्रयुक्त कर रहें हैं ।

रोजगार

11·93 सितम्बर,1993 तक कुल 8,61,870 उम्मीदवार (भूतपूर्व सैनिकों, दिल्ली

छावनी, आर॰के॰ पुरम (जेड), पूसा (वी), नजफगढ़ और सचल इकाई I तथा II के अलावा) "चालू रजिस्टर" में दर्ज थे । वर्ष के दौरान, सितम्बर,1993 तक दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में कुल 1,18,439 उम्मीदवार पंजीकृत थे । उनकी मांग पर कुल 15,509 रिक्तियां उन्हें सूचित की गई और 9795 उम्मीदवारों को अंततः रोजगार में लगाया गया ।

11·94 रोजगार के ब्योरे के बारे में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से सूचना, एम्प्लायमेंट मार्केट इन्फार्मेशन यूनिट द्वारा एकत्रित की जाती है ।

श्रम विभाग

11·95 1·4·93 से 13·9·93 की अवधि के दौरान, 4872 औद्योगिक विवाद दर्ज किए गए । इसी अवधि के दौरान, 1749 औद्योगिक विवाद निपटाए गए । निपटान तंत्र, 2022 मामलों को निपटाने में सफल नहीं हुआ । ये मामले श्रम न्यायालयों को भेज दिए गए।

बिक्री कर

11·96 एकत्र किए गए कुल राजस्व की लगभग 70 प्रतिशत राशि बिक्री कर से प्राप्त की जाती है । वर्ष 1992-93 के दौरान बिक्री कर से 927·76 करोड़ रु0 की राशि वसूल की गयी थी । वर्ष 1993-94 के लिए 1310 करोड़ रु0 वसूल करने का लक्ष्य है, जिसमें से 592·20 करोड़ रु0 की राशि नवम्बर,1993 तक वसूल की जा चुकी है ।

आबकारी, मनोरंजन कर और मद्य-निषेध

11·97 वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 278·46 करोड़ रु0 का राजस्व एकत्र किया गया । 1993-94 के लिए 316 करोड़ रु0 का लक्ष्य निर्धारित है । जिसमें से नवम्बर,1993 तक 182·93 करोड़ रु0 एकत्र किए जा चुके हैं ।

11·98 आबकारी कानून के उल्लंघन के 47 मामलों का पता लगाया गया और कुल 1636 बोतलें बरामद की गयी ।

11·99 मनोरंजन और सट्टे के जरिए 22 करोड़ रु0 के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से नवम्बर,1993 तक 15·68 करोड़ रु0 पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं ।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य

11·100 1·4·93 से चाईल्ड सरवाईबल और सेफ मदरहुड (सी·एस·एस·एम·) कार्यक्रम शुरू किया गया । परिवार कल्याण कार्यक्रम और यूनीवर्सल इम्यूनाईजेशन कार्यक्रम को सी·एस·एस·एम· के अन्तर्गत लाया गया ।

11·101 निम्नलिखित नए खोले जा रहे अस्पतालों में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है - बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल, जहांगीरपुरी; गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल, रघुबीर नगर; राजकीय अस्पताल, पूठ खुर्द; राजकीय अस्पताल, सिरसपुर; राजकीय अस्पताल, मैदानगढ़ी; डा· बी·आर· अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी; डा· एन·सी· जोशी मैमोरियल अस्पताल, करोलबाग और नेहरू होमियोपैथी मेडीकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली ।

कृषि और सम्बद्ध सेवाएं

11·102 वर्ष के लिए 174,000 मी0 टन खाद्यान्न का लक्ष्य है । 2·5 लाख अण्डों के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें से 1·10 लाख का लक्ष्य (सितम्बर,1993 तक) प्राप्त कर लिया गया है ।

सहकारिता समितियां

11·103 6280 पंजीकृत सहकारी समितियां थी, जिसमें 1461 औद्योगिक, 1196 शहरी (क्रेफ्ट/क्रैडिट), 224 आवास-निर्माण, 2001 ग्रुप-हाउसिंग, 531 पैकेज, 814 कन्ज्यूमर स्टेर और 53 नयी बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं । इन समितियों की शेयर पूंजी लगभग 31·48 करोड़ रु0 सदस्यता 12·89 लाख और जमा राशि 422·40 करोड रु0 है । अप्रेल,1993 से सितम्बर,1993 तक की अवधि के दौरान, 37 नयी समितियां पंजीकृत की गयी।

पांडिचेरी

11·104 इस संघ शासित क्षेत्र में पांडिचेरी, कराईकल, माहे तथा यानम नामक चार क्षेत्र आते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग-थलग हैं । पांडिचेरी, मद्रास के दक्षिण में लगभग 160 कि·मी· दूर, पूर्वी तट पर स्थित है तथा फैले हुए 12 क्षेत्रों वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। पांडिचेरी के दक्षिण में लगभग 140 कि·मी· की दूरी पर "कराइकल" स्थित है ।

आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा नामक शहर के पास यानम स्थित है । माहे की स्थिति पश्चिमी तट पर, मंगलोर शहर के दक्षिण में लगभग 160 कि·मी· की दूरी पर है । इस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल 492 वर्ग कि·मी· है और वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 8,07,785 है । वर्ष 1993-94 के लिए योजना परिव्यय 108 करोड़ रूपए है ।

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

11·105 कराइकल क्षेत्र में कावेरी जल की अपर्याप्त मात्रा जारी करने से धान की फसल पर बुरा असर पड़ने के बावजूद, 1,18,000 मी·टन खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है ।" चावल के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष,1993-94 के दौरान योजना के प्रचालन के लिए 18·80 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है । "छोटे और लघु किसानों को राहत" योजना के अंतर्गत 71 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा बीज भण्डारण, ट्यूबवैल की सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को स्थिर बनाने, जल भण्डारण के ढांचे का विकास करने, पानी की बचत संबंधी प्रणालियां और कृषि के यान्त्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिनी ट्रैक्टर तथा पावर टिलरों की खरीद करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म क्लिनिक लगाकर किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली विस्तार सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कराईकल में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है । 220 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि और जल संरक्षण कार्यों को चलाने, 10 किसानों की होल्डिंग्स में फार्म पौण्ड का निर्माण करने तथा 30 स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई सैट लगाने के लक्ष्य को वर्ष 1993-94 के दौरान बिना किसी कमी के पूरा कर लिए जाने की आशा है।

मछली पालन

11·106 चालू वर्ष के दौरान, मछुआरों को रियायती दरों पर §1/3 रियायत§ 27 लाख रू0 मूल्य की मछली पालन सामग्री दी गयी । मछली पालन का विकास करने के लिए, प्रान कल्चर शुरू करने के लिए 30,000 रू0 तक 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांडिचेरी स्टेट फिशरमैन को-ओपरेटिव फेडरेशन, मछली-उत्पादन-इकाई स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत आर्थिक आधार पर सहायता देगा । मछली और प्रोन-प्रोसेसिंग प्रिजरवेशन, मार्किटिंग, हाईजीन इत्यादि में 15 मछुआरा युवकों और 900 मछुआरा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया । 16,300 मछुआरों के लिए बीमा की व्यवस्था करने के लिए ग्रुप-एक्सीडेन्ट बीमा-योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार 100 प्रतिशत सहायता देगी । इसके अतिरिक्त पक्के मकानों का निर्माण करने के लिए मछुआरों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

शहरी विकास

11·107 लगभग 16 विकास कार्यों के निष्पादन के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, विभिन्न नगर पालिकाओं को 24·79 लाख रु0 की राशि दी गयी हैं । नेहरू रोजगार योजना स्कीम के लिए राज्य पूंजी के रूप में 4 लाख रु0 की राशि की व्यवस्था की गयी है ।

लोक निर्माण

11·108 टैंक सिंचाई प्रणाली का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण और बेहतर जल व्यवस्था और पांडिचेरी में जल स्रोतों के अधिकतम उपयोग और कराईकल क्षेत्र में नहर-सिंचाई के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया । पांडिचेरी क्षेत्र में, सुथूकेनी नहर को सुप्रवाही बनाने और बंगरू नहर के विकास कार्य को, जो बाहोर टैंक के लिए फीडिंग नहर है, उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । समुद्रतट को कटाव से बचाने के लिए, पांडिचेरी क्षेत्र के लिए 3 करोड रु0 की लागत से विस्तृत बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार की गयी है । कराईकल में ओवरहैड टैंक का निर्माण करके पेय-जल की आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है । अदिवीपोलम नहर से जलापूर्ति का उपयोग करके यानम के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत जल आपूर्ति योजना निष्पादित की जाएगी ।

विद्युत

11·109 वर्ष 1993-94 के लिए विभिन्न विद्युत विकास कार्यों के लिए योजना आयोग ने 2544 लाख रु0 का परिव्यय अनुमोदित किया हैं, जिसमें, सदैव बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बाहोर में ट्रांसफारमर स्थापित करने संबंधी कार्य और कराईकल में "कम्बाईन्ड सांईकल 900 प्लांट" स्थापित करने का कार्य शामिल हैं । ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन हानि में 1 प्रतिशत की कमी करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे । औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्र के लिए विद्युत की आपूर्ति करने का प्रस्ताव भी है । सौर ऊर्जा उत्पन्न करके गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

उद्योग

11·110 पावर सब्सिडी, बिक्रीकर में छूट, 15 प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता, ई·एम·डी·/सुरक्षा डिपाजिट के भुगतान में छूट, रियायती संस्थागत वित्त, आयकर में छूट,

इत्यादि के रूप में उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें दी जाती हैं । राज्य के स्वामित्व वाले एक वित्त निगम को कराईकल क्षेत्र में केन्द्र की सहायता से ग्रोथ सेन्टर प्रोजेक्ट तथा पाण्डिचेरी में इलेक्ट्रानिक इण्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना करने का कार्य सौंपा गया है । पांडिचेरी कपड़ा निगम का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए इसको 2035 लाख रूपये की राशि शेयर पूंजी के रूप में दी गई है । शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वरोज़गार {एस·ई·ई·यू·वाई·} योजना के अधीन 214 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 33·24 लाख रू0 की राशि ऋण के रूप में जारी की गई ।

शिक्षा

11·111 3000 बच्चों के अतिरिक्त नामांकन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष,1993-94 के दौरान 3210 बच्चे नामांकित किए गए । "पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति" और "वर्दी की नि:शुल्क आपूर्ति" योजनाओं के अधीन लगभग 70,000 गरीब बच्चों को लाभ हुआ। तीन मिडिल स्कूलों का स्तर बढ़कर हाई स्कूल करने तथा तीन हाई स्कूलों का स्तर बढ़ कर हायर सैकण्डरी स्कूल करने का काम किया गया है । विद्यमान विभिन्न हायर सेकेन्डरी स्कूलों में चार व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा सात सामान्य पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं । विधि कालिज, पांडिचेरी में *विधि* में पी·एच·डी· पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है । पॉलिटैक्निकों में सीटें की संख्या में 30 की वृद्धि कर दी गई है ।

स्वास्थ्य

11·112 संघ शासित क्षेत्र में स्वास्थ्य की एक बहुत निपुण प्रणाली विद्यमान है, जिसमें 4 जनरल अस्पताल, 1 प्रसूति अस्पताल, एक टी·बी· सेनीटेरियम, 1 ई·एस·आई· अस्पताल, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 डिस्पेन्सरियां, 79 उप-केन्द्र और 11 ई·एस·आई· डिस्पेन्सरियां हैं । इसके अतिरिक्त इस संघ शासित क्षेत्र में 870 बिस्तरों वाला एक जे·आई·पी·एम·ई·आर· केन्द्रीय सरकारी शिक्षण अस्पताल भी कार्य कर रहा है । मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य सुश्रूषा के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ।

समाज कल्याण

11·113 महिला और बाल कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 1476 महिलाओं को छोटी दुकानें खोलने के लिए वित्तीय सहायता और विधवाओं के 978 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता दिया गया । आई·सी·डी·एस· योजना के अन्तर्गत 33972 बच्चे और 8927 माताएं आती हैं और

बालवाड़ी योजना के अन्तर्गत 15,300 बच्चे आते हैं, जिसमें पोषक आहार, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा लाभों की व्यवस्था है ।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम,1992 और संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम,1992

11.114 राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त के भाग-IV में दिए गए हैं । ये देश का शासन चलाने में मौलिक सिद्धान्त हैं । गांव-पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाए जाने और उन्हें शक्तियां और प्राधिकार दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें । इस उद्देश्य के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्वशासन संस्थानों का गठन करने, उनकी संरचना, शक्तियां, जिम्मेदारियां, अनु. जातियों/अनु. जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण इत्यादि का प्रावधान करने के लिए संसद ने पंचायतों से संबंधित संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम,1992 और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम,1992 पारित किया । संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम निम्न प्रकार हैं :-

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

दिल्ली नगर निगम अधिनियम,1957 को कमोबेश रूप से संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम,1992 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया गया । नई दिल्ली नगर पालिका के गठन का मामला विचाराधीन है ।

(ii) चण्डीगढ़

संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चण्डीगढ़ को एक नगर पालिका उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(iii) पाण्डिचेरी

पांडिचेरी ग्राम और समुदाय पंचायत अधिनियम,1973 और पांडिचेरी नगर पालिका अधिनियम,1993 तथा पांडिचेरी जिला योजना समिति विधेयक, 1994 में संशोधन करने के लिए पांडिचेरी सरकार ने पहले ही आवश्यक विधायन का मसौदा तैयार कर लिया है । पांडिचेरी की विधान सभा द्वारा शीघ्र ही इन्हें पारित कर दिए जाने की संभावना है ।

(iv) दमण और दीव

गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत विनियम,1962 तथा गोवा, दमण और दीव नगर पालिका अधिनियम,1968, जोकि संघ शासित क्षेत्र दमण और दीव में लागू होता है, में संशोधन करने संबंधी विनियमों के प्रारूप पर संघ शासित क्षेत्र की परिषद द्वारा विचार किया जा चुका है तथा उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(v) दादरा और नगर हवेली

दादरा और नगर हवेली ग्राम पंचायत विनियम,1965 में संशोधन करने संबंधी विनियम के प्रारूप को संघ शासित क्षेत्र की प्रदेश परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा प्रदेश परिषद की सिफारिशों को प्रोसेस किया जा रहा है ।

(vi) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम,1994 का प्रारूप तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (नगर पालिका बोर्ड) विनियम, 1956 में संशोधन करने संबंधी विनियम का प्रारूप तैयार हैं तथा प्रदेश परिषद की सिफारिशों के लिए उन्हें शीघ्र ही प्रदेश परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(vii) लक्षद्वीप

लक्षद्वीप पंचायत विनियम,1994 तैयार हैं और उन पर अभी प्रदेश परिषद द्वारा विचार किया जाना है ।

11.115 पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित विनियमनों/कानूनों के उपबन्धों को संगत बनाने की अंतिम तारीख क्रमशः 23 अप्रेल,1994 और 31 मई,1994 है ।

अनुलग्नक – I

संघ शासित क्षेत्रों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

क्रम सं0	संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	जनसंख्या 1991 की जनगणना (अनंतिम)
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8249	2,80,661
	चंडीगढ़	114	6,42,015
	दादरा और नगर हवेली	491	1,38,477
	दमण और दीव	112	1,01,586
	दिल्ली	1485	94,20,644
	लक्षद्वीप	32	51,707
	पांडिचेरी	492	8,07,785
	जोड़	10,975	1,14,42,875

अनुलग्नक II

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 और वार्षिक योजना 1992-93 और 1993-94 के लिए संघ शासित क्षेत्रों का योजना परिव्यय।

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	संघ शासित क्षेत्र का नाम	VIII पंचवर्षीय योजना (1992-97) का परिव्यय	वार्षिक योजना 1992-93 का परिव्यय	वार्षिक योजना 1993-94 का परिव्यय	वार्षिकयोजना 1994-95 परिव्यय
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	685.00	155.00	156.50	205.00
2.	चंडीगढ़	400.00	68.00	80.00	85.00
3.	दादरा और नगर हवेली	80.00	18.15	22.00	25.00
4.	दमन और दीव	65.00	14.50	16.00	18.50
5.	दिल्ली	4500.00	920.00	1075.00	1560.00
6.	लक्षदीप	120.00	25.00	32.00	32.00
7.	पांडिचेरी	400.00	90.00	108.00	135.00
	जोड़	6250.00	1290.65	1489.50	2063.50

अध्याय- XII

उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष विकास कार्य

उत्तर-पूर्वी परिषद

12.1 उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के अधीन की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के त्वरित और सन्तुलित सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है ।

12.2 दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात् परिवहन एवं संचार तथा विद्युत को उच्च प्राथमिकता दी गई है । परिषद ने 8वीं योजना में परिवहन और संचार के क्षेत्र में 575 करोड़ रूपये की कुल राशि का आबंटन किया है जिसमें से 116 करोड़ रूपये की राशि वर्ष 1993-94 केलिए प्रदान की गई है । 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चल रही योजनाओं को पूरा करने पर विशेष बल दिया गया है । 6वीं योजना अवधि से इस सैक्टर के अन्तर्गत कई योजनाएं ली गई है जिनमें अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास और सड़कों एवं पुलों के निमार्ण कार्य को पूरा करने की योजनाएं शामिल है । परिषद ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डों के सुधार के कार्यक्रम भी शुरू किए है जिसके लिए परिषद ने वर्तमान सुविधाओं में सुधार लाने और नए हवाई अड्डों का विकास करने के लिए कुल लागत का 60% अंशदान राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकरण को दिया है जो क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास तथा सुदृढ़ीकरण के लिए कुल लागत का 40% वहन करता है ।

12.3 इस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को सुधारने के लिए परिषद अपने गठन के समय से ही क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और क्षेत्र में एक बड़ी जल विद्युत क्षमता की योजना के लिए विद्युत के समेकित विकास की योजना बना रही है और प्रोत्साहन दे रही है । दो मुख्य परियोजनाओं अर्थात्, दोयांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट एवं रंगानदी हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है। ट्रांसमिशन लाइनों अर्थात् दोयांग ट्रांसमिशन लाइन और रंगानदी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की दो योजनाओं को भी परिषद ने वित्तीय सहायता दी है ।

12.4 वर्ष 1993-94 के लिए परिषद की वार्षिक योजना परिव्यय 265 करोड़ रूपये है । क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नप्रकार है :-

	क्षेत्र	रुपए करोड़ में (प्रस्तावित परिव्यय)
(I)	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	5·60
(II)	जल एवं विद्युत विकास	120·99
(III)	खनिज	0·11
(IV)	परिवहन एवं संचार	116·00
(V)	जनशक्ति विकास	16·35
(VI)	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	3·38
(VII)	सामान्य एवं वैज्ञानिक सेवाएं	2·57
		265·00

12·5 उत्तर-पूर्वी परिषद की विभिन्न योजनाओं पर क्षेत्रवार योजना व्यय इस अध्याय के अनुलग्नक में दिया गया है ।

उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा)

12·6 उपनिरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक तक के रैंक के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बारापानी, मेघालय में क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (उ0पू0 पु0अ0) 1978 में स्थापित की गई थी ।

12·7 सीधी भर्ती वाले उप-निरीक्षकों और पुलिस उप अधीक्षकों के लिए एक वर्षीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, यह संस्थान, वी0आई0पी0 सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, बम डिस्पोजल एवं विस्फोटक पदार्थ पाठ्यक्रम, औषध कानून प्रवर्तन पाठ्यक्रम इत्यादि जैसे विशेष अल्पावधि पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है ।

12·8 विभिन्न उत्तर-पूर्वी परिषद योजनाओं पर योजना परिव्यय के बारे में क्षेत्र-वार विवरण इस अध्याय के अनुलग्नक में दिया गया है ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की समिति की बैठक :

12.8 गृह मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 22.1.94 को शिलांग में हुई । इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अनेक बड़े निर्णय लिए गए । बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी केन्द्रीय मंत्रियों, उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भाग लिया ।

अनुलग्नक

पूर्वोत्तर परिषद का क्षेत्र-वार योजना व्यय

	सातवीं योजना के शुरू से लेकर अन्त तक व्यय	1990-91 और 1991-92 की वार्षिक योजनाओं के दौरान व्यय	आठवीं योजना 1992-97			
			अनुमोदित परिव्यय 1992-97	1992-93 के दौरान व्यय	1992-93 का अनुमोदित परिव्यय	योग (अर्थात कालम 1+2+5)
1	2	3	4	5	6	7
कृषि व सम्बन्धित	78·83	7·45	44·00	1·67	5·60	87·95
बिजली,जल विकास और आर0आर0ई0	444·21	144·53	435·00	89·42	120·99	678·16
उद्योग एवं खनिज	21·78	1·02	0·42	0·11	0·11	22·91
परिवहन एवं संचार	647·62	233·16	575·00	122·70	116·00	1003·48
जनशक्ति विकास	66·04	24·12	80·00	13·18	16·35	103·34
सामाजिक व सामुदायिक सेवायें	17·10	3·50	10·71	3·30	3·38	23·90
सामान्य व वैज्ञानिक सेवायें	9·10	2·17	14·87	1·22	2·57	12·49
योग	1284·68	415·95	1160·00	231·60	265·00	1932·23

अध्याय-XIII

पुनर्वास

13.1 गृह मंत्रालय का पुनर्वास प्रभाग, अन्य देशों से विस्थापित भारतीय मूल के लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान करने के लिए नीतियां तय करने तथा कार्यक्रम बनाने और योजनाएं तैयार करने से संबंधित है । प्रभाग ने अब तक भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान), भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) (बर्मा, युगान्डा, मोजाम्बिक, जायरे तथा वियतनाम) से आए विस्थापित व्यक्तियों तथा श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया है । प्रभाग श्रीलंकाई व तिब्बती शरणार्थियों को राहत प्रदान करने हेतु भी उत्तरदायी रहा है। पुनर्वास प्रभाग द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के जरिए विभिन्न राहत एवं पुनर्वास योजनाएं कार्यान्वित की जाती है ।

बन्दोबस्त विंग

13.2 यह विंग पुनर्वास प्रभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व प0 पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में अवशिष्ट मामलों को निपटाता है । इस विंग द्वारा, विस्थापित व्यक्तियों के दावों के सत्यापन तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित लगभग 10 लाख स्थायी फाइलों/रिकार्डों को अनुरक्षित तथा प्रचालित किया जाता है ।

13.3 इसके अतिरिक्त बंदोबस्त विंग भूतपूर्व प0 पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों तथा उनकी विधवाओं को अनुग्रह पेंशन तथा परिवार पेंशन प्राधिकृत करने, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली के दुकानदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने, फिरोजशाह कोटला स्मारक के समीप मकानों के कब्जेदार विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने तथा पुनर्वास मंत्रालय कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति के सदस्यों को उप-पट्टे जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास:

13.4 विभाजन के पश्चात् 31.3.1958 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए (41.17 लाख में से) 31 लाख पुराने प्रवासियों को बसाने के लिए 1948-61 के दौरान अनेक पुनर्वास उपाय किए गए थे । फिलहाल, मंजूरशुदा आवादशुदा कालोनियों में भूमि अधिग्रहण तथा स्वामित्व विलेखों को प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है । 30.6.1993 तक, लगभग 2459 एकड़ प्राइवेट भूमि तथा

19,205 एकड़ राज्य तथा केन्द्र सरकार की भूमि अधिग्राहित/अंतरित की गई है तथा 38,623 स्वामित्व विलेख जारी किए गए हैं ।

13.5 1.1.1964 से 25.3.1971 तक की अवधि के बीच लगभग 11.14 लाख व्यक्तियों ने भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से भारत मे प्रवास किया । इनमें से पात्र प्रवासियों को मुख्यतया महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कृषि या लघु व्यवसाय/व्यापार में पुनर्वासित किया गया । इन राज्यों में स्थापित सभी परियोजनाओं को राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया।

केवल स्थायी दायित्व गृहों में रह रहे परिवारों को बसाया जाना शेष है । उन्हें पुनर्वास के पात्र होने पर कृषि तथा गैर-कृषि योजनाओं में पुनर्वासित किया जाता है ।

वर्मा से आए प्रत्यावासीः

13.6 सितम्बर, 1993 तक भारतीय मूल के 2,10,312 व्यक्ति, (लगभग 70182 परिवार) वर्मा सरकार द्वारा विदेशियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत लौटे । अब तक 70,067 परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है ।

श्रीलंका से आए प्रत्यावासीः

13.7 भारत-श्रीलंका समझौता 1964,1974 और 1986 के अधीन, भारत सरकार श्रीलंका में भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को उनकी संख्या में होने वाली प्राकृतिक वृद्धि सहित, भारतीय नागरिकता प्रदान करने (तथा उनका प्रत्यावासन) हेतु सहमत थी । अक्तूबर, 1984 के बाद श्रीलंका में जातीय हिंसा के फलस्वरूप वहां से कोई संगठित प्रत्यावासन नहीं हुआ है । तथापि, कुछ प्रत्यावासी अपनी मर्जी से भारत पहुंचे है । अगस्त, 1993 तक 1,25,959 की प्राकृतिक वृद्धि सहित 3,35,333 प्रत्यावासी (1,16,039 परिवार) भारत पहुंचे थे ।

13.8 मार्च, 1993 तक, कृषि, लघु व्यापार/व्यवसाय, पौधारोपण, उद्योग आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में 95,453 परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी । श्रीलंका से प्रत्यावासन पुनः प्रारंभ होने की स्थिति में नए आने वाले प्रत्यावासियों की देखभाल करने के लिए मंजूर की गई योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

श्रीलंका से आए शरणार्थी:

13.9 श्रीलंका में हुई जातीय हिंसा के परिणामस्वरूप, जुलाई, 1983 और नवम्बर 1987 के बीच 1,34,053 शरणार्थी भारत आए । इनमें से 46,101 शरणार्थी श्रीलंका वापस चले गए । जातीय हिंसा के द्वितीय चरण में (अगस्त, 1989 से अप्रैल 1991 तक) 1,22,078 शरणार्थी भारत आए । इस प्रकार 31 दिसम्बर 1991 तक भारत में श्रीलंकाई शरणार्थियों की संख्या 2,10,193 थी । इनमें से 1,13,772 तमिलनाडु और उड़ीसा के शिविरों (कैंपों) में रह रहे थे और 96,421 शरणार्थी शिविरों से बाहर रह रहे थे ।

13.10 दिसम्बर, 1991 में, श्रीलंका सरकार ने यह सूचना दी कि द्वीपसमूह के कई भागों में व्याप्त परिस्थितियां शरणार्थियों की वापसी के लिए अनुकूल थीं । तदनुसार, 20.1.1992 से 1.10.1992 के बीच 29,102 शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजा गया । मानसून के प्रारंभ होते ही प्रत्यावर्तन रोकना पड़ा था ।

13.11 श्रीलंकन शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजने की प्रक्रिया 12.8.1993 से पुनः प्रारम्भ करने की सिफारिश की गई थी । 12.8.1993 से 6.9.1993 के बीच 6926 शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजा गया । मन्नार द्वीपसमूह से और लगभग 3,000 इच्छुक शरणार्थियों को

भी श्रीलंका वापस भेजने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस समय, 74,996 शरणार्थी तमिलनाडु शिविरों में और मलकानगिरी (उड़ीसा) में शिविर में 153 शरणार्थी रह रहे हैं । शिविरों से बाहर, 30,977 शरणार्थियों ने अपने नाम तमिलनाडु सरकार के पास दर्ज कराए हैं । इसके अलावा, सरकार के आदेशों के अनुसार अपना नाम दर्ज न कराने के कारण 165 शरणार्थी तमिलनाडु की सब-जेलों में हैं । इस प्रकार अब तक गिने गए शरणार्थियों की कुल संख्या 1,06,291 है ।

13.12 शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को पांच सदस्यीय परिवार के लिए लगभग 1000/- रु0 प्रतिमाह की राहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । जुलाई 1983 और अगस्त, 1993 के बीच इन शरणार्थियों को राहत सुविधाएं और आवास प्रदान करने के लिए 85.61 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया।

तिब्बती शरणार्थी

13.13 इस समय भारत में लगभग 80,000 तिब्बती शरणार्थी हैं । इनमें से 68,639 शरणार्थी सरकारी सहायता से कृषि व हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत स्वतः रोजगार के जरिए पुनर्वासित किए गए हैं । इस समय हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में 850 तिब्बती शरणार्थियों (204 परिवारों) के लिए आवास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

अध्याय-XIV

स्वतंत्रता सेनानी

स्वतंत्रता सेनानी :

14.1 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना को, स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर 15 अगस्त, 1972 से आरंभ किया गया था और तब से यह योजना चलती आ रही है । योजना में उन व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते समय कम से कम छः माह कैद/निरुद्ध/निष्कासन/नजरबंद/फरार आदि रहने की सजा भोगी थी । मौजूदा पेंशन दर भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक कैदियों के मामले में 1250/-रुपये प्रतिमाह तथा अन्यों के मामले में 1,000/-रु0 प्रतिमाह है । इस समय सभी श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नियों को प्रदान की जा रही पेंशन की राशि 1,000/- रुपये प्रतिमाह है ।

हैदराबाद विशेष संवीक्षा समिति के कार्यकाल की अवधि में वृद्धि :

14.2 सन् 1985 में सरकार ने हैदराबाद के तत्कालीन राजसी राज्य के निजाम के विरुद्ध विलय आन्दोलन में भाग लेने वाले तथा यातना भोगने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए हैदराबाद विशेष संवीक्षा समिति का गठन किया । परन्तु समिति अपना काम पूरा न कर सकी । इस समय 372 आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जाना है । कार्य पूरा करने की दृष्टि से समिति का कार्यकाल जो 9 मार्च, 1994 को समाप्त होना था, को और 6 महीने तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

अण्डमान के भूतपूर्व राजनैतिक कैदियों को विशेष भत्ता प्रदान करना :

14.3 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अण्डमान के भूतपूर्व राजनैतिक कैदियों का योगदान अभूतपूर्व था । उनकी संख्या घटती-बढ़ती जा रही है और फिलहाल उनमें से केवल 106 जीवित बताए जाते हैं । इनमें से सभी की आयु 80 वर्ष से अधिक है । उनके द्वारा भोगी गई यातना के स्वरूप को देखते हुए, सरकार ने उनको सितम्बर, 1993 से 250/- रु0 प्रतिमाह विशेष भत्ता स्वीकृत किया है। यह राशि उनकी पेंशन 1,250/- रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त है ।

मृतक स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन अन्तरित करना :

14.4 मई, 1992 में मृतक स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन अन्तरित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को देश के विभिन्न पेंशन वितरण प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित करते हुए प्रक्रिया को सरल बनाया गया था । फिर भी विभिन्न वर्गों से प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई कि विधवाओं के नाम शीघ्रता से पेंशन अन्तरित कर दी जाए । सभी राज्य सरकारों और महालेखापालों को संशोधित प्रणाली के संबंध में व्यापक प्रचार करने के अनुदेश जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है ।

भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 की स्वर्ण जयन्ती समारोह का समापन :

14.5 भारत छोड़ो आन्दोलन, 1942 की स्वर्ण जयन्ती के संबंध में वर्ष भर का समारोह अगस्त, 1993 में समाप्त हो गया । कई राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में समारोह आयोजित किए । इसका उद्देश्य आज की पीढ़ी विशेषकर युवाओं में बलिदान की भावना को बनाए रखना था ।

अध्याय- XV

विदेशी

15.1 अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993 में 7,62,792 विदेशियों को भारत का भ्रमण करने के लिए वीजा प्रदान किया गया । 1.1.1993 तक विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 के अधीन 1,56,302 विदेशियों ने स्वयं को पंजीकृत करवाया ।

15.2 दक्षिणी अफ्रीका के साथ सुधरे हुए राजनैतिक सम्बंधों से तथा राजनयिक सम्बन्धों को पुनःस्थापित करने के साथ सभी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रिकों (चाहे उनका उद्गम कुछ भी हो) को एक माह की अवधि के लिए लैंडिंग परमिट सुविधाएँ प्रदान की जाएगी, यदि वे भारत में प्रवेश के लिए बिना वैध वीजा के आए हों ।

15.3 विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों और विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय जेलों में विदेशियों की अमानवीय दशा के झूठे प्रचार का विरोध करने की दृष्टि से, निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

(i) विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा है कि विदेशी राष्ट्रिकों के मामले को अलग किया जाए और उन्हें शीघ्र विचारण और निपटान के लिए उन मामलों को नामोदिष्ट विशेष न्यायालय में रखा जाए ।

(ii) सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए है कि विदेशियों के मामलों की समयबद्ध तरीके से तफतीश और अभियोजन की कार्रवाई पूरी की जाए, और ऐसे मामलों की आवधिक रूप से मानिटरिंग की जाए ।

(iii) विदेश मंत्रालय से कहा गया है कि विदेशी सरकारों से द्विपक्षीय समझौते किए जाएं ताकि दोषसिद्ध कैदियों को हस्तांतरित किया जा सके जिससे की वे अपनी सजा की बकाया अवधि अपने ही देश में पूरी कर सकें ।

15.4 भारत सरकार के हाल के उदारीकरण अभियान को ध्यान में देखते हुए, तेइवान राष्ट्रिकों (विशेषकर तेइवान के व्यापारियों के लिए) शपथ पत्रों आदि की अपेक्षाओं को समाप्त करके, जो पहले विद्यमान थी, वीसा नीति को काफी उदार बना दिया गया है ।

15.5 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर और राजस्थान में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की रुचि के कतिपय अतिरिक्त/नए स्थानों को विदेशी ग्रुप पर्यटको के लिए खोल दिया गया है ।

सिक्किमः

यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित अतिरिक्त स्थल संगठित विदेशी ग्रुप-पर्यटकों के लिए एक विशेष अवधि के लिए और आइडेंटिफाइड टूर सरकिटों में सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्त करने के पश्चात खोल दिए जाएँ :-

(I) पूर्वी सिक्किम में तसांगू (छांगू) झील (केवल दिन-दिन की यात्रा के लिए)

(II) मंगन, सिंघिक , तोग, चुंगथन, यमथन (केवल 5 दिनों के लिए)

लद्दाखः

विदेशी पर्यटक ग्रुपों को अब सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्त करने के पश्चात विनिर्दिष्ट यात्रा सर्किट्स पर निम्नलिखित स्थानों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है :-

(I) खालत्से सब-डिवीजन

(क) खालत्से-दुमखार-स्कारबुचन-हनुदो-बयामा-धा

(II) नुब्रा सब-डिवीजन

(क) लेह-खारदुंग ला-खलसर-त्रित से पानामिक तक

(ख) लेह- खरदंग ला-खलसर-हुंडर तक

(ग) लेह- सावो-दिगारला-दिगेर-लबाब-कनुंगरू-गम्पा-टंगर

(III) न्योमा सब -डिवीजन

(क) लेह-उपशी-चमाथन- माहे-गुगा -तसो- मोरारी झील/कोरजोक

(ख) लेह-उपशी-देब्रिंग-रुग-तसो-मोरारी झील/कोर्जोक

(ग) लेह-कारु-चांग ला-डुरबुग-तंगतसे-लुकुग-स्पनक्मिक (पंगोंग झील स्पनक्मिक तक)

राजस्थान

राजस्थान में "गांव खुडी" (जिला जैसलमेर) को संरक्षित क्षेत्र (इनरलाइन) से निकाल दिया गया है ।

15.6 1 जनवरी, 1993 से 30 नवम्बर, 1993 तक की अवधि के दौरान, भारतीय मूल के 503 विदेशियों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (क), 5(1) (ख) और 5(1)(घ) के अधीन पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी । भारत के नागरिकों से विवाह करने वाले 114 विदेशियों को अधिनियम की धारा 5(1) (ग) के अधीन भारतीय नागरिकता प्रदान की गई । 62 विदेशियों को अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी और 5 व्यक्तियों का अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण किया था ।

15.7 वर्ष के दौरान 473 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/वर्कशाप करने के लिए अनुमति दी गई और 130 विदेशी सहयोगवाली परियोजनाओं को भी क्लीयरेन्स दी गई ।

अध्याय XVI

जनगणना

16.1 भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय का मुख्य कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना और उनका प्रसार करना है । यह कार्यालय जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करता है और कार्य को मानीटर करता है । जन्म-मृत्यु संख्यिकी का संकलन करता है, मिलान करता है और उन्हें जारी करता है।

भारत में जनगणना-1991

16.2 भारत में पिछली जनगणना 1991 में कराई गई थी । जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े एक माह के भीतर ही जारी कर दिए गए थे । गत वर्ष (1992-93) के दौरान जनगणना के आधारभूत आंकड़े जिन्हें सामान्यतः प्राथमिक जनगणना सार के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित किए गए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के नेटवर्क (निकनेट) के माध्यम से और फ्लापी डिस्कैटों पर भी जारी किए गए ।

16.3 इस वर्ष के दौरान एक पेपर जारी किया गया जिसमें प्राथमिक जनगणना सार के माध्यम से जारी किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है । इस विश्लेषण में भारतीय जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है । इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरता, आर्थिक रूप से सक्रिय और काम न करने वाली जनसंख्या, जनसंख्या की वृद्धि और स्त्री/पुरुष संरचना तथा क्षेत्रफल, मकान और परिवारों के सम्बन्ध में अध्याय दिए गए हैं । विश्लेषणात्मक अध्यायों के अतिरिक्त इस पेपर में आठ मुख्य सारणियां, तेरह उप-सारणियां तथा देश के प्रशासनिक प्रभागों और जिला साक्षरता से सम्बन्धित तीन मानचित्र भी दिए गए हैं ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (प्राथमिक जनगणना सार:)

16.4 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आंकड़ों को अलग-अलग सारणीबद्ध किया गया है । इन सारणियों में विशेष रूप से आबाद आवासीय मकानों की

.....2/-

संख्या, परिवारों की संख्या, 0-6 आयु समूह की कुल जनसंख्या, साक्षरों की संख्या और काम करनेवालों का नौ औद्योगिक श्रेणियों में वर्गीकरण जैसी मदों के आंकड़े सारणीबद्ध किए गए हैं । प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में केन्द्रीय प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, 1991, सीरीज-1, भारत के 1993 पत्रक 1 के रूप प्रकाशित किया गया है ।

मकानों के आंकड़े

16.5 जनगणना के दौरान जनसंख्या के साथ-साथ मकानों तथा परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई । इस जानकारी को संकलित करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर की 6 सारणियों में मकान और वे किस उपयोग में आते हैं, मकानों की छत, दीवार और फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री , मकानों की धारणाधिकार की स्थिति और रहने के कमरों की संख्या, बिजली और शौचालय की सुविधाओं की उपलब्धता, पीने के पानी के स्रोत तथा खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे ईंधन की किस्म के आंकड़े दिए गए हैं । इनमें से कुछ जानकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में भी अलग से संकलित की गई है ।

1993 का पेपर -2:

16.6 यह वर्ष के दौरान जारी किया गया एक विशेष प्रकाशन है जिसमें देश में मकानों की स्थिति और परिवारों की आर्थिक विशेषताओं का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है । इस पेपर में 1991 की जनगणना के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर उन परिवारों के अनुपात का विश्लेषण भी किया गया है जिनमें पीने का सुरक्षित पानी, बिजली और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा पिछली जनगणनाओं के साथ इनकी तुलना भी की गई है । पिछली जनगणना में परिवारों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे ईंधन के संबंध में जानकारी पहली बार एकत्र की गई थी जिसे इस पेपर में प्रस्तुत किया गया है।

अन्य सारणियों का प्रकाशन:

16.7 जनगणना में जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के आंकड़े विभिन्न आयु समूहों के अनुसार जिला स्तर पर और कुछ मामलों में तहसील/सामुदायिक विकास खंड/शहर स्तर पर प्रकाशित किए जाएगें । स्थान परिवर्तन, प्रजननता, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं से संबंधित सारणियां तैयार की जा रही है और कुछ राज्यों/जिलों के सम्बन्ध में इन सारणियों के इस वर्ष के अन्त तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है ।

जनगणना आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में अध्ययन :

16.8 आठवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के अंग के रूप में जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मानव-जातीय अध्ययन और इस प्रयोजन के लिए विशेष सर्वेक्षण आरंभ किए गए हैं । वर्ष के दौरान प्रश्नावलियां तैयार करने, फील्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और कुछ अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरे किए गए ।

मैगनेटिक मीडिया पर जनगणना के आंकड़े :

16.9 आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यालय द्वारा आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके आंकड़े प्रयोक्ताओं में आंकड़ों का प्रसार करने के प्रयास जारी रखे गए । पिछले वर्ष के दौरान फ्लोपी डिस्केटों पर आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे । पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले के आंकड़ों के लिए अलग-अलग फ्लोपियों का उपयोग किया गया था । इस वर्ष इस संगठन के कर्मचारियों ने इन आंकड़ों को इस प्रकार से सफलतापूर्वक सम्पीड़ित (काम्प्रेस) किया है कि पहले 450 डिस्केटों के मुकाबले अब ये 51 डिस्केटों में संग्रहित किये जा सकते हैं। इससे जनगणना के आंकड़ों का उपयोग और भी सस्ता और आसान हो गया है ।

निकनेट और मैगनेटिक मीडिया पर ग्रामीण और नगरीय आधारभूत आंकड़े :

16.10 देश के प्रत्येक जिले के बारे में जिला जनगणना पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं । इनमें जनगणना के बुनियादी आंकड़ों के साथ ही साथ जिले के प्रत्येक ग्राम और कस्बे में उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के आंकड़े भी दिए गए हैं । ये पुस्तिकाएं राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित की जाती है । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से आधारभूत सूचनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के नेटवर्क (निकनेट) में दर्ज करना शुरू कर दिया है । गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में यह कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा अधिकांश शेष राज्यों में इस कार्य को इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है । जिला और राज्य प्राधिकारियों तथा साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को, जिनके पास निकनेट से जुड़े अपने पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, यह जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, इसके अतिरिक्त आंकड़े प्रयोक्ता

देश के प्रत्येक ग्राम और कस्बे के सम्बन्ध में सूचना रखने वाली फ्लोपी डिस्केट भी प्राप्त कर सकते हैं ।

जन्म-मृत्यु सांख्यिकी से सम्बन्धित रिपोर्टें :

16.11 वर्ष के दौरान जन्म-मृत्यु सांख्यिकी के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं :-

1. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में वर्ष 1990 और 1991 की वार्षिक रिपोर्ट ।
2. भारत की जन्म-मृत्यु सांख्यिकी के सम्बन्ध में वर्ष 1988 की रिपोर्ट ।
3. मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण (ग्रामीण) के सम्बन्ध में वर्ष 1991 की रिपोर्ट ।
4. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली पर वर्ष 1990 की रिपोर्ट ।

पुरस्कार और अलंकरण

पद्म पुरस्कार

17.1 पद्म पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को दो उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है । इसे मद्दे नजर रखते हुए, जनवरी, 1993 में यह निर्णय लिया गया कि जब तक कि संवैधानिक मुद्दों का कानूनी अदालतों में समाधान नहीं हो जाता तब तक इन पुरस्कारों की कोई घोषणा नहीं होगी । उस निर्णय को अभी तक बदला नहीं गया है । तदनुसार 1993 तथा 1994 में गणतंत्र दिवसों पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई ।

वीरता पुरस्कार

17.2 जनवरी, 1994 में गणतंत्र दिवस पर नागरिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा किए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सिफारिशों पर उचित रूप से विचार किया गया तथा अनुमोदित पुरस्कार विजेताओं के नाम केन्द्रीय सम्मान तथा पुरस्कार समिति के विचारार्थ रक्षा मंत्रालय को भेज दिए गए । इन पुरस्कारों के लिए सरकार ने आठ नागरिकों के नामों का अनुमोदन किया, एक कीर्ति चक्र के लिए (मरणोपरांत), तथा 7 शौर्य चक्र के लिए जिनमें से दो मरणोपरांत हैं) । इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 1994 पर की गई ।

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार :

17.3 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने, आग से बचाने, खानों में बचाव कार्य करने आदि जैसे मानवीय प्रकृति के किसी कार्य या कार्यों में रक्षक के जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियों में परिदर्शित अदम्य साहस और तत्परता के लिए दिए जाते हैं । राज्य सरकारों /संघ राज्य प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त विभिन्न सिफारिशों पर जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार (1993-1994) समिति द्वारा विचार किया गया । इन पुरस्कारों के लिए समिति ने 70 नामों-दो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए (दोनों मरणोपरान्त), 3 जीवन रक्षा पदक के लिए (तीनों मरणोपरांत) तथा 65 जीवन रक्षा पदक के लिए (इनमें से 3 मरणोपरांत)- की सिफारिश की । तत्पश्चात् इन सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया ।

अध्याय-XVIII

नीति नियोजन

18.1 बाह्य क्षेत्र की योग्यता एवं प्रतिभा का दोहन के लिए एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय में नीति-नियोजन प्रभाग को अक्तूबर,1991 में फिर से सक्रिय बनाया गया ताकि नीति-निर्धारण प्रक्रिया में अतिरिक्त निवेश उपलब्ध कराया जा सके । नीति-नियोजन प्रभाग परियोजनाओं को परिभाषित करता है तथा उन पर कार्य करने के लिए उपयुक्त दल गठित करता है । यह अन्य एजेंसियों से प्राप्त निवेशों का विश्लेषण अपने यहां भी करता है । इस प्रभाग ने निम्न विषयों का अध्ययन किया है तथा उन पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है :

(i) वामपंथी उग्रवाद ।

(ii) सीमा-प्रबंध ।

(iii) भारत में तथा अन्य मुल्कों में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों, लाभों तथा विशेषाधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन ।

18.2 दो ग्रुप, एक अर्द्ध सैनिक बलों की दीर्घकालिक आवश्यकता तथा दूसरा भारत-म्यांमार सीमा पर गतिविधियों का नियंत्रण तथा उन पर निगरानी रखने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए, इस समय अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप दे रहे है ।

18.3 विस्तृत विश्लेषण के लिए कुछ अन्य प्रकरणों को भी लिया गया है ।

अध्याय-xIX

अन्य मामले

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

19.1 वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए। इस दिशा में हुई प्रगति को राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर मानिटर किया गया । इसकी गतिविधियों में कार्यशालाओं का आयोजन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना तथा समय-समय पर निरीक्षण करना शामिल है ।

बैठकें

19.2 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति 3 जून,1993 के संकल्प के तहत पुनर्गठन किया गया तथा 31 जुलाई, 1993 को इसकी बैठक आयोजित की गई । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें भी नियमित रूप से की गई ।

निरीक्षण

19.3 राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मंत्रालय के अधिकारियों ने 1.4.93 से 30.11.1993 की अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर स्थित 15 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा दिल्ली स्थित 15 कार्यालयों/अनुभागों का निरीक्षण किया और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई ।

हिन्दी कार्यशाला

19.4 मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग व ड्राफ्टिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष के दौरान हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

शील्ड योजना

19.5 मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से शील्ड योजना लागू रही ।

हिन्दी सप्ताह

19.6 मंत्रालय में 7 सितम्बर से 14 सितम्बर,1993 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टाइपिंग एवं हिन्दी निबन्ध आदि शामिल हैं । इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए गए । वर्ष में हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ नोट के लिए भी नकद पुरस्कार दिया गया।

पत्र-व्यवहार

19.7 "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों के साथ अधिकतम पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया गया और हिन्दी में प्राप्त लगभग सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन आने वाले शत-प्रतिशत दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया । मंत्रालय में अधिकांश निर्धारित मशीनी उपकरण द्विभाषी है ।

सर्तकता

19·8 गृह मंत्रालय में सतर्कता एकक मुख्य सतर्कता अधिकारी §संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी§ के अधीन कार्य करता है । कार्य-निष्पादन में उनकी सहायतार्थ एक निदेशक तथा अवर सचिव स्तर के अधिकारी है । मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में तथा संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता गतिविधियों के विनियमन तथा समन्वय हेतु उत्तरदायी है। वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है तथा साथ ही साथ सभी सतर्कता मामलों में गृह सचिव की सहायता करता है । वह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखता है ।

19·9 गृह मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी से मंजूरी प्राप्त सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं ।

19·10 गृह मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्था कार्यालयों में 1·1·93 से 31·10·93 तक की अवधि के दौरान सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में सांख्यिकीय विवरण निम्नानुसार है :

	राजपत्रित		अराजपत्रित	
	मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1. 1.1.93 की स्थिति के अनुसार लम्बित अनुशासनात्मक/सतर्कता मामले	120	118	299	309
2. शुरू किए गए सतर्कता/ अनुशासनात्मक मामले (1.1.93 से 31.10.93)	20	23	188	193
3. निपटाए गए सतर्कता/ अनुशासनात्मक मामले (1.10.93 तक)	23	23	266	279
4. लम्बित सतर्कता/ अनुशासनात्मक मामले (1.11.93 की स्थिति)	117	119	221	223
5. निपटाए गए सतर्कता/ अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई				
क- सेवा से बरखास्त	1	1	77	81
ख- सेवा से हटाना	1	1	9	9
ग- अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त	1	1	2	2
घ- रैंक/वेतन आदि कम करना	-	-	26	30
ङ- वेतन वृद्धि रोकना	--	--	31	31
च- पदोन्नति रोकना	--	--	6	9
छ- वेतन से वसूली के आदेश	--	--	16	16
ज- निन्दा	10	10	56	56
झ- चेतावनी	1	1	14	14
ञ- सरकार की ओर से अप्रसन्नता जाहिर की गई	3	3	1	1
ट- दोषमुक्ति	2	2	15	15
ठ- मामलों का अन्तरण	1	1	--	-
ड- कार्यवाही समाप्त की गई	3	3	13	15
योग	23	23	266	279

अधिनियमित विधायन

19.11 वर्ष के दौरान निम्नलिखित विधायनों का अधिनियमन किया गया :

(i) अयोध्या में कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण अधिनियम, 1993

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1993

(iii) मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1993

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1993

(v) राजस्थान राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1993

(vi) अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम, 1993 (आतंकवादियों द्वारा अपहरण के मामलों से निपटना ।

(vii) अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1993 (भारत तथा यू0के0 के मध्य समझौता विधायन कार्यान्वयन)

(viii) आतंकवादी व विध्वंसकारी क्रिया कलाप (संशोधन) अधिनियम, 1993

(ix) केन्द्रीय कानून (अरुणाचल प्रदेश पर लागू करना) अधिनियम, 1993

(x) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1993

(xi) राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 1993

(xii) जनगणना (संशोधन) विधेयक, 1993

(xiii) राष्ट्रपति की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1993

(xiv) मानवाधिकार संरक्षण विधेयक, 1993

कम्प्यूटरीकरण :

19.12 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) की सहायता से मंत्रालय की गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण में काफी प्रगति की गई । गृह मंत्रालय से संबद्ध एन आई सी प्रभाग ने नित्य प्रति के प्रशासन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण तथा नीति नियोजन और शीघ्र निर्णय लेने के लिए कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणालियों के विकास में मदद की । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एन आई सी -गृह मंत्रालय के कम्प्यूटर केन्द्र में निम्नलिखित एन आई एस पैकेजों का विकास और कार्यान्वयन किया गया :

(i) गृह मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग के लिए एकीकृत न्यायिक सूचना प्रणाली एवं न्यायाधीश सूचना प्रणाली ।

(ii) केन्द्रीयकृत जेल सूचना प्रबोधन प्रणाली ।

(iii) साम्प्रदायिक घटनाएं प्रबोधन प्रणाली ।

(iv) केन्द्रीय अर्द सैनिक बल ट्रूप मूवमेन्ट प्रबोधन प्रणाली ।

(v) ए जी एम यू संवर्ग के आई ए एस और आई पी एस अधिकारियों के लिए कार्मिक सूचना प्रणाली ।

(vi) संसद प्रश्न सूचना प्रबंधन प्रणाली ।

(vii) आई पी एस अधिकारियों के लंबित अदालती मामले प्रबोधन प्रणाली ।

(viii) गृह मंत्रालय बजट प्रबोधन प्रणाली ।

(ix) जीवन रक्षा पदक पुरस्कार, 1993-94

(x) पुलिस पदक और राष्ट्रपति का पुलिस पदक 1994 ।

लेखा परीक्षा आपत्तियां

19.13 गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लेखाओं का लेखा परीक्षा द्वारा निरीक्षण किया जाता है । 1.1.1993 की स्थिति के अनुसार, गृह मंत्रालय और इसके सम्बद/अधीनस्थ कार्यालयों, जिनमें अर्द सैनिक बल और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, के संबंध में बकाया लेखा परीक्षा पैराओं की संख्या 2069 थीं । वर्ष 1993 के दौरान, लेखा परीक्षा से 818 पैरा प्राप्त हुए थे जिससे 31.12.1993 को पैराओं की संख्या कुल 2887 हो गई थी, जिनमें से 1184 पैराओं का निपटारा किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया जिससे 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार बकाया पैराओं की संख्या 1703 रह गई । संगठनवार विवरण अध्याय के अनुलग्नक में दिए गए हैं ।

19.14 पुराने लेखा परीक्षा पैराओं के निपटान के लिए तदर्थ समितियां बनाई गई हैं और सभी संगठनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि इन तदर्थ समितियों की नियमित रूप से बैठकें की जाय । गृह सचिव के स्तर पर प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है ।

अनुलग्नक

बकाया लेखा परीक्षा पैराओं का विवरण

क्रम सं0	संगठन का नाम का नाम	31.12.93 को बकाया पैरा	1.1.93 से31.12.93 के दौरान प्राप्त पैरा	1.1.93 से 31-12-93 तक निपटारा गए पैरे	31.12.93 केअन्त में बकायापैरा
1.	गृह मंत्रालय(मुख्य)	16	--	--	16
2.	राजभाषा	30	23	16	37
3.	भारत के महा पंजीयक	61	15	44	32
4.	सीमा सुरक्षा बल	389	106	403	92
5.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	121	132	146	107
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	38	39	36	41
7.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	52	52	38	66
8.	आसूचना ब्यूरो	77	43	12	108
9.	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	51	--	--	51
10.	असम राइफल्स	80	4	48	36
11.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	89	146	91	144
12.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	34	--	19	15
13.	अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान	12	11	8	15
14.	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	15	5	15	5
15.	विशेष सुरक्षा ग्रुप	84	--	18	66
16.	लक्षदीप	200	106	149	157
17.	अण्डमान व निकोबार दीप समूह	466	117	61	522
18.	दमन एवं दीव	72	19	80	11
19.	दादर एवं नगर हवेली	182	--	--	182
	योग	2069	818	1184	1703

परिशिष्ट

मंत्री, सचिव तथा विशेष सचिव जो 1 अप्रैल, 1993 से आगे पदासीन रहे

गृह मंत्री

श्री एस0बी0 चव्हाण	24 जून, 1991 से आगे

राज्य मंत्री

श्री राजेश पायलट	18 जनवरी, 1993 से आगे
श्री पी0एम0 सईद	20 जनवरी, 1993 से आगे

उप मंत्री

श्री राम लाल राही	24 जून, 1991 से आगे

गृह सचिव

श्री एन0एन0 वोहरा	6 अप्रैल, 1993 से आगे

विशेष सचिव

श्री वी0के0 जैन	9 दिसम्बर, 1991 से आगे
श्री एस0आर0 सत्यम	9 मार्च, 1994 तक
श्री पी0पी0आर0 नायर	31 अगस्त, 1993 तक
श्री आर0के0 आहूजा	9 मार्च, 1994 से आगे

Ministry of Home Affairs
LIBRARY
Acc. 2002-D-52727
Date... 18/9/02